कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 66 अंक : 7 पृष्ठ : 52 मई 2020 मूल्य : ₹ 22

महिला सशक्तीकरण











आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनना कोरोना महामारी से मिला सबसे बड़ा सबक : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2020 को 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020' के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर की ग्राम पंचायतों के सरपंचों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने एक एकीकृत **'ई–ग्राम स्वराज पोर्टल एवं मोबाइल एप'** और **'स्वामित्व योजना'** का शुभारंभ किया।



प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के अवसर पर नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए देश भर के सरपंचों के साथ बातचीत की।

ई–ग्राम स्वराज' दरअसल ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में मदद करता है। यह पोर्टल वास्तविक समय पर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। इतना ही नहीं, यह पोर्टल ग्राम पंचायत–स्तर तक डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

राज्यों में प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई 'स्वामित्व योजना' ड्रोन और नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके गांवों में बसी हुई भूमि या आवासों का नक्शा बनाने में मदद करती है। यह योजना सुव्यवस्थित योजना बनाना एवं राजस्व संग्रह सुनिश्चित करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार पर स्पष्टता प्रदान करेगी। इससे संपत्ति (प्रॉपर्टी) के मालिकों द्वारा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए आवेदन करने के रास्ते खुल जाएंगे। इस योजना के माध्यम से आवंटित मालिकाना प्रमाणपत्र (टाइटिल डीड) के जरिए संपत्ति से संबंधित विवादों को भी सुलझाया जाएगा।

देश भर के सरपंचों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने लोगों के काम करने के तरीके को बदल दिया है और इसके साथ ही एक अच्छा सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि महामारी ने हमें सिखाया है कि व्यक्ति को सदैव ही आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, 'इस महामारी से हमें ऐसी नई चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

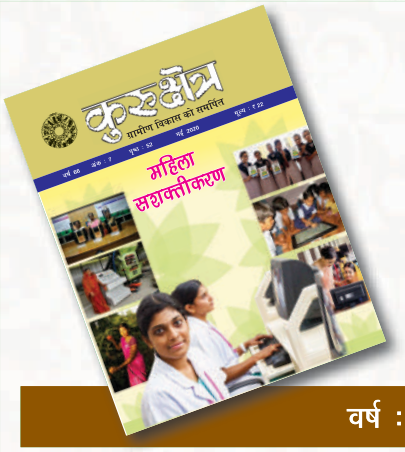
हालांकि, इसने हमें एक मजबूत संदेश के साथ एक बहुत अच्छा सबक भी सिखाया है। इसने हमें सिखाया है कि हमें आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनना होगा। इसने हमें सिखाया है कि हमें समस्याओं का समाधान देश के बाहर नहीं तलाशना चाहिए। यही सबसे बड़ा सबक है जिसे हमने सीखा है।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'हर गांव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इसी तरह हर ज़िले को अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनना है, हर राज्य को अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनना है और पूरे देश को अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा।' श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने तथा ग्राम पंचायतों को और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा, 'पिछले पांच वर्षों में लगभग 1.25 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड के माध्यम से जोड़ा गया है, जबकि पहले यह संख्या मात्र 100 ही थी। इसी तरह साझा सेवा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर) की संख्या 3 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। उन्होंने कहा कि जब से भारत में मोबाइल फोन का निर्माण किया जा रहा है, तभी से स्मार्टफोन की कीमतें काफी घट गई हैं और किफायती स्मार्टफोन हर गांव में पहुंच गए हैं। इससे ग्रामीण–स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचा और भी अधिक मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, 'पंचायतों की प्रगति से राष्ट्र और लोकतंत्र की तरक्की सुनिश्चित होगी।'

सरपंचों के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने अत्यंत सरल शब्दों में सामाजिक दूरी बनाए रखने को परिभाषित करने के लिए दिए गए **'दो गज दूरी'** के मंत्र के लिए गांवों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत द्वारा दिया गया **'दो गज देह की दूरी'** का मंत्र लोगों की बुद्धिमत्ता को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने इस मंत्र की सराहना करते हुए कहा कि यह लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने निरंतर बड़ी सक्रियता के साथ इस चुनौती का सामना किया है और नई ऊर्जा एवं अभिनव तरीकों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प दिखाया है। उन्होंने कहा, 'गांवों की सामूहिक शक्ति देश को आगे बढ़ने में मदद कर रही है।

उन्होंने सरपंचों से कोविड–19 के विभिन्न पहलुओं पर हर परिवार को सही जानकारी देने का आग्रह किया। उन्होंने गांवों में रहने वाले लोगों से 'आरोग्य सेतु एप' को डाउनलोड करने की भी अपील की और पंचायतों के प्रतिनिधियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनकी पंचायत का प्रत्येक व्यक्ति इस एप को अवश्य डाउनलोड करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं कि गांवों के गरीब लोगों को भी सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गांवों के गरीबों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में उभर कर सामने आई है और इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ गरीब मरीजों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री ने अपने सामूहिक प्रयासों, एकजुटता और दृढ़ संकल्प के साथ कोरोना को परास्त करने के लिए सरपंचों को पंचायती राज दिवस पर शुभकामनाएं दीं।

स्रोत : पीआईबी



कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

इस अंक में

वर्ष : 66 ★ मासिक अंक : 7 ★ पृष्ठ : 52 ★ वैशाख–ज्येष्ठ 1942 ★ मई 2020

कृषि और ग्राम समृद्धि में महिलाओं की भूमिका	जे. पी. मिश्रा	5
स्वस्थ एवं पोषित महिलाएं सशक्त राष्ट्र की आधारशिला	संतोष जैन पासी, आकांक्षा जैन	11
लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में मददगार जेंडर बजटिंग	विकास जाखड़	17
ग्रामीण भारत के सतत विकास हेतु महिला सशक्तीकरण	डॉ. नीलेश कुमार तिवारी	22
महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण- सरकार की प्राथमिकता	सात्विक मिश्रा	27
आशाकर्मी - ग्रामीण भारत के लिए आशा की किरण	तृप्ति नाथ	31
पंचायत से स्वच्छता अभियान तक महिलाओं की सफलता गाथा	सन्नी कुमार	35
महिला सशक्तीकरण की दिशा में प्रयास एवं चुनौतियां	मनोज कान्त उपाध्याय	39
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला सशक्तीकरण में भूमिका	नितिन प्रधान	45
सौर ऊर्जा से महिला उद्यमियों को मिला स्वरोज़गार	डॉ. नन्दकिशोर साह	48
रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाने के आसान उपाय	डॉ. आनन्द कुमार उपाध्याय	49

प्रधान संपादक: राजेंद्र चौधरी

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : विनोद कुमार मीना

आवरण : राजेन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 655, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र मंगवाने की दरें
एक प्रति: ₹ 22, विशेषांक : ₹ 30, वार्षिक : ₹ 230,
द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पते पर मेल करें ई-मेल : helpdesk1.dpd@gmail.com कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ई-मेल पर लिखें या संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष: 011-24367453 पर संपर्क करें।

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,
कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद

नयी दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011–24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011–23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022–27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033–22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044–24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471–2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040–27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080–25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612–2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522–2325455
अहमदाबाद	C/O (द्वारा) पीआईबी, अखंडानंद होल, द्वितीय तल, मदर टेरेसा रोड, सीएनआई चर्च के पास, भद्र	380001	079–26588669

संपादकीय

"नारी सशक्तीकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। वैसे अब ये मुद्दा महिला विकास का नहीं रह गया, बल्कि महिला के नेतृत्व वाले विकास का है।" प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह कथन भारतीय महिलाओं विशेष तौर से ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में बेहद सटीक है। चूंकि जब तक महिलाएं नेतृत्व के लिए आगे नहीं आएंगी तब तक उनका सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो सकता। महिलाओं को खुद से जुड़े फैसले लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए– सही मायने में हम तभी नारी सशक्तीकरण को सार्थक कर सकते हैं।

आज हमारे देश की महिलाएं खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष में उड़ान तक किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और देश के विकास में न केवल पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ रही हैं बल्कि अपनी उपलब्धियों से देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। लेकिन ये तस्वीर का केवल एक पहलू है। भारत के अधिकतर गांवों में अभी भी महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं और घर की चारदीवारी में रहने को मजबूर हैं। हमें समाज में ही नहीं, बल्कि परिवार के भीतर भी महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को रोकना होगा। नारी सशक्तीकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों तो निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं।

ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण ग्रामीण भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाना भारत सरकार का मुख्य दायित्व रहा है। इसलिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में महिलाओं के योगदान का भी प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को जहां भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वे सामाजिक अन्याय के खिलाफ भी खड़ीं हुई हैं। इन महिलाओं ने सकारात्मक परिवर्तन का सूत्रधार बनते हुए अन्य महिलाओं को भी शिक्षित व सशक्त बनाकर उनको अपनी आवाज तथा पहचान दिलाने में पुरजोर मेहनत की है।

देश का समग्र विकास महिलाओं को अनदेखा करके नहीं किया जा सकता। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस व्यवस्था के पश्चात देश भर में लाखों महिलाएं पंचायतों के नेतृत्व हेतु मैदान में आ गईं। महिलाओं के अस्तित्व और अधिकार को भी स्वीकार किया गया। संविधान का यह प्रावधान महिलाओं की छिपी शक्ति को उजागर करने का सार्थक कदम था। आज ग्राम पंचायत से जिला स्तर की संस्थाओं में महिलाएं निर्वाचित होकर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कई राज्यों ने तो महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी हैं। यद्यपि महिलाओं के लिए यह नया क्षेत्र है परन्तु उसका मुकाबला करते हुए महिलाओं ने अशिक्षित होने के बाद भी अपने–आप को ज्यादा संवेदनशील और बेहतर प्रशासक सिद्ध कर दिया है।

ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि जब भी महिलाओं को आगे आने का अवसर मिला है, उन्होंने इसका पूरा–पूरा उपयोग किया है। आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम कार्यकर्ता इसकी प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। पिछले कुछ समय में देश के कुछ हिस्सों में ग्रामीण महिलाओं ने अभूतपूर्व जाग्रति का परिचय दिया है। देश के कुछ भागों में चुनी हुई महिलाओं ने सामाजिक बुराइयों तथा अन्याय के प्रति संघर्ष का बिगुल बजा कर उन पर काबू पाने में आशातीत सफलताएं अर्जित कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस अंक में हमने चुनिंदा महिलाओं की सफलताओं का ज़िक्र किया है।

प्रत्येक महिला में उद्यमिता के गुण और मूल्य होते हैं। यदि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों तो निर्णय प्रक्रिया में बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं। देश में दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयंसहायता समूह की विशाल श्रृंखला इस कथ्य को सत्य साबित करने के लिए पर्याप्त है। आज देश में 7 करोड़ से अधिक महिलाएं करीब 70 लाख स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से जुड़ी हुई है और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' आंदोलन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज यह सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है, यह एक सामाजिक संवेदना और लोक शिक्षा का अभियान बन गया है। आज यह जरूरी है कि महिलाएं स्वयं को और अपनी शक्तियों को समझें। और ऐसा तभी संभव है जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर हो।

संक्षेप में, निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न–भिन्न भूमिकाएं जीते हुए, महिलाएं किसी भी समाज का स्तम्भ है। हमारे आसपास महिलाएं सहृदय बेटियां, संवेदनशील माताएं, सक्षम सहयोगी और अन्य कई भूमिकाओं को बड़ी कुशलता व सौम्यता से निभा रहीं हैं। इसके बावजूद उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार हैं। गांव हो या शहर, महिलाओं को उनके हिस्से का सम्मान और अधिकार मिल सके, इसके लिए समाज को जागरूक और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री के इस आह्वान के साथ "आइए, हम लड़कियों के जन्म होने पर खुशियां मनाएं। हमें अपनी बेटियों पर समान रूप से गर्व होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बेटी के पैदा होने पर पांच पौधे लगाकर खुशियां मनाएं।" यह अंक सुधि पाठकों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

महिला सशक्तीकरण पर आधारित इस अंक में शामिल लेखों में दी गई जानकारी और व्यक्त विचार कोविड–19 से उत्पन्न हुई परिस्थिति से पहले की पृष्ठभूमि में लिखे गए हैं।

कृषि और ग्राम समृद्धि में महिलाओं की भूमिका

–जे. पी. मिश्रा

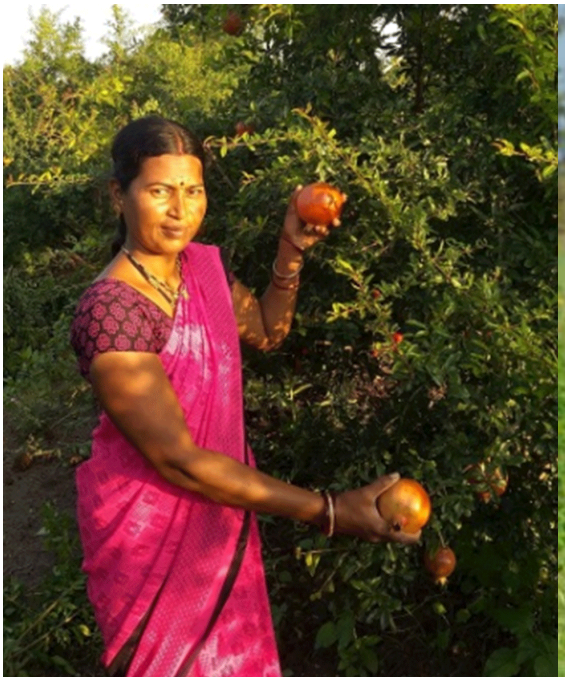
विश्व–स्तर पर, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने प्रमाणित किया है कि महिलाओं की भागीदारी एक राष्ट्र की समावेशी और स्थायी अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है। हम एक जीवंत अर्थव्यवस्था और समृद्ध समाज के बारे में तब तक नहीं सोच सकते हैं जब तक 50 प्रतिशत आबादी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल नहीं होती है। इसी के मद्देनज़र सरकार ने कई नूतन पहलें की हैं– महिलाओं के कौशल विकास और उनके नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए रियायती ऋण, हाल के कानून में मातृत्व अवकाश को दोगुना करना और 50 से अधिक लोगों को रोज़गार देने वाली कंपनियों में बच्चों की देखभाल जैसी सुविधाओं का महिला सशक्तीकरण और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15.5 प्रतिशत योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। एक आम ग्रामीण कृषि परिवार में महिलाएं कई आजीविका संबंधी कार्यनीतियां अपनाती हैं और अक्सर जटिल मसलों को निपटाती हैं। उसकी गतिविधियों में फ़सलों के उत्पादन के लिए कई कृषि कार्यों में भाग लेना, मवेशियों का रखरखाव, भोजन तैयार करने से लेकर कृषि या अन्य ग्रामीण उद्यमों में मज़दूरी करना, ईंधन और पानी लाना, व्यापार और विपणन में संलग्न होना, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना और अपनी गृहस्थी को चलाना है। हालांकि राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में इन गतिविधियों में से कई को आर्थिक रूप से सक्रिय रोज़गार के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है लेकिन वे ग्रामीण परिवारों के हित के लिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य हैं।

कृषि जनगणना, 2015–16 में एक बहुत ही आशाजनक तथ्य सामने आया है। इस जनगणना ने सिद्ध किया कि क्रियाशील महिला पट्टेदारों की हिस्सेदारी, जो 2010–11 में 12.79 प्रतिशत थी, 2015–16 में बढ़कर 13.87 प्रतिशत हो गई है। संचालित क्षेत्र के संदर्भ में, महिलाओं की हिस्सेदारी 10.36 प्रतिशत से बढ़कर 11.57 प्रतिशत हो गई। यह दर्शाता है कि अधिक से अधिक महिलाएं कृषि भूमि के प्रबंधन और संचालन में भाग ले रही हैं। महिला किसानों की राज्यवार वितरण संख्या, पट्टे का क्षेत्रफल और परिमाण चित्र–1 में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कुल महिला किसानों की संख्या में लगभग 92 प्रतिशत महिला किसान और उनके द्वारा संचालित क्षेत्र 12 राज्यों में हैं। महिला किसानों की औसत भूमि पट्टेदारी 0.9 हेक्टेयर है जबकि नगालैंड में यह सर्वाधिक 2.84 हेक्टेयर है।

कृषि और महिला रोज़गार

कृषि और यहां तक कि ग्रामीण घरेलू प्रबंधन के सभी कार्यों में केंद्रीय भूमिका महिलाओं द्वारा निभाई जाती है। वे फसल और बीज चयन से लेकर फसल कटाई और कटाई के बाद के प्रबंधन,





महिला सशक्तीकरण पर आधारित इस अंक में शामिल लेखों में दी गई जानकारी और व्यक्त विचार कोविड–19 से उत्पन्न हुई परिस्थिति से पहले की पृष्ठभूमि में लिखे गए हैं।

विपणन और प्रसंस्करण तक कृषि के सभी क्षेत्रों में शामिल हैं। अनुमान के मुताबिक, कृषि क्षेत्र में आर्थिक रूप से सक्रिय सभी महिलाओं का लगभग 4/5वां भाग संलग्न है। महिलाओं को डेयरी और पशुपालन के क्षेत्रों में भी स्पष्ट बढ़त हासिल है। डेयरी में 7.5 करोड़ के करीब और पशुपालन में 2 करोड़ महिलाएं संलग्न हैं जबकि डेढ़ करोड़ पुरुष डेयरी में और करीब इतने ही पशुपालन में संलग्न हैं।

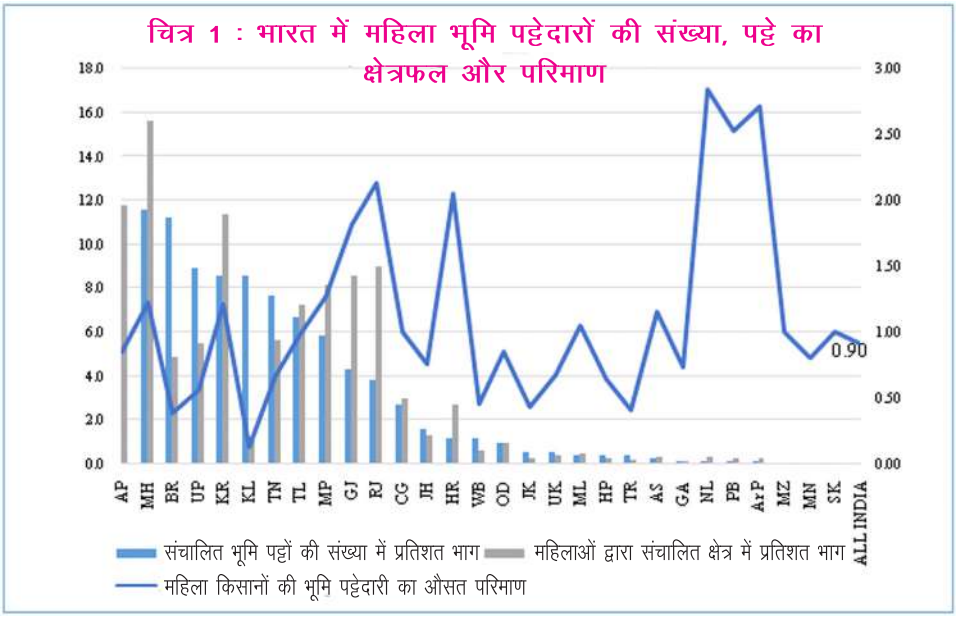
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कृषि (खेती करने वाले, खेतिहर श्रमिक जिनमें मज़दूर, सीमांत मज़दूर और कृषि की अन्य गतिविधियों से जुड़े श्रमिक हैं) में संलग्न सक्रिय रोज़गार आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के 1995 से 2019 तक के निकाले गए आंकड़े बताते हैं कि 1995 से महिला श्रमबल में लगातार कमी हुई है (चित्र–2)। फिर भी, कृषि में संलग्न महिलाओं का प्रतिशत 2019 में 54.6 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों का 39.5 प्रतिशत है। यह स्पष्ट है कि महिला श्रमिकों और महिला किसानों का योगदान कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों में पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक रहा है। बेहतर शिक्षा, वैकल्पिक रोज़गार के अवसरों तथा अधिकारों और संसाधनों तक पहुंच आदि के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण के कारण कृषि क्षेत्र से महिला श्रमबल का घटना एक स्वागत योग्य कदम है। हमारे जैसे विकासशील देश में, जहां शहरीकरण सामाजिक विकास व्यवस्था बन रहा है, महिलाओं का बड़ी संख्या में कृषि क्षेत्र से निकल कर सेवाओं और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ने की जरूरत है। पुरुषों की भागीदारी को देखा जाए तो पता चलता है कि महिलाओं की तुलना में उनमें यह अपेक्षाकृत कम है।

महिलाओं का कृषि विकास और ग्राम समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ग्रामीण महिलाएं न केवल फसल नियोजन और खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं बल्कि बागवानी, प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण, पशुधन पालन, मत्स्य पालन और कुटीर उद्योगों जैसी उन्नत मूल्य गतिविधियों में भी उनकी सार्थक भूमिका सर्वविदित है। यद्यपि ग्रामीण श्रमबल में महिलाओं का प्रमुख योगदान रहा है, लेकिन वे मज़दूरी, भूमि अधिकारों और समूह गतिविधियों में प्रतिनिधित्व से वंचित और अधिकारहीन हैं। महिलाओं के पास उत्पादक संसाधनों तक बहुत सीमित पहुंच है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी उत्पादकता सीमित है। महिला श्रमबल की जरूरतों और आकांक्षाओं को विगत में चलाए जा रहे ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में सही प्राथमिकता नहीं मिली।

ग्रामीण महिलाओं का वित्तीय समावेश

शहरी समूहों को विकसित करने और ग्रामीण भारत में शहरी सुविधाओं के सृजन के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के बावजूद भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था बना हुआ है। नाबार्ड के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस), 2016–17 ने संकेत दिया कि ग्रामीण आय की संरचना में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। जो कृषि ग्रामीण परिवारों के लिए कुछ साल पहले आय का एक बड़ा स्रोत हुआ करती थी, आज उसका स्थान कृषक और गैर–कृषक, दोनों घरों में परिवारों की कमाई के मामले में मज़दूरी, जिसमें श्रम मज़दूरी शामिल है, ने ले लिया है। हालांकि, कृषि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों का मुख्य व्यवसाय होने के कारण आज भी विकास और गरीबी घटाने का साधन है। नाबार्ड के अनुमान के अनुसार, सर्वेक्षण में भाग लेने वाली 60 प्रतिशत के लगभग महिला सदस्य घरेलू कार्य कर रही थीं और किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न नहीं थी। मज़दूरी/वेतनभोगी और अन्य श्रमसाध्य गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम थी। प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में पुरुषों का प्रभुत्व देखा गया जिसका प्रमाण ग्रामीण भारत में आय सृजन की मुख्य गतिविधियों में पुरुषों के उच्च अनुपात से स्पष्ट था (चित्र–3)।

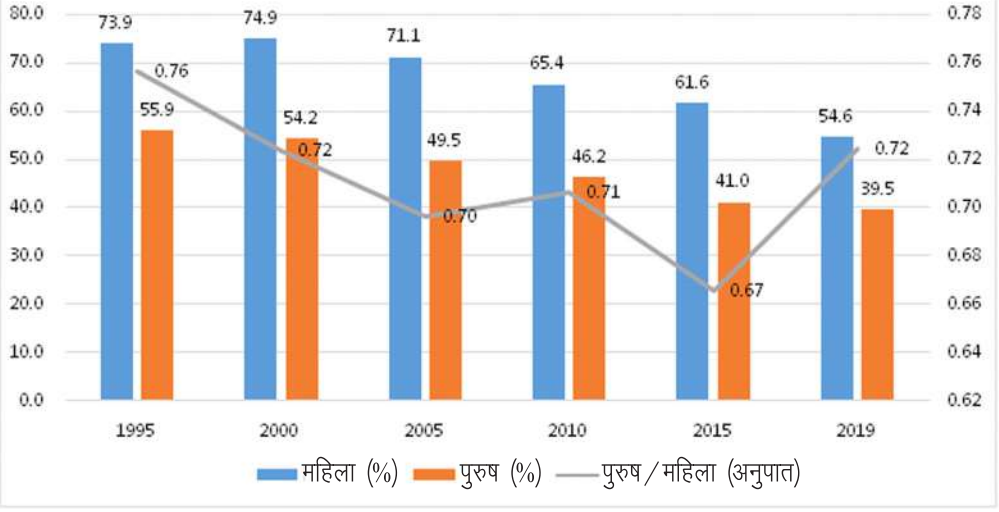
चित्र 1 : भारत में महिला भूमि पट्टेदारों की संख्या, पट्टे का क्षेत्रफल और परिमाण



(स्रोत : कृषि जनगणना, 2015–16)

नाबार्ड के सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार में संलग्नता और गतिविधियों में भारी लिंग अंतर का संकेत मिला। एक तरफ एक चौथाई से अधिक पुरुष, जिनमें किसान भी शामिल थे, स्वरोज़गार में संलग्न थे, वहीं सर्वेक्षण में भाग लेने वाली महिलाओं का केवल एक–बीसवां (4.8 प्रतिशत) भाग स्वरोज़गार कर रहा था। लोक निर्माण कार्यों में अनियमित श्रमकार्य दूसरी सबसे प्रमुख गतिविधि के रूप में सामने आया जिसमें 21 प्रतिशत पुरुष और 5.7 प्रतिशत महिलाएं संलग्न थी। एक बड़ी संतुष्टि यह थी कि लगभग 16 प्रतिशत पुरुषों और 12.3 प्रतिशत महिलाओं का

चित्र–2: कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों में रोज़गार प्राप्त पुरुष और महिला (सक्रिय रोज़गार आयु वर्ग) का प्रतिशत



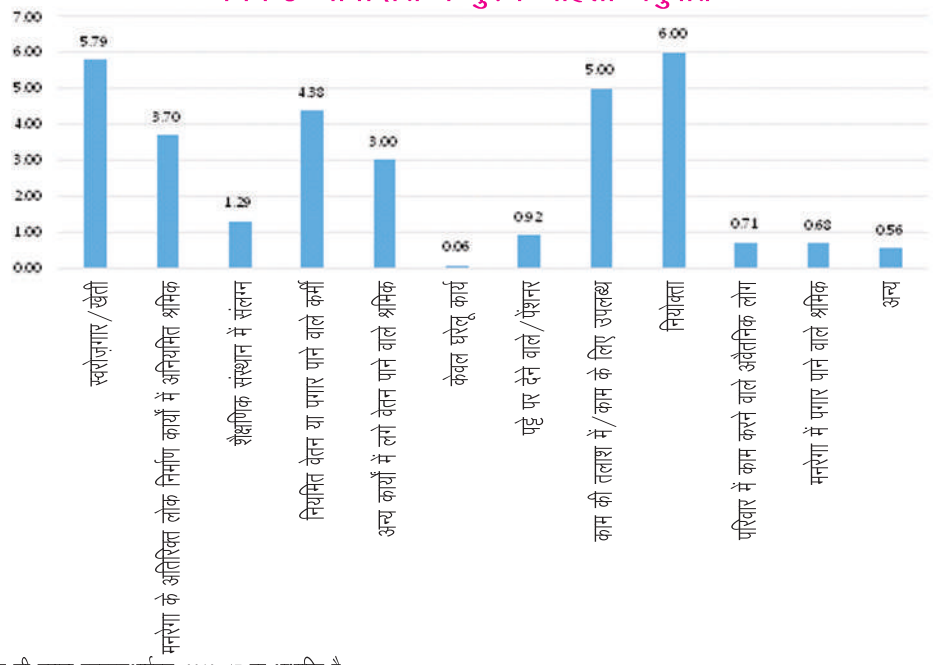
शैक्षणिक संस्थानों में एक गतिविधि के रूप में भाग लेने का पता चला। नियमित वेतनभोगी या वेतनकर्मी के रूप में काम करने वालों में पुरुष 14 प्रतिशत थे जबकि महिलाएं मात्र 3.2 प्रतिशत थी। महिलाओं की मज़दूरी/वेतनभोगी या अन्य श्रमकार्यों आदि में भागीदारी बहुत कम थी क्योंकि लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं केवल घर के कामों में ही लगी हुई थीं और किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न नहीं थी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्रामीण भारत की एक बड़ी आबादी का बेहतर उत्पादन के लिए अभी भी आर्थिक रूप से उपयोग नहीं होता है। यह हमारी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणालियों के समक्ष इस आर्थिक रूप से सजग आबादी को आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से कुटुंब–आधारित समूहों की गतिविधियां जो ग्रामीण भारत के रीति–रिवाज़ों के सामाजिक तानेबाने के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है, में शामिल करने के लिए मज़बूत बनाने की गंभीर चुनौतियां हैं।

तालिका–1 से यह स्पष्ट है कि भारत में तेज़ी से होने वाला शहरीकरण अभी भी समावेशी नहीं हो पाया है और महिलाओं को श्रमबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियां घट रही हैं और पर्याप्त संख्या में ग्रामीण महिलाएं शहरी क्षेत्रों में काम करने के लिए आने–जाने में सक्षम नहीं हैं। इसका स्पष्ट कारण शहरों में रोज़मर्रा आकर काम करने की इच्छुक महिला श्रमिकों के लिए संपर्क की बेहद कमी और सुरक्षा उपायों का अभाव है। यह अधिक सुरक्षा उपायों और बेहतर सार्वजनिक सुरक्षा तथा अधिक सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के लिए कड़े उपायों की मांग करता है। यह कमी किसी भी मानदंड पर बहुत अधिक है और दुर्भाग्य से समय के साथ इसमें वृद्धि हो रही है।

ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय जानकारी और अनुशासन

ऐसा नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक है। अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016–17 ने संकेत दिया कि महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में समान और गहन वित्तीय ज्ञान है और साथ ही, अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में उनका बेहतर वित्तीय दृष्टिकोण है। सर्वेक्षण में भाग लेने वाली 53.5 प्रतिशत से अधिक महिलाओं का वित्तीय व्यवहार अच्छा–खासा था जो लगभग पुरुषों (57.7 प्रतिशत) के बराबर था। जबकि कृषक और गैर–कृषक परिवार वित्तीय जानकारी और वित्तीय ज्ञान में तुलनीय थे लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण और गहन वित्तीय व्यवहार में उनमें व्यापक अंतर दिखाई दिया। गैर–कृषक परिवारों की तुलना में कृषक परिवार सकारात्मक वित्तीय दृष्टिकोण में तुलनात्मक रूप से कम थे, लेकिन वित्तीय

चित्र 3: भागीदारी में पुरुष–महिला अनुपात



लेखक की गणना एनएएफआईएस, 2016–17 पर आधारित है

तालिका–1 : ग्रामीण भारत में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में शामिल पुरुष और महिला का प्रतिशत

रोज़गार	पुरुष (प्रतिशत)	महिला (प्रतिशत)
किसान और अन्य स्वरोज़गारी	27.8	4.8
लोक निर्माण (मनरेगा के अलावा) में अनियमित श्रमिक के रूप में कार्य	21.1	5.7
शैक्षणिक संस्थान/गतिविधि में संलग्न	15.9	12.3
वेतनभोगी (नियमित और/या दिहाड़ी मज़दूर)	14.0	3.2
दिहाड़ी मज़दूर –मनरेगा	1.5	2.2
अन्य कार्य – दिहाड़ी मज़दूर	5.7	1.9
केवल घरेलू कार्य	3.6	59.4
पट्टे पर देने वाले/सेवानिवृत्त/पेंशनर	2.4	2.6
नियोक्ता	1.8	0.3
अवैतनिक परिवार में काम करने वाले	1.7	2.4
काम नहीं किया, लेकिन काम की तलाश में/ उपलब्ध हैं	2.5	0.5
अन्य विविध गतिविधियों में संलग्न	2.5	2.5

व्यवहार में उनसे बेहतर थे। इन आंकड़ों का आशय है कि अवसर मिलने पर महिलाओं को उनके पुरुष सहयोगियों के समान आर्थिक रूप से उत्पादक बनाया जा सकता है।

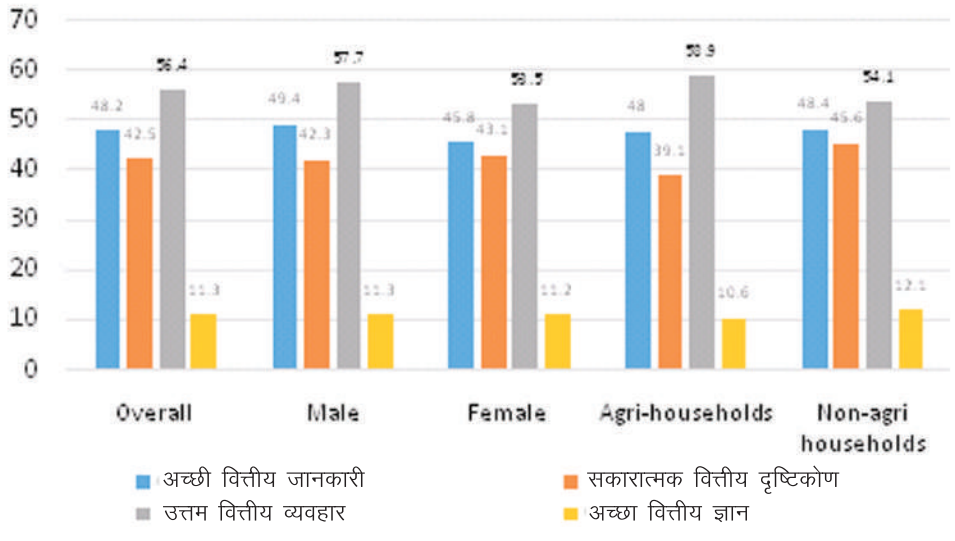
ग्रामीण महिलाओं को जुटाना

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और महिला किसानों तक पहुंचना, भारत के ग्रामीण विकास के इतिहास में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। दिसंबर, 2019 तक मिशन के तहत स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) में जुटाई गई कुल ग्रामीण महिलाओं की संख्या 6.47 करोड़ थी। कार्यक्रम के तहत 64.39 लाख एसएचजी को 8334 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता देकर बढ़ावा दिया गया है। भारत में बैंकिंग प्रणाली ने महिलाओं के स्वयंसहायता समूहों को खुले हाथ से सहायता प्रदान की जिसमें इन समूहों द्वारा 2.59 लाख करोड़ रुपये बैंक ऋण प्राप्त किया जाना शामिल है। एसएचजी के अलावा 63 लाख महिला किसानों को आजीविका अर्जित करने के उपायों के लिए भी सहायता प्रदान की गई। मूल्य शृंखला पहलों के तहत लगभग 1.47 लाख एसएचजी सदस्यों को सहायता प्रदान की गई। अब तक, 7.05 करोड़ सदस्यों के साथ 64.39 लाख एसएचजी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्थापित और पुनर्जीवित किया गया है। हमें इसकी बहुत संतुष्टि है कि कम आय वाले पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ने इस प्रयास में बेहद उत्साह से भाग लिया (चित्र–5)। एक अन्य प्रमुख ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम मनरेगा के तहत महिला श्रमिकों को अधिक से अधिक रोज़गार प्रदान करके इस आंदोलन को जारी रखने की आवश्यकता है।

वित्तीय संस्थानों की भूमिका

आज जब एनआरएलएम के तहत ग्रामीण भारत में एसएचजी आंदोलन सही दिशा में अग्रसर है, बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऐसे एसएचजी के वित्तीय सशक्तीकरण के लिए सक्रिय पहुंच बनाने की आवश्यकता है। चित्र–6 में प्रस्तुत एनआरएलएम के तहत एसएचजी के बैंकों से संयोजन के आंकड़ों से पता चला कि अखिल भारतीय आधार पर केवल 77.3 प्रतिशत एसएचजी बैंकों के साथ जुड़े हैं। कुछ पूर्वी राज्यों जैसे बिहार (37.8 प्रतिशत), झारखंड (47.2 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (72.7 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (77.2 प्रतिशत) में यह संख्या हतोत्साहित करती है। यह संख्या सबसे कम राजस्थान (18.8 प्रतिशत) में है। कार्यशील पूंजी और एसएचजी के अन्य संसाधनों के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे वे ग्रामीण भारत की समृद्धि में भाग लेने के लिए अधिक जीवंत बनें।

चित्र–4 : ग्रामीण और कृषि परिवारों में वित्तीय जानकारी, दृष्टिकोण और व्यवहार (प्रतिशत)



स्रोत : नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016–17

राज्यों से सीख

शहरी और ग्रामीण कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के अनुमान और तथ्य इस बात पर बल देते हैं कि इसे शिक्षा, कौशल, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सामाजिक विकास के मोर्चे पर समग्र रूप से संचालित किया जाना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों से सकारात्मक संकेत उभर रहे हैं जिन्हें लॉजिस्टिक्स और प्रौद्योगिकी के उचित प्रबंधन के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज प्राथमिक और माध्यमिक–स्तर की स्कूली शिक्षा ज्यादातर युवा महिलाओं द्वारा संचालित होती है, जो अधिक समय तक स्कूल में रहती हैं। भारत को महिला कार्यबल की विकास क्षमता को साकार करने के लिए एक सामाजिक क्रांति के उदय की आवश्यकता है। नई सफलता हासिल करने के लिए केवल घरेलू कार्यों में जुटी रहने वाली महिलाओं के रुख को पलटना होगा। विश्व–स्तर पर समाज विकसित हुए और समाज को समृद्ध बनाने में युवतियों और महिलाओं के योगदान को गौरवान्वित करके समृद्ध बने। महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण गरीबी में कमी के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ है क्योंकि महिलाएं अपनी कमाई का अपने बच्चों और समुदायों में अधिक निवेश करती हैं।

विश्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के सहयोग से भारत के कई राज्यों ने आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रगतिशील कार्य शुरू किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और महिलाओं के स्वयंसहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से पिछले 15 वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा 3 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है। इसने 4.5 करोड़ से अधिक गरीब ग्रामीण महिलाओं को कौशल, बाज़ारों और व्यवसाय विकास सेवाओं तक पहुंचने का अवसर प्रदान किया, जिनमें से कुछ सफल उद्यमी और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनीं। परिवार में महिला सदस्यों की आय में वृद्धि से खाद्य पदार्थों और आर्थिक प्रबंधों तक उनकी पहुंच बढ़ी है और उनके परिवारों के साथ–साथ समुदायों को भी लाभ हुआ है।

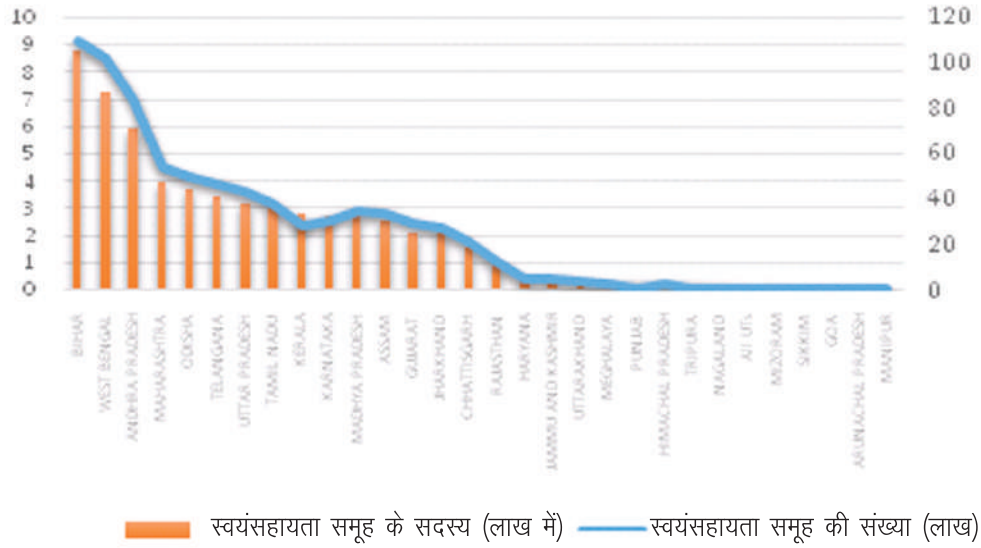
कौशल विकास

अक्सर महिलाओं की रोज़गार क्षमता और कार्यस्थल पर उनकी दक्षता और उत्कृष्ट उत्पादकता को घटाने के सबसे बड़े कारणों में से एक है किसी विशेष कंपनी या एजेंसी की रोज़गार आवश्यताओं के अनुरूप कौशल की कमी होना। 'स्किल इंडिया' मिशन को ऐसी ज़रूरतों का पता लगाने और इच्छुक महिला श्रमिकों को भावी नियोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने की ज़रूरत है जिससे उन्हें आवश्यक कौशल प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कुछ इस तरह से बनाना चाहिए कि वे महिला श्रमबल की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो और ऐसा सुरक्षित परिवहन, लचीले शेड्यूल और बच्चों की देखभाल संबंधी सहूलियतों को प्रदान करने के माध्यम से किया जा सकता हो। एनआरएलएम के अंतर्गत झारखंड में चलाए जाने वाले अनेक मॉडल जैसे महिला मेसन, कृषि सखी और पशु सखी और विश्व बैंक के मॉडल जिसके तहत किशोर लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा पूरी करने और रोज़गार बाज़ार में कामयाबी के लिए सलाह देने वाली सेवाएं उपलब्ध हैं, उपयुक्त रूप से उन्नत बनाए जाने चाहिए। राजस्थान और अन्य जगहों पर केवल छात्राओं के लिए बनाए जाने वाले छात्रावासों जैसे प्रयासों को बढ़ाया दिया जाना चाहिए।

सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन

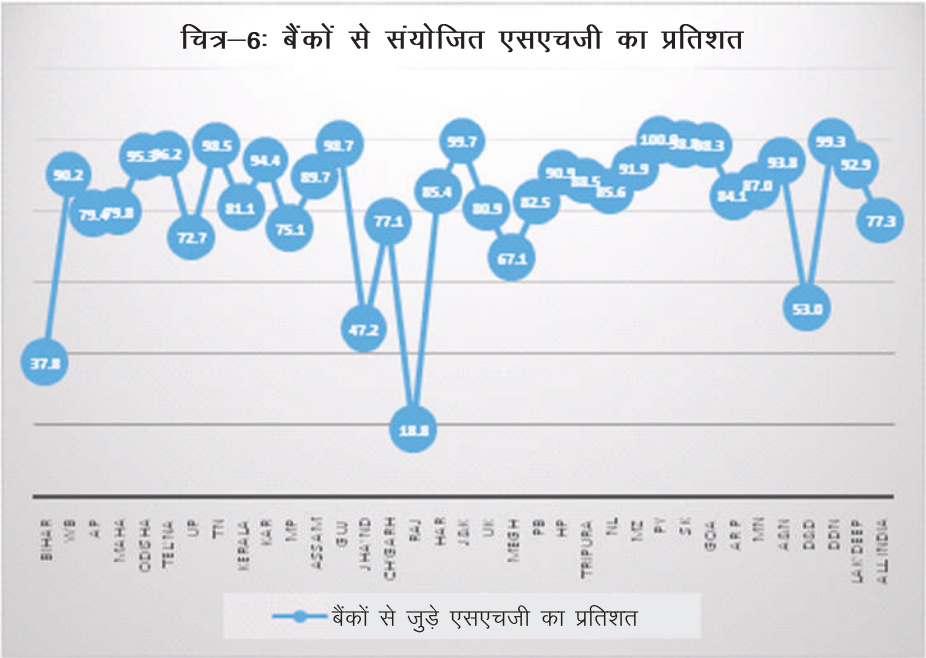
जब तक समाज के अन्य 50 प्रतिशत साझेदारों में सामाजिक और व्यावहारिक बदलावों का असर नहीं होता तब तक विकास से जुड़ी परियोजनाएं अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होंगी। सामाजिक शोधों ने यह सिद्ध किया है कि महिलाएं कौशल कार्यक्रमों को पूरा करने और नौकरी पाने के बाद भी परिवार के दबाव में उसे छोड़ देती हैं। इसलिए विवाह, काम और घरेलू कार्यों से जुड़े सामाजिक मानकों को बदलकर विकासात्मक प्रयासों को उपयुक्त रूप से पूरक बनाने की आवश्यकता है। समाज को अपनी ज़िम्मेदारी समझ

चित्र–5: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयंसहायता समूह (एसएचजी)



(ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डाटाबेस से उद्धरित)

चित्र–6: बैंकों से संयोजित एसएचजी का प्रतिशत



कर पुरुषों का लालन–पालन करना चाहिए जिससे वे युवतियों और महिलाओं का सम्मान करना सीखें। परोपकार का आरम्भ घर से ही होता है। इसलिए परिवार के रूप में हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारी लड़कियां भावी पेशेवरों की तरह सक्षम बनें।

आवागमन में आराम और यात्रा करते समय सुरक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमबल के सशक्तीकरण में मील का पत्थर सिद्ध होगा। सरकार को स्टेशनों और वहां से उनके बहुधा दूर बसे घरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। तमिलनाडु में सुरक्षित कामकाजी वातावरण महिलाओं को अपने गांव और घरों से दूर परिधान निर्माण क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने में सक्षम सिद्ध हुआ है। लड़कियां अपने निर्धन परिवारों के लिए आजीविका अर्जित करने वाली बन गई हैं और परिवार के अन्य सदस्यों को शिक्षा प्राप्त करने आदि में आर्थिक रूप से सहयोग कर रही हैं। ठहरने के लिए सुरक्षित छात्रावास की सुविधा ने उनके माता–पिता को उन्हें घर से दूर रहने और काम करने की अनुमति प्रदान करने की हिम्मत दी है।

निष्कर्ष

कौशल विकास के लिए सरकार की कई नूतन पहलें, महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए रियायती ऋण और हाल के कानून में मातृत्व अवकाश को दोगुना करना, और 50 से अधिक लोगों को रोज़गार देने वाली कंपनियों में बच्चों की देखभाल जैसी सुविधाओं का महिला सशक्तीकरण और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। भारत में कुल कार्यबल में महिलाओं की संख्या कम है क्योंकि केवल 27 प्रतिशत वयस्क भारतीय महिलाओं को 2012 में नौकरी मिली थी, और अधिक गंभीर बात तो यह है कि, लगभग 2 करोड़ महिलाएं 2005 और 2012 के दौरान कार्यबल से वापस लौट गई थीं। जहां तक महिला श्रमबल में भारत की भागीदारी का संबंध है, एक वैश्विक परिदृश्य में, भारत 131 देशों में से 120 वें स्थान पर है। भारत में लिंग–आधारित हिंसा की स्थिति बिगड़ती जा रही है जो इस दशा को और विकट बना रही है।

तमाम बाधाओं के बावजूद, भारत ने 1991 के सुधारों के बाद एक प्रभावशाली यात्रा शुरू की। 1994 से 2012 की अवधि के दौरान लगभग 13.3 करोड़ लोग गरीबी–रेखा से बाहर निकले। समन्वित और ठोस प्रयासों से ऐसा संभव हो सका। लेकिन अभी तक यात्रा पूरी नहीं हुई है। ग्रामीण भारत के गौरवशाली परिवर्तन और आर्थिक सशक्तीकरण की इस यात्रा में महिला कार्यबल की अधिक भागीदारी के कारण यह उपलब्धियां और भी अधिक आशाजनक और प्रभावशाली हो सकती हैं।

विश्व–स्तर पर, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने प्रमाणित किया है कि महिलाओं की भागीदारी एक राष्ट्र की समावेशी और स्थायी अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है। हम एक जीवंत अर्थव्यवस्था और समृद्ध समाज के बारे में तब तक नहीं सोच सकते हैं जब तक 50 प्रतिशत आबादी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल नहीं होती है। भारत विश्व की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि, चीन की तुलना में जहां महिलाएं आर्थिक गतिविधियों और विकास में लगभग 40 प्रतिशत योगदान देती हैं, वहीं भारतीय महिलाओं का योगदान लगभग 17–18 प्रतिशत (विश्व बैंक का अनुमान) है जो वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। अनुमानों से पता चलता है कि देश के कार्यबल में 50 प्रतिशत महिलाओं को शामिल करके भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को 1.5 प्रतिशत अंक तक बढ़ाया जा सकता है।

अंत में, यदि आवश्यक हो तो कई सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत बाधाओं को दूर कर दिया जाना चाहिए जिससे आबादी के आधे भाग को सशक्त बनाने और ग्रामीण और कृषि समृद्धि में भागीदारी सुनिश्चित करना सुगम हो। यह पुराने ढंग के कानून और नीतियों को पुनः जांचने और उन्हें सुधारने का उपयुक्त समय है जो श्रम बाज़ार में प्रवेश करने या पैर ज़माने वाली महिलाओं को हतोत्साहित करते हैं।

(लेखक नीति आयोग में सलाहकार (कृषि) रह चुके हैं और वर्तमान में आईसीएआर, नई दिल्ली में ओएसडी (पॉलिसी, प्लानिंग एंड पार्टनरशिप) के रूप में कार्यरत हैं।)

ई–मेल : jp.mishra67@gov.in

स्वस्थ एवं पोषित महिलाएं सशक्त राष्ट्र की आधारशिला

–संतोष जैन पासी, आकांक्षा जैन

परिवार के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार लाने के लिए महिला सशक्तीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि महिलाओं का अक्सर प्राथमिक देखभाल करने में अहम् योगदान होता है इसलिए वे अपने बच्चों के पोषण–स्तर को प्रत्यक्ष (बच्चे की सही देखभाल के माध्यम से) एवं अप्रत्यक्ष रूप से (अपने यानी स्वयं के अच्छे पोषण/स्वास्थ्य–स्तर के ज़रिए) अत्यधिक प्रभावित कर सकती हैं। यह तो विभिन्न अध्ययनों से भी प्रमाणित हो चुका है कि महिला सशक्तीकरण का स्त्रियों के अपने स्वास्थ्य के साथ–साथ उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

पिछले कुछ दशकों से जनसमुदाय का सशक्तीकरण – विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तीकरण, विश्वभर का ध्यान आकर्षित कर रहा है। महिला सशक्तीकरण न केवल सामाजिक न्याय व समानता के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) की प्राप्ति का भी एक ज़रिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुल 17 सतत विकास लक्ष्यों में, मुख्यतः गरीबी कम करने (लक्ष्य–2) के साथ–साथ लोगों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा–स्तर (लक्ष्य–3 व लक्ष्य–4) में सुधार लाने वाले लक्ष्य भी सम्मलित हैं।

शोधकार्य दर्शाते हैं कि महिलाएं (माताएं एवं प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में) परिवार के सभी सदस्यों–विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी परिणामों को प्रभावित करने की अधिक क्षमता रखतीं हैं। इसलिए, हर एक राष्ट्र की नीतियों व कार्यक्रमों की योजना के साथ–साथ कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु महिला सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए या कार्यान्वित किए गए हैं किंतु इस लेख में मुख्य रूप से पारिवारिक/घरेलू–स्तर पर महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सशक्तीकरण पर ज़ोर दिया गया है।

विभिन्न अध्ययनों से प्रमाणित हो चुका है कि महिला सशक्तीकरण का स्त्रियों के अपने स्वास्थ्य के साथ–साथ उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शोध यह भी



इशारा करते हैं कि मातृ–स्वायत्तता के विभिन्न उपाय शिशु की खानपान संबंधी उपयुक्त आदतों एवं बाल विकास परिणामों के अनुकूल हैं। साथ ही, यह भी कहा गया है कि मातृ–स्वायत्तता सकारात्मक रूप से बच्चों के पोषण–स्तर से संबंधित हैं– ख़ासतौर पर 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए।

इसके विपरीत, महिलाओं में असशक्तता होने से अक्सर उन्हें समय की कमी, घरेलू संसाधनों पर न के बराबर नियंत्रण, हीन–भावना और मानसिक अस्वस्थता के साथ–साथ स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की अपर्याप्त जानकारी व सीमित उपयोग की अक्सर संभावना रहती है। शोध एवं प्रमाणों ने सिद्ध कर दिया है कि घरेलू हिंसा से ग्रस्त महिलाओं (असशक्तता का एक संकेतक) के स्वयं के पोषण व स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है, साथ–साथ परिवार के अन्य सदस्यों (विशेषकर बच्चों) के पोषण एवं स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

घरेलू मुद्दों के संदर्भ में महिला सशक्तीकरण रोज़गार संबंधी गतिविधियों और उनसे जुड़े उपयुक्त निर्णय लेने में स्पष्ट रूप से सहायक हैं जो आगे चलकर उनके परिवारों के पोषण व स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों को प्रभावित करते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल पारिवारिक सदस्यों व बच्चों (देश के भावी नागरिक) की भलाई के लिए ही अपितु राष्ट्र के विकासात्मक मुद्दों को संबोधित करने के लिए भी अत्यंत ज़रूरी है। महिला सशक्तीकरण को माताओं एवं बच्चों में कुपोषण की दरों में कमी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जोकि ख़ासतौर पर निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले देशों में स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों अथवा बोझों का एक प्रमुख कारण है। सशक्तीकरण से महिलाओं को उनकी आंतरिक क्षमताओं का एहसास, संसाधनों तक पहुंचने के अधिकार, निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ–साथ स्वतंत्र रूप से समाधानों का चयन करने की शक्ति मिलती है– दोनों ही घर के भीतर व घर के बाहर।

पोषण व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के जरिए महिला सशक्तीकरण मापने के कुछ घरेलू–स्तरीय संकेतक

- घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी:
  - आर्थिक निर्णय (वित्त, व्यय, संसाधन आवंटन);
  - सामाजिक और घरेलू मामले (जैसे विवाह आदि);
  - बच्चों से संबंधित निर्णय (जैसे स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण);
- घरेलू संसाधनों पर महिलाओं की पहुंच/नियंत्रण (नकदी, संपत्ति, आय इत्यादि) के साथ–साथ उन्हें घर से बाहर जाने–आने की स्वतंत्रता);
- पति–पत्नी के मध्य अधिकारों व घरेलू आय–व्यय संबंधित मसलों का आदान–प्रदान; सामाजिक वर्गीकरण; गृहणियों में आत्मसम्मान की भावना का स्तर।

वास्तविक अर्थों में, महिलाओं का सशक्तीकरण तभी होगा जब उनकी स्थिति में सुधार लाने के साथ ही वे सामाजिक बदलावों को प्रभावित करने में भी सक्षम होंगीं फिर चाहे वे सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे ही क्यों न हों ताकि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर की भूमिका अदा कर सकें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों व समानताओं पर पर्याप्त ज़ोर देते हुए महिलाओं के अधिकारों के बारे में एक शक्तिशाली जनादेश सुनिश्चित किया गया है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के सशक्तीकरण संबंधी नए अवसर व संभावनाएं उभरीं हैं किन्तु मौजूदा सामाजिक व आर्थिक समस्याएं एवं चुनौतियां लैंगिक समानता और महिलाओं के समुचित सशक्तीकरण में बाधाएं उत्पन्न कर रहीं हैं। हमारे देश के अधिकांश प्रांतों में सदियों से प्रचलित पितृसत्तात्मक व्यवस्था, महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से असशक्त करके उनके अधिकार प्राप्ति में बाधा डालती है। महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों की गंभीरता और महत्व को समझते हुए, हमारी सरकार ने महिलाओं के आत्मसम्मान को बरक़रार रखने के साथ–साथ उनके उत्थान के लिए कई एक योजनाओं की शुरुआत की है ताकि उन्हें देश के विकास और अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक अवसर तथा समान भागीदारी मिल सके।

भारत सरकार ने स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के उपरांत, इन मुद्दों से जुड़े कई एक आवश्यक कदम उठाए हैं और साथ ही, महिलाओं के प्रति सामाजिक हिंसा व बुराइयों को कम करने के लिए कई एक महत्वपूर्ण कानून/अधिनियम भी लागू किए हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 (एनएफएचएस–4; 2015–16) के पोषण व स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि 15–49 आयु वर्ग की महिलाओं में से 22.9 प्रतिशत कम वज़न वाली (बीएमआई 18.5 किलोग्राम/मी^{2}) और 53.1 प्रतिशत एनीमिया ग्रस्त पाईं गईं। साथ ही, गर्भवती महिलाओं में से केवल 21 प्रतिशत ने ही प्रसवपूर्व देखभाल की सुविधाओं का लाभ उठाया था।

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) बुलेटिन के अनुसार, वर्ष 2015–17 में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 122 था। यानी प्रति 1,00,000 जीवित जन्में नवजातों में से 122 की माताएं जीवित नहीं रहीं। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 41 थी जिसका अभिप्राय है कि प्रत्येक 1000 जीवित जन्में बच्चों में से 12 महीने की आयु से पहले ही 41 शिशुओं की मृत्यु हो जाना; और ऐसे ही अंडर 5 मृत्यु दर (यू5एमआर) 50 थी। यानी प्रति 1000 जीवित जन्में बच्चों में से 50 बच्चों की अपने पांचवे जन्मदिन से पहले ही मृत्यु हो जाना। ये सभी सूचकांक काफी हद्द तक माता के पोषण–स्तर और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करते हैं।

हमारी सरकार ने महिलाओं में कुपोषण निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इस मुद्दे को हल करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय का मुख्य मिशन महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि वे अपनी गरिमा

बरक़रार रख सकें और साथ ही, हिंसा व भेदभाव–मुक्त वातावरण में राष्ट्रीय विकास हेतु समान भागीदार बन सकें। अतः क्रॉस–कटिंग नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने, लैंगिक मुद्दों को मुख्यधारा में लाने और जागरूकता पैदा करने के साथ–साथ उनके मानवाधिकारों को मान्यता प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए संस्थागत आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दिशा में महिलाएं क्षमतापूर्वक अपना पूरा योगदान दे सकें।

इसे मद्देनज़र रखते हुए देशभर में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली कई योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए हैं–

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई): विशेष रूप से कमज़ोर सामाजिक–आर्थिक स्तर (अनु.जाति, अनु.जनजाति तथा गरीबी–रेखा से नीचे के परिवारों) से संबंधित गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप।

वर्ष 2016 में शुरू किया गया **प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान** (पीएमएसएमए) देशभर में गर्भवती महिलाओं की व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का यह प्रमुख कार्यक्रम है जोकि महिलाओं में प्रचलित कुपोषण को संबोधित करता है। इसके घटकों में शामिल हैं– एनीमिया–मुक्त भारत; ग्रामीण स्वास्थ्य व पोषण दिवसों और स्वच्छता व पोषण दिवसों का आयोजन (मातृ एवं शिशु की देखभाल संबंधी जागरूकता पैदा करने के साथ–साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए); आयरन और फोलिक एसिड पूरकता (आईएफए सप्लीमेंटेशन); कैल्शियम पूरक/सप्लीमेंट्स और आयोडीन–युक्त नमक के सेवन को बढ़ावा देना।

अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम/योजनाएं

- **आंगनवाड़ी सेवा योजना :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के साथ–साथ उनकी मृत्युदर, रुग्णता एवं कुपोषण की समस्या को कम करना। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को पूरक आहार, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान की जाती हैं– ये सभी सामूहिक रूप से महिलाओं के पोषण–स्तर व स्वास्थ्य–स्तर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

भारत में महिलाओं के प्रति सामाजिक बुराईयां/अपराध दूर करने हेतु स्वतंत्रता–पूर्व लागू किए गए कुछ महत्वपूर्ण कानून/अधिनियम

- हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856
- कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम, 1870
- विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, 1874
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929
- विवाहित हिंदू स्त्री संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937

आज़ादी के बाद से अब तक महिलाओं के हितों को संरक्षित करने हेतु विभिन्न कानून/अधिनियम

- स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
- अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, 1956
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, 1986
- सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना :** मातृत्व लाभ के इस कार्यक्रम को जनवरी, 2017 में शुरू किया गया। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को संबंधित शर्तों को पूरा करने पर 5,000 रुपये का नकद लाभ (तीन किश्तों में) दिया जाता है। इसके लिए संबंधित शर्तें हैं– गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण, प्रसव–पूर्व जांच, बच्चे के जन्म का पंजीकरण और टीकाकरण के पहले चक्र को पूरा करना (ये नकद लाभ केवल पहले जीवित बच्चे के लिए लागू होगा)। इन लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत भी प्रोत्साहन राशि मिलती है। अतः एक महिला को उसके पहले जीवित बच्चे के जन्म के लिए औसतन, 6,000 रुपये का नकद लाभ दिया जाता है।
- **राष्ट्रीय क्रेच योजना (पूर्ववर्ती राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना):** इसके अंतर्गत साल 2017 के बाद से छोटे बच्चों के लिए सोने की सुविधा सहित दिनभर देखभाल सुविधाएं (डे–केयर) प्रदान की जाती हैं। इनके अतिरिक्त

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति 2016 (ड्राफ्ट) के अनुसार, महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्र



- बढ़ती हुई मातृ मृत्युदर (एमएमआर) और शिशु मृत्युदर (आईएमआर)।
- आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमताओं में वृद्धि; और पिछड़े क्षेत्रों में घर में जन्में बच्चों के जन्म–संबंधित पेशेवरों की कुशलता को बढ़ावा देना।
- गर्भवती महिलाओं/धात्री माताओं को प्रभावित करने वाली बीमारियों (जैसे एनीमिया, कुपोषण आदि) की रोकथाम और उपचार के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना और पोषण व स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष अभियान शुरू करना।
- महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को मान्यता देना– लिंग विशिष्ट स्वास्थ्य रणनीतियों का निर्धारण एवं कार्यान्वयन।
- मातृ स्वास्थ्य के अलावा, उपयुक्त कुशल रणनीतियों व हस्तक्षेपों के ज़रिए संचारी और गैर–संचारी रोगों (हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, मानसिक विकार, एचआईवी/एड्स आदि) के साथ–साथ महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित करना।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति (2014; पहले से ही लागू है) के तहत् विशेष रूप से प्राथमिक–स्तर पर समय–समय पर जांच, देखभाल और उपचार की सुविधा के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण और साथ ही भेदभाव, हिंसा और दुर्व्यवहार आदि के फलस्वरूप मानसिक विकारों के बढ़ते जोखिम वाली महिलाओं की पहचान करना।
- महिलाओं के शारीरिक व मनोवैज्ञानिक कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए उचित स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेप।
- रजोनिवृत्त महिलाओं को उनकी शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं (जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग, अवसाद आदि) से निपटने के लिए उपयुक्त जांच व स्वास्थ्य की देखभाल करना।
- निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास/उपशामक स्वास्थ्य देखभाल सहित महिलाओं (आयु 60 वर्ष से कम) के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मज़बूत करना।
- किशोरियों के पोषण/स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
- किशोरियों की यौन और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर विशेष ज़ोर देना।
- सरोगेट्स के लिए हेल्थकेयर कवरेज (गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के बाद और कई भ्रूणों के कारण होने वाले संक्रमण के जोखिम को रोकने के लिए उपचार)
- पहले 1000 दिनों के लिए (गर्भाधान से 2 साल बाद तक 270 + 365 + 365 दिन) निरंतर पोषण संबंधी देखभाल पर विशेष ध्यान देने के साथ–साथ कुपोषण/अंडर न्यूट्रिशन के पीढ़ी–दर–पीढ़ी चलने वाले चक्र को संबोधित करने हेतु उचित हस्तक्षेप व सेवाओं को मज़बूत करना।
- पोषण और स्वास्थ्य संबंधी भिन्नताओं के संदर्भ में, लड़कियों और महिलाओं के लिए उचित रणनीति तैयार करना ताकि अंतर–घरेलू भेदभाव को मिटाया जा सके।
- सार्वजानिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से विशेषकर निराश्रित महिलाओं और अनचाहे बच्चों के लिए (उनकी अत्यधिक संवेदनशीलता को मद्देनज़र रखते हुए) पौष्टिक एवं सुरक्षित भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ख़ासतौर पर कमज़ोर और सतायी हुई महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए आरएसबीवाई सहित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार।

अतः यह नीति विशेष तौर पर यह सुनिश्चित करती है कि जीवन चक्र के सभी चरणों के दौरान महिलाओं के पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए क्योंकि वे अक्सर पोषण संबंधी कमियों के जोखिम से जूझती रहती हैं। इसलिए, महिलाओं के जीवन चक्र के प्रत्येक चरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है– गर्भावस्था तथा शिशु के जन्म उपरांत (एएनसी/पीएनसी; उचित भ्रूण वृद्धि व शिशु विकास के लिए) से लेकर बालिकाओं, किशोरियों और रजोनिवृत्त/बुजुर्ग महिलाएं ताकि उनकी ज़रूरतें चरणबद्ध रूप से पूरी की जा सकें।

3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शुरुआती देखभाल एवं रखरखाव; और 3–6 साल की उम्र के बच्चों के लिए प्री–स्कूली शिक्षा, पूरक आहार के साथ–साथ उनकी शारीरिक वृद्धि पर निगरानी, स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण जैसी सेवाएं शामिल हैं।

- **किशोर बालिकाओं के लिए योजना (एसएजी):** यह आउट–ऑफ–स्कूल किशोरियों (11–14 वर्ष) को आत्मविकास और सशक्तीकरण के लिए सेवाएं प्रदान करती है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं– किशोरियों के पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना; पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना; आउट–ऑफ–स्कूल किशोरियों को औपचारिक स्कूली शिक्षा, ब्रिज लर्निंग या स्किल ट्रेनिंग में सफल पारगमन के लिए सहयोग देना; और उनके घरेलू जीवन–कौशल को बढ़ाना।
- **एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस):** इसका लक्ष्य है कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण करना तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त हस्तक्षेपों को एकीकृत करके उन्हें किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाना।



- **पोषण अभियान** की शुरुआत दिसंबर, 2017 में की गई थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चरणबद्ध रूप में देश में कुपोषण को कम करना है। इसके अंतर्गत– छोटे बच्चों में (0–6 वर्ष) अल्पपोषण को रोकना व कम करना; 6–59 माह के बच्चों में तथा 15–49 वर्ष की आयु की महिलाओं व किशोरियों में एनीमिया को कम करना और कम जन्म भार वाले बच्चों के आंकड़ों में कमी लाना है।
- सन् 2016 में लांच की गई **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** का उद्देश्य है गरीबी–रेखा से नीचे की (बीपीएल) महिलाओं को एल.पी.जी. ईंधन प्रदान करके उनके सशक्तीकरण के साथ–साथ स्वास्थ्य की भी देखभाल करना।
- **मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक** वर्ष 2016 में कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह (केवल पहले 2 बच्चों के लिए) करने का प्रावधान किया गया है।
- एक अन्य ऐतिहासिक कदम, **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ** योजना है जो 22 जनवरी, 2015 को शुरू की गई जिसका लक्ष्य न केवल लिंग के आधार पर गर्भपात को रोकना है बल्कि नवजात बालिकाओं के जीवन रक्षण के साथ उनकी सुरक्षा एवं शिक्षा सुनिश्चित करना भी है।



सतत् विकास लक्ष्य, जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट (2019)

इस रिपोर्ट में एस.डी.जी. लक्ष्य–2 भुखमरी की समाप्ति (ज़ीरो हंगर) की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार, घरेलू स्तर पर व अन्यथा स्त्री व पुरुष में असमान अधिकार पुरुषों की तुलना में महिलाओं को खाद्य असुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। किसी भी संकट भरी स्थिति में जब खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो महिलाएं व लड़कियां अक्सर 'सदमा–अवशोषक' की भूमिका अदा करती हैं– वे अपने परिवारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद कम पौष्टिकता वाले भोजन का सेवन करने में नहीं हिचकतीं। वे परिवार के लिए भोजन एकत्रित करने और पकाने में पुरुषों/लड़कों की तुलना में कहीं अधिक समय और ऊर्जा खर्च करती हैं। यही नहीं, लिंग–संबंधी भेदभाव अक्सर अनपढ़, गरीब और ग्रामीण परिवारों में अधिक व्यापक पाया गया है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2018 में दुनिया की लगभग 9.2 प्रतिशत आबादी (करीबन 70 करोड़ से अधिक) खाद्य असुरक्षा के गंभीर परिणामों से पीड़ित पाई गई थी। इसके अलावा, एस.डी.जी. लक्ष्य–3 अच्छा स्वास्थ्य और जीवन–स्तर (गुड हेल्थ एंड वेल बींग) के संदर्भ में टिप्पणी की गई है कि अधिकांश महिलाओं व लड़कियों के संदर्भ में लिंग भेदभाव के चलते सीमित वित्तीय संसाधनों, प्रतिबंधित आवागमन आदि जैसे विभिन्न घटकों के कारण स्वास्थ्य संबंधी देखभाल तक उनकी पहुंच चुनौतीपूर्ण रहती है।

घरेलू व समाज–समुदाय द्वारा उपजी हुई लैंगिक असमानताओं के कारण डाले गए अतिरिक्त बोझ महिलाओं/लड़कियों की स्वस्थ रहने की क्षमता को सीमित करते हैं। इस तरह के बोझों में शामिल हैं– लंबे समय तक घरेलू कार्य, काम करने का असुरक्षित माहौल, लिंग–आधारित हिंसा, रोकथाम और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त तंत्र। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक–स्तर पर, हर दिन लगभग 830 महिलाओं की गर्भावस्था/प्रसव से संबंधित निवारक कारणों से मृत्यु हो जाती है। सन 2017 के दौरान, इन्हीं कारणों से लगभग 300,000 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई थी।

आने वाले समय में शिक्षित, सुपोषित और स्वस्थ बालिकाओं का विकास, सुपोषित किशोरियों के रूप में होगा और बाद में वे स्वस्थ महिलाएं और माताएं बनेंगी। अतः ऐसी सेहतमंद महिलाओं से सुपोषित और स्वस्थ बच्चों की उम्मीद की जा सकती है। यह स्वस्थ संतान के पीढ़ी–दर–पीढ़ी चलने वाले चक्र को बनाए रखने में मदद कर सकता है।

इनके अलावा, कई योजनाएं और कार्यक्रम हैं– विशेष रूप से महिलाओं के वित्तीय/आर्थिक सशक्तीकरण को संबोधित करने वाले, जो अप्रत्यक्ष रूप से उनके पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सशक्तीकरण को प्रभावित करते हैं। इनमें शामिल हैं– महिला



शक्ति केंद्र; महिला हेल्पलाइन योजना; उज्जवला– व्यावसायिक महिलाओं का यौन शोषण से बचाव और शिकार/पीड़ितों के पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए व्यापक योजना (1 अप्रैल, 2016 से लागू); वन स्टॉप सेंटर योजना/सखी केंद्र; कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास; प्रशिक्षण व रोज़गार कार्यक्रम 'स्टैप' का समर्थन (1986–87 में शुरू; केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की योजना जिसका उद्देश्य है महिलाओं में सक्षमता व कौशल विकसित करना ताकि वे स्वरोज़गार/महिला उद्यमी बन सकें); स्वाधार ग्रह योजना (सामाजिक/आर्थिक सहायता से वंचित या घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव और प्राकृतिक आपदाओं की शिकार महिलाओं के लिए तथा निर्धन महिलाओं के पुनर्वास के लिए); नारी शक्ति पुरस्कार; महिला ई–हाट (महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण को मज़बूत करने के लिए एक विशिष्ट ई–प्लेटफॉर्म); निर्भया फंड; संकटग्रस्त महिलाओं की मदद करने के लिए महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना।

महिलाओं व बालिकाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकारों द्वारा भी कई योजनाएं प्रायोजित की गई हैं। इनमें शामिल हैं– गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम (आंध्र प्रदेश), शिवगामी अम्मैयार मेमोरियल गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन (तमिलनाडु), लाडली लक्ष्मी योजना (मध्य–प्रदेश), लाडली स्कीम (हरियाणा), ममता स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड (गोवा), सरस्वती साइकिल योजना (छत्तीसगढ़), कन्याश्री प्रकल्प और रूपश्री प्रकल्प (पश्चिम बंगाल), भाग्यलक्ष्मी योजना (कर्नाटक) इत्यादि।

महिलाओं में आवश्यक व्यवहार परिवर्तन लाने की सख्त आवश्यकता है ताकि वे न केवल पोषण और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं/कार्यक्रमों से ही अवगत हो सकें, बल्कि वे यह भी जान सकें कि इन सारी सेवाओं का लाभ कैसे उठाया जाए। महिलाओं को घरेलू संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से भी अवगत करवाने की आवश्यकता है जैसे कि महंगे (ऑफ–सीज़न) खाद्य पदार्थों के मुकाबले पौष्टिक व कम लागत वाले मौसमी खाद्य पदार्थों का उपयोग। महिलाओं को स्वयं अपने और अपने परिवार को पौष्टिकता से भरपूर भोजन प्रदान करने के लिए पूर्णतः सशक्त होना चाहिए तथा साथ ही, अपने बच्चों में छोटी उम्र से ही आहार संबंधी अच्छी आदतें विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। पोषण और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं में महिलाओं को सशक्त बनाने के कुछ एक तरीके हैं:

- आहार संबंधी विविधता या घरेलू आहार में विविधता लाना;
- पोषक तत्वों को बढ़ाने वाली तकनीकों को अपनाना जैसे संयोजन, पूरकता, अंकुरीकरण, किण्वन आदि;
- पोषक तत्वों से भरपूर स्थानीय/मौसमी/आमतौर पर कम उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थों या तथाकथित सामान्यतः फेंके जाने वाले खाद्य पदार्थों (जैसे मूली के पत्ते, मटर के छिलके, फूलगोभी के डंठल आदि) के उपयोग को बढ़ावा देना;
- घरेलू/सामुदायिक–स्तर पर बागवानी करके भोजन में विविधता, पौष्टिकता एवं खाद्य पदार्थों की आसान उपलब्धता को बढ़ाना;
- ग्रामीण क्षेत्रों में, मिश्रित फसल और एकीकृत/व्यापक कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना;
- फोर्टीफाइड/बायो–फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का उपयोग, विशेषकर सूक्ष्म पोषक तत्वों के सेवन को बढ़ाना;
- हर स्तर पर परिवार के सदस्यों में भोजन और जल–संरक्षण की अच्छी आदत को बढ़ावा देना;
- पौष्टिक, सुरक्षित और स्वच्छ आहार को प्रोत्साहित करने के लिए पोषण संबंधी शिक्षा।

अतः महिलाओं के पोषण व स्वास्थ्य संबंधी सशक्तीकरण को तथा अन्य मुद्दों को संबोधित करने, इष्टतम स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, पोषण संबंधी संतुलित भोजन सुनिश्चित करने और उभरती चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए नीतियों/कार्यक्रमों में उपयुक्त संशोधन लाना अनिवार्य है।

महिलाओं को घर, समुदाय और राष्ट्र के विकास एवं प्रगति में बराबर की भागीदारी देना भी आवश्यक है। महिलाओं के पोषण व स्वास्थ्य संबंधी, सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण से उन्हें अपने तथा परिवार के अधिकारों पर दावा करने में मदद मिल सकती है; और वे अपने साथ–साथ परिवार के सभी सदस्यों के पोषण–स्तर और स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकतीं हैं।

(डॉ. संतोष जैन पासी सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण विशेषज्ञ हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में निदेशक रह चुकी हैं; सुश्री आकांक्षा जैन भगिनी निवेदिता कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर (खाद्य एवं पोषण) हैं।)

ई–मेल : sjpassi@gmail.com
jainakansha@gmail.com

लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में मददगार जेंडर बजटिंग

–विकास जाखड़

भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का मौलिक अधिकार दिया है। लैंगिक असमानता से निपटने में महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के जेंडर बजटिंग प्रयास वैश्विक–स्तर पर अलग मुकाम रखते हैं क्योंकि उन्होंने न केवल व्यय को प्रभावित किया है बल्कि राष्ट्रीय और राज्य सरकार के स्तर पर राजस्व नीतियों को भी प्रभावित किया है। भारत में जेंडर बजटिंग का लक्ष्य राजकोषीय नीति में अधिक लैंगिक समता सुनिश्चित करना है।

भारत के जेंडर बजटिंग प्रयास वैश्विक–स्तर पर अलग मुकाम रखते हैं क्योंकि उन्होंने न केवल व्यय को प्रभावित किया है बल्कि राष्ट्रीय और राज्य सरकार के स्तर पर राजस्व नीतियों को भी प्रभावित किया है। भारत में जेंडर बजटिंग का लक्ष्य राजकोषीय नीति में अधिक लैंगिक समता सुनिश्चित करना है।

जेंडर बजटिंग महत्वपूर्ण मुद्दों में महिलाओं के लिए एक उन्नत निर्णय लेने की भूमिका की वकालत करने और पुरुषों एवं महिलाओं के बीच संसाधनों के वितरण में समानता हासिल करने के लक्ष्य के लिए एक नीति है। जेंडर बजटिंग सरकारों को पुरुषों, महिलाओं एवं अन्य लिंगों पर बजट के अलग–अलग प्रभावों का विश्लेषण करने के साथ–साथ समानता के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है। जेंडर बजटिंग महिलाओं को बजटीय प्रक्रिया में शामिल करके उन्हें आर्थिक, राजनैतिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं से उपेक्षित किए जाने के कारण होने वाले नुकसान और भेदभाव को दूर करता है।

यह महिलाओं के लिए अलग बजट नहीं है, बल्कि यह सरकार के बजट का विच्छेदन है जिससे कि इसका लिंग–विशिष्ट प्रभाव सुनिश्चित किया जाए और लैंगिक समानता की सरकारी नीति को बजटीय प्रतिबद्धताओं में परिणत किया जाए। यह समझना आवश्यक है कि जेंडर बजटिंग का अर्थ केवल पुरुषों और महिलाओं के बीच सरकारी धन को आधा–आधा विभाजित करना नहीं है। एक सीधा 50–50 प्रतिशत विभाजन समान दिख सकता है, लेकिन यह अक्सर न्यायसंगत या उचित नहीं होता है क्योंकि महिलाओं और पुरुषों की ज़रूरतें भिन्न होती हैं। इसके बजाय, जेंडर बजटिंग सरकार के बजट के हर हिस्से का मूल्यांकन करती है, यह देखने के लिए कि यह महिलाओं एवं पुरुषों की विभिन्न आवश्यकताओं और विभिन्न समूहों पर कैसे ध्यान देता है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकताएं इन्फ्लूएंजा और मलेरिया जैसी बीमारियों के संबंध में समान होंगी। लेकिन महिलाओं को प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं की पुरुषों की तुलना में अधिक आवश्यकता होगी।



सेक्स (यौन अभिविन्यास) और जेंडर (लिंग)

जेंडर बजट पर चर्चा करने से पहले, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जेंडर (लिंग) क्या है, और लिंग और सेक्स (यौन अभिविन्यास) के बीच अंतर क्या है। जेंडर के अंदर महिलाओं और पुरुषों की सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाएं, ज़िम्मेदारियां, विशेषाधिकार, संबंध और अपेक्षाएं निहित हैं। चूंकि ये सामाजिक रूप से निर्मित हैं, इसलिए ये समय के साथ बदल सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न हो सकते हैं। सेक्स पुरुषों और महिलाओं की जैविक प्रकृति है। हम इसके साथ पैदा होते हैं, और यह समय अथवा स्थान के साथ नहीं बदलता है।

सरकार को नीतियां बनाते समय जेंडर और सेक्स दोनों के बारे में सोचना चाहिए। सेक्स के संबंध में, सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न जैविक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम उपलब्ध हैं और पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं। जेंडर के संबंध में, सरकार को महिलाओं और पुरुषों की देश के विकास में अपेक्षित भूमिका और ज़िम्मेदारियों का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए और इस दृष्टिकोण के कार्यान्वयन की दिशा में नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करके उन्हें लागू करना चाहिए।

जेंडर बजट की आवश्यकता

भारत के संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का मौलिक अधिकार दिया गया है। फिर भी, वास्तविकता यह है कि भारत में महिलाओं को संसाधनों के उपयोग और उनके नियंत्रण में असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। ये असमानताएं स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, शैक्षिक प्राप्ति, कौशल–स्तर एवं अन्य संकेतकों में परिलक्षित होती हैं। कई लिंग–विशिष्ट बाधाएं हैं जो महिलाओं और लड़कियों को सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं में उनके न्यायसंगत हिस्से को प्राप्त करने से रोकती हैं। यदि इन बाधाओं को योजना और विकास प्रक्रिया में उपयुक्त नीति से दूर नहीं किया जाता है तो इसके फलस्वरूप देश की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आर्थिक विकास के फल से वंचित रह जाएगा। यह भविष्य में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए गलत संकेत हो सकता है।

जेंडर बजटिंग विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करता है। इनमें शामिल हैं:

तालिका 1: विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की असमान भागीदारी

संकेतक	महिला	पुरुष
श्रम शक्ति भागीदारी दर (प्रतिशत 15+ वर्ष)	27	80
लोकसभा में प्रतिनिधित्व (प्रतिशत)	12.1	87.9
राज्यसभा में प्रतिनिधित्व (प्रतिशत)	12.6	87.4
सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व (प्रतिशत)	3.4	96.6
उच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व (प्रतिशत)	9.8	90.2

- महिलाओं की विशिष्ट ज़रूरतों की पहचान करना और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बजटीय ख़र्चे में यथोचित प्रावधान करना;
- समष्टि अर्थशास्त्र (मैक्रो इकोनॉमिक्स) में लैंगिक विश्लेषण को मुख्यधारा में लाना ;
- आर्थिक नीति निर्माण में नागरिक समाज की भागीदारी को मज़बूत करना;
- आर्थिक नीति और सामाजिक नीति के परिणामों के बीच सहलग्नता को बढ़ाना;
- लैंगिक और विकास नीति की प्रतिबद्धताओं के अनुसार सार्वजनिक व्यय पर नज़र रखना; और
- सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करना।

महिला आर्थिक सशक्तीकरण लैंगिक असमानता से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में, जीडीपी में भारतीय महिलाओं का योगदान 17 प्रतिशत है जो न केवल वैश्विक औसत (37 प्रतिशत) से कम है, बल्कि चीन (41 प्रतिशत) और उप–सहारा अफ्रीका (39 प्रतिशत) से भी कम है। विडंबना यह है कि स्कूलों में लड़कियों के उच्च नामांकन के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति में अधिक समानता तो आ गई है लेकिन इसके कारण श्रम बाज़ार में महिलाओं को समान अवसरों की प्राप्ति नही हुई है। आर्थिक विकास में तेज़ी के कारण हुए श्रम बाज़ार के विकास में पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले बेहतर परिणाम मिले हैं। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की अत्यधिक असमान भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता के पदों पर बढ़ती लैंगिक वेतन असमानता इस बात का सबूत हैं कि आर्थिक विकास के फायदे पुरुषों और महिलाओं में समान स्तर पर नही पहुंचे हैं। विश्व–स्तर पर, अगर महिलाएं पुरुषों की तुलना में अवैतनिक कार्य पर तीन गुना अधिक समय खर्च करती हैं, तो भारत में यह 9.8 गुना अधिक है। यदि इस अवैतनिक कार्य के वेतन का मूल्यांकन किया जाए, तो इससे जीडीपी में 19.85 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। महिलाएं इस कुशल लेकिन अवैतनिक कार्य के द्वारा अर्थव्यवस्था में सीधा योगदान देती हैं। फिर भी, इनके इस योगदान को 'काम' का दर्जा न देकर इसका अवमूल्यन किया जाता है जिसके कारण महिलाओं की स्थिति कमज़ोर होती है।

मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की लैंगिक तटस्थता, लैंगिक संबंधों और मैक्रो इकॉनॉमिक पॉलिसी के बीच प्रतिक्रिया तंत्र की उपेक्षा करती है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने के दोहरे आयाम हैं: एक है समानता का आयाम और दूसरा है दक्षता का आयाम। इस बात की स्वीकृति बढ़ती जा रही है कि असमानता की समस्या को मैक्रो इकॉनॉमिक नीतियों के ट्रिकल डाउन प्रभावों से हल नहीं किया जा सकता है इसलिए लैंगिक असमानता की समस्या को मैक्रो इकॉनॉमिक पॉलिसी के ढांचे के विकास में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। लैंगिक समानता, नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देने के मूल सिद्ध

ांत के अलावा, दक्षता लाभ के माध्यम से अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचा सकती है। दक्षता लाभ के दृष्टिकोण से देखने पर यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि महिलाओं में किए गए निवेश के लाभांश की सामाजिक दर कितनी है। कई मामलों में यह देखा गया कि वह पुरुषों की लाभांश दर से अधिक हो सकती है। इस बात पर सहमति बढ़ती जा रही है कि लैंगिक असमानता विकास के लिए अनुपयुक्त है।

जेंडर बजटिंग का विषय क्षेत्र

आमतौर पर, बजट में चार घटक शामिल होते हैं: विभिन्न शीर्षों के बीच संसाधनों का बजटीय आवंटन, विभिन्न शीर्षों पर सरकार का वास्तविक परिव्यय, एक विशेष प्रयोजन के लिए संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका लेखा–जोखा और उपयोग किए गए संसाधनों का इच्छित परिणाम देने की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। जेंडर बजटिंग में इन सभी चार घटकों का महिलाओं के लाभ के दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाता है। जबकि कई सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं जैसे कि रक्षा का लैंगिक विभाजन संभव नहीं है, लेकिन कई अन्य का लैंगिक प्रभाव स्पष्ट तौर पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, नदी या तालाबों से पानी लाने में लगने वाले समय में कटौती करके सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति बढ़ाने से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक लाभ हो सकता है।

बजट प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में जेंडर बजटिंग के लिए संभावित गतिविधियों के उदाहरण नीचे वर्णित हैं–

बजट तैयार करने के चरण में:

- सुनिश्चित किया जाए कि बजट में किए गए वित्तीय विनियोजन विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और गतिविधियों के कार्यान्वयन को सक्षम बनाते हों;
- राजस्व जुटाने के नए तरीकों का विभिन्न समूहों के ऊपर, उनकी आय एवं भुगतान क्षमता को ध्यान में रखकर, संभावित प्रभाव का आकलन किया जाए;
- चालू वर्ष के बजट अनुमानों की पिछले साल के संशोधित अनुमानों और पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय के साथ तुलना करें और इसके अनुसार चालू वर्ष के बजट के उचित और पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाएं।

जब बजट पेश किया जाता है:

- मंत्रालय/विभागानुसार किए गए आवंटन एवं व्यय के रुझानों का विश्लेषण सरकार की प्राथमिकताओं के संकेतक के रूप में किया जाए;
- राजस्व पक्ष का विश्लेषण करें– राजस्व, सब्सिडी आदि के स्रोत क्या हैं और वे पुरुषों और महिलाओं को कैसे प्रभावित करेंगे।

बजट कार्यान्वयन के चरण में:

क्या बजट को इच्छित दिशा एवं पूर्ण सीमा तक खर्च किया जा रहा है? बजट की वितरण लागत क्या हैं? सब्सिडी कौन प्राप्त कर रहा है? क्या बजट उस उद्देश्य तथा उन लोगों के लिए खर्च किया जा रहा है जिसके लिए आवंटन किया गया था?

जेंडर बजटिंग का प्रयोग सरकार के बाहर के लोगों जैसे कि महिला संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों, शिक्षाविद्ों, दाता समुदाय, विधायिका एवं आम नागरिकों के द्वारा भी किया जा सकता है। गैर–सरकारी संस्थानों में जेंडर बजटिंग पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकता है। सरकार के अंदर और बाहर दोनों के लिए, जेंडर बजटिंग लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियों और प्राथमिकताओं को संशोधित करने में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता देता है।

भारत में जेंडर बजटिंग

भारत के जेंडर बजटिंग के प्रयासों ने अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर अलग मुकाम हासिल किया हैं क्योंकि इन प्रयासों ने राष्ट्रीय और राज्य सरकार स्तर पर न केवल व्यय बल्कि राजस्व नीतियों को भी प्रभावित किया है। भारत में जेंडर बजटिंग का लक्ष्य राजकोषीय नीति में अधिक दक्षता और लैंगिक समता सुनिश्चित करना है। जेंडर बजटिंग को सार्वजनिक वित्त व्यवस्था के कई पहलुओं में एकीकृत किया गया है, जिसमें कर सुधार, अंतर–सरकारी वित्तीय हस्तांतरण, राजकोषीय विकेंद्रीकरण, स्थानीय बजट एवं सार्वजनिक व्यय की प्रभावशीलता का आकलन करना शामिल है।

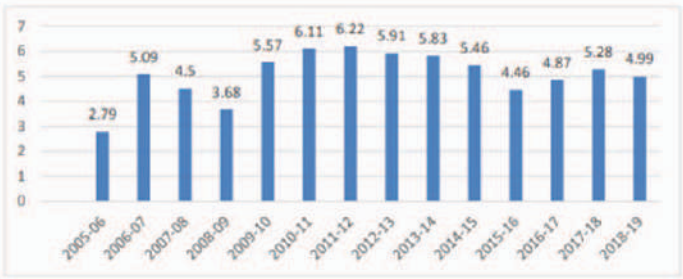
लंबे समय तक, बजट को लैंगिकता से तटस्थ अभ्यास माना जाता था। यह माना जाता था कि बजटीय प्रावधानों और नीतियों से पुरुषों एवं महिलाओं को समान रूप से लाभ होता है। लेकिन, 21 वीं सदी के आगमन के साथ ही भारत सरकार की नीति में बदलाव आया। वर्ष 2001, वार्षिक बजट को लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक सशक्तीकरण की ओर अग्रसर करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। वित्तीय वर्ष 2000–01 के बजट भाषण में वित्तमंत्री ने राष्ट्रीय संसाधनों में महिलाओं की पहुंच के संदर्भ में एक विशेष टिप्पणी की। आर्थिक सर्वेक्षण (2000–2001) में पहली बार 'लैंगिक असमानता' पर एक संपूर्ण खंड शामिल किया गया। वर्ष 2001 में, तत्कालीन महिला और बाल विकास विभाग के निर्देशों के अंतर्गत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी द्वारा जेंडर संबंधी आर्थिक नीति के मुद्दों पर अध्ययन आरम्भ किया गया। सन 2005–06 से, वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग हर साल बजट परिपत्र के एक भाग के रूप में जेंडर बजटिंग पर एक नोट जारी करता है। इसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2020–21 के व्यय बजट दस्तावेज़ के एक भाग के रूप में वक्तव्य 13 के रूप में संकलित और निगमित किया गया है। इस जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट में दो भाग शामिल हैं– पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए, महिला विशिष्ट योजनाओं को दर्शाता है, अर्थात जिन योजनाओं में महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत आवंटन है। पार्ट बी महिला हितकारी योजनाओं को दर्शाता है, यानी जहां कम से कम 30 प्रतिशत आवंटन महिलाओं के लिए है।

भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में जेंडर बजट का एक अग्रणीय उदाहरण है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र (यूएनडीपी एशिया पैसिफिक, 2010; यूएन वूमैन, 2012; यूएन वूमैन 2016) द्वारा स्वीकार किया गया है। जेंडर बजट स्टेटमेंट ने यह सुनिश्चित करने में मदद की है कि राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बजट में महिलाओं के विकास के लिए उपयुक्त राशि का आवंटन होता है, और इससे बजट प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आई है। जेंडर बजट स्टेटमेंट ने सरकार को जेंडर–आधारित डेटा उत्पन्न करने में मदद की है, हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है कि इस डेटा का उपयोग, सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों को अधिक प्रभावशाली बनाने में किया जाए।

जेंडर बजट स्टेटमेंट ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे मंत्रालयों (जिनके कार्य को प्रथम दृष्टया लैंगिकता के विचार से तटस्थ माना गया है) के कार्य तथा नीतियों में जेंडर बजटिंग को मुख्यधारा में लाने में मदद की है। केंद्रीय बजट 2016–17 में, वित्तमंत्री ने नीतिगत पहल द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में जेंडर बजट को एकीकृत किया है, ताकि गरीब महिलाओं का पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सब्सिडी देकर ऊर्जा सीढ़ी में उत्थान किया जा सके। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गरीबी रेखा से नीचे के घरों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मंजूरी दी। यह देश के इतिहास में पहली बार था कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक ऐसी कल्याणकारी योजना लागू की जिसने मुख्यतः गरीब घरों की महिलाओं को लाभान्वित किया। यह एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसा मंत्रालय, जिसे प्रथम दृष्टया लैंगिकता से तटस्थ माना जाता है, वह भी महिलाओं की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नीति तैयार कर सकता है।

पिछले दस साल की अवधि के जेंडर बजट स्टेटमेंट्स से प्राप्त जेंडर बजट आवंटन के रुझान चित्र–1 में दिखाए गए हैं। हालांकि यहां यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बजट आवंटन में वृद्धि का कारण महिला–उन्मुख खर्च आवंटन में वृद्धि है, यह ज़रूरी नही है क्योंकि जेंडर बजट स्टेटमेंट में शामिल अनुदानों/कार्यक्रमों की मांगों की संख्या समय के साथ बदलती रही है।

चित्र 1: कुल बजट में जेंडर बजट का वितरण



स्रोतः भारत सरकार

भारत में राज्य–स्तर के जेंडर बजट में भी राष्ट्रीय–स्तर के विश्लेषणात्मक मैट्रिक्स और टेम्प्लेट का उपयोग किया गया है। भारत में, राज्य और स्थानीय–स्तरों पर सार्वजनिक व्यय करने के लिए स्वयं के संसाधन अल्प मात्रा में हैं, और राज्य तथा स्थानीय सरकारें, केंद्र सरकार से अंतर–सरकारी हस्तांतरण पर निर्भर रहती हैं। भारत में सूत्र–आधारित बजट हस्तांतरण में जेंडर को भी एक पैरामीटर के तौर पर एकीकृत करने के लिए बहस चल रही है, हालांकि यह अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ है। भारत के चौदहवें वित्त आयोग ने जनवरी, 2015 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था तथा उसमें सूत्र–आधारित राजकोषीय हस्तांतरण में "जलवायु परिवर्तन" के पैरामीटर को एकीकृत किया था। आशा है कि लैंगिक विकास का पैरामीटर भी भविष्य के वित्त आयोगों के लिए शाशनादेश बन सकेगा।

जेंडर बजटिंग में व्यय के साथ–साथ राजस्व पक्ष भी सम्मिलित है। लेकिन जेंडर बजटिंग का राजस्व पक्ष अभी भी नवजात अवस्था में ही है। महिलाओं को लाभान्वित करने वाली राजस्व नीतियां भूमि और संपत्ति तक उनकी पहुंच और वित्तीय बचत और निवेश को संचित करने की उनकी क्षमता में सुधार करने में मदद कर सकती हैं, साथ ही, उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच बढ़ा सकती हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 तक, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग–अलग आयकर स्लैब थे, जिनमें महिलाओं को थोड़ा कम कर देना पड़ता था। लेकिन, वित्त वर्ष 2012–13 से पुरुषों और महिलाओं के लिए एक कर स्लैब निर्धारित कर दिया गया है। व्यक्तिगत आयकर प्रणाली एक कानूनी इकाई के रूप में, व्यक्ति विशेष और हिंदू अविभाजित परिवार, दोनों को अलग पहचानती है। यह एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था को दर्शाती है जो महिलाओं के खिलाफ स्वाभाविक रूप से पक्षपाती है क्योंकि यह एक हिंदू अविभाजित परिवार के सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य को ही कर देयता का दर्जा प्रदान करती है। हालांकि, आयकर नियमावली के लैंगिक विश्लेषण से एक आयकर छूट का पता चलता है। महिलाओं को धारा 88सी के तहत एक कर छूट दी जाती है, जिसके तहत 65 वर्ष से कम आयु की महिला कराधान पर अतिरिक्त छूट की हकदार होती थी। धारा 88सी के तहत कर छूट से महिलाओं को कुछ हद तक ही फायदा हुआ है क्योंकि आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं का केवल 4 प्रतिशत औपचारिक क्षेत्र में है। महिलाओं के लिए 88सी की छूट को अंततः समाप्त कर दिया गया था। यदि कोई संपत्ति किसी महिला के नाम पर पंजीकृत होती है तो कुछ राज्य स्टैम्प ड्यूटी शुल्क पर रियायत प्रदान करते हैं। इसी तरह, कुछ नगर निगम भी संपत्ति कर पर छूट प्रदान करते हैं। कई बैंक महिला के नाम पर पंजीकृत संपत्ति के लिए गृह ऋण पर कम ब्याज दर भी प्रदान करते हैं।

जेंडर बजटिंग का प्रभाव

भारत में 2005 से अपनाई गई जेंडर बजटिंग के प्रभाव का



मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। 2005 के बाद, कम से कम 57 सरकारी मंत्रालयों/विभागों ने जेंडर बजटिंग सेल की स्थापना की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी द्वारा किए गए एक विश्लेषण से पता चलता है कि जेंडर बजटिंग एक आशाजनक राजकोषीय नवाचार होने के बाद भी महिलाओं को प्रभावित करने वाली नीतियों पर असरकारक साबित नही हुआ है।

हालांकि कुछ अध्ययनों ने उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) राउंड–3 (2005–06) और राउंड–4 (2015–16) के आंकड़ों पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 2005–06 से 2015–16 की अवधि में, जेंडर बजट अपनाने वाले राज्यों ने, घरेलू हिंसा के आंकड़ों में, जेंडर बजट ना अपनाने वाले राज्यों के मुकाबले अधिक कमी दर्ज की है। जहां जेंडर बजट वाले राज्यों ने 2005–06 से 2015–16 के बीच घरेलू हिंसा में 7 प्रतिशत की गिरावट दिखाई है, वहीं गैर–जेंडर बजट वाले राज्यों ने केवल एक प्रतिशत की गिरावट का प्रदर्शन किया।

क्या जेंडर बजट का लैंगिक समानता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? एशिया प्रशांत क्षेत्र से उपलब्ध आंकड़ों पर किए गए नवीनतम शोध के अनुसार, इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है। प्रत्येक देश के जीडीआई (जेंडर विकास सूचकांक) और जीआईआई (जेंडर असमानता सूचकांक) के स्कोर को लैंगिक समानता या असमानता का सूचकांक मानकर यह विश्लेषण किया गया। परिणाम बताते हैं कि जेंडर असमानता सूचकांक को निर्धारित करने में जेंडर बजटिंग की पहल, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च और महिला श्रम शक्ति भागीदारी का अहम् योगदान होता है। अनुमानों से पता चला है कि एशिया प्रशांत में सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च में एक प्रतिशत की वृद्धि जेंडर असमानता सूचकांक को 0.0045 प्रतिशत अंक से कम कर सकती है, जबकि महिला श्रम शक्ति भागीदारी में एक प्रतिशत की वृद्धि जेंडर असमानता सूचकांक को 0.0041 प्रतिशत अंक कम कर सकती है।

निष्कर्ष

2019 के केंद्रीय बजट भाषण में, वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नारी (महिला) को नारायणी (देवी) का दर्जा देकर कहा कि वह पिछले 15 साल के जेंडर बजट के मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन करेंगी। उन्होंने हमें याद दिलाया कि स्वामी विवेकानंद ने लैंगिक समानता के संदर्भ में कहा था कि, "एक पक्षी के लिए केवल एक पंख पर उड़ना संभव नहीं है"। जेंडर बजट, अर्थव्यवस्था के दोनों पंखों यानी कि पुरुषों और स्त्रियों को समान शक्ति देने का एक प्रभावशाली उपकरण है। जेंडर बजटिंग न केवल महिलाओं को सशक्त बनाती है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी जीडीपी में दक्षता लाभ के द्वारा सुदृढ़ बनाता है।

भारत ने व्यय बजट के भीतर जेंडर बजट को एकीकृत किया है और इसे परिणाम आधारित (ऑउटकम) बजट में भी एकीकृत करने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन, जेंडर संबंधी जरूरतों के विशिष्ट विश्लेषण और उपयुक्त नीतियों एवं कार्यक्रमों की वकालत करने के लिए सेक्टर–आधारित जेंडर बजट सेल की क्षमताओं का विकास एक चुनौती बना हुआ है। जेंडर बजट के बेहतर कार्यान्वयन और राजकोषीय अंकन में सुधार के लिए केंद्र और राज्य–स्तर पर क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता है। महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन की मात्रा को कुल बजटीय आवंटन की तुलना में बढ़ाया जाना चाहिए और साथ ही नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी की जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवंटित बजट को उस मद में ही खर्च किया गया है जिसके लिए आवंटन किया गया था। नवीन कराधान नीतियों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जेंडर बजट के राजस्व पक्ष को भी मज़बूत किया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इसके आगे आवश्यकता है जेंडर संवेदनशील नीतियों के ज़मीनी–स्तर पर प्रभाव का मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन किया जाए जिससे कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों में उचित सुधार लाकर इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।

(लेखक भारतीय राजस्व सेवा में सहायक आयकर आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं।)

ई–मेलः jakharvikas1@gmail.com

ग्रामीण भारत के सतत विकास हेतु महिला सशक्तीकरण

–डॉ. नीलेश कुमार तिवारी

ग्रामीण महिलाओं द्वारा समाज में पारंपरिक कार्यों के अलावा अन्य कार्यों को सजगतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु उनका सशक्तीकरण अति आवश्यक है। अतः ग्रामीण भारत के सतत विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की अवधारणा; 'महिलाओं के विकास' से 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास', पर हमें कार्य करने की नितांत आवश्यकता है।

भारतीय अर्थशास्त्री एवं भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, डॉ. अरविंद सुब्रमण्यन ने वर्ष 2017–18 की आर्थिक समीक्षा (इकोनॉमिक सर्वे) में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने महिला सशक्तीकरण को एक गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने भारतीय समाज में अधिक पुत्रों की प्रबल चाहत को एक प्रमुख समस्या बताया है। साथ ही, भारत में अधिक पुत्रों की चाह में, 2.1 करोड़ 'अवांछित बालिकाएं/महिलाएं', (0–25) आयु वर्ग के अंतर्गत अनुमानित की गई हैं; जो भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव की परिचायक हैं।

डॉ. सुब्रमण्यन ने इस समस्या के समाधान के तौर पर महिलाओं को शिक्षा एवं उनकी आर्थिक क्षमता विकसित कर 'महिला सशक्तीकरण' को एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया है जिससे महिलाएं देश की आर्थिक गतिविधियों में सहभागी बन सकें।

इस लेख के माध्यम से भारत में महिला सशक्तीकरण से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है;

1. महिला सशक्तीकरण का आशय;
2. भारत में महिला सशक्तीकरण की आधारशिला;
3. ग्रामीण भारत के सतत विकास में महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता;
4. महिला सशक्तीकरण में प्रमुख चुनौतियां;
5. भारत में महिला सशक्तीकरण की दिशा में नीतिगत/संस्थागत प्रयास एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम/योजनाएं;
6. ग्रामीण भारत के सतत विकास में महिला सशक्तीकरण हेतु सुझाव।

'महिला सशक्तीकरण' का आशय उन सभी गतिविधियों से है; जो महिलाओं को उनके दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम बनाने में सहायक होते हैं। यह महिलाओं को व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य सभी प्रकार से स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर खुशहाल व आत्मसम्मान का जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण निभाते हैं। या यूं कहें कि सशक्तीकरण महिलाओं को अपनी पसंद के अनुसार



विकल्प चुनने में सहायक होते हैं। जैसा कि अर्थशास्त्री व चिंतक प्रोफेसर अमर्त्य सेन का मानना है।

वहीं दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र ने महिला सशक्तीकरण को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से परिभाषित किया है;

- महिलाओं में स्वयं की अहमियत या महत्व की भावना विकसित करने में आवश्यक;
- महिलाओं के समक्ष विकल्पों की उपलब्धता के साथ–साथ विकल्प चुनने का अधिकार प्रदान करने में सहायक;
- अवसरों और संसाधनों तक पहुंच का अधिकार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण;
- घर के भीतर और बाहर; दोनों जगह, अपने स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति का अधिकार सुनिश्चित करने में सहायक;
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता का विकास, जिससे बेहतर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वास्तविक भारत की आत्मा कहे जाने वाले गांवों में महिला सशक्तीकरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या (जनगणना 2011) वाले आधुनिक भारत में लगभग 69 प्रतिशत जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। केवल ग्रामीण भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या का लगभग 34 प्रतिशत निवास करता है। अतः ग्रामीण भारत के सतत विकास हेतु महिलाओं को सशक्तीकरण की प्रक्रिया से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है।

भारत में महिला सशक्तीकरण की आधारशिला

आज़ादी के बाद से ही भारत में समावेशी विकास की दिशा में प्रयास जारी हैं जिनमें संविधान की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में महिलाओं के विकास, उत्थान एवं सशक्तीकरण हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसकी शुरुआत भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से साफतौर पर देखी जा सकती है। साथ ही, भारतीय संविधान में महिला सशक्तीकरण हेतु किए गए प्रावधानों को तालिका–1 के माध्यम से समझा जा सकता है। इन सभी अनुच्छेदों/प्रावधानों का उद्देश्य हमारे देश में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में यथावत अवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाकर उन्हें सशक्त बनाना है।

ग्रामीण भारत के सतत विकास में महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता

चौथी आद्योगिक क्रांति के दौर में प्रौद्योगिकी एवं सूचना–संचार तकनीकी ने जहां एक ओर वैश्विक–स्तर पर लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर उन्हें सशक्तीकरण की प्रक्रिया से जोड़कर महत्वपूर्ण निभाई है। वहीं दूसरी ओर, विगत दशक के दौरान, सतत् रूप से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी एवं सूचना–संचार तकनीकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों के दैनिक जीवन में गुणवत्ता तो लाई है; परन्तु सुस्त रफ्तार से।

तालिका–1: भारत में महिला सशक्तीकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद	महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रावधान
14	महिलाओं एवं पुरुषों को राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार व अवसर
15(1)	धर्म, नस्ल, जाति व लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव न हो
15(3)	महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव हेतु राज्य द्वारा विशेष प्रावधान
16	लोक भर्तियों (पब्लिक रिक्रूटमेंट) में सभी के लिए अवसरों की समानता
39(अ)	राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार; नागरिक, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार हों
39(घ)	पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन
42	राज्य; कार्य व मातृत्व राहत हेतु न्यायसंगत तथा मानवीय वातावरण का प्रावधान सुनिश्चित करें
51(।)(म)	महिलाओं की गरिमा में अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना।

स्रोत : भारतीय संविधान व ग्यारहवीं योजना में महिला सशक्तीकरण हेतु 'कार्यसमूह' का प्रतिवेदन, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार

जहां तक ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण की बात है; तो हां, सूचना– संचार तकनीकी ने इस प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है;

- महिलाओं में आत्मविश्वास विकसित करने के साथ–साथ उन्हें अपने और अपनों से जुड़े लोगों के जीवन में गुणवत्ता लाने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु आवश्यक;
- महिलाओं को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके अधिकारों से सजग व सचेत कर गरिमामय जीवन व्यापन हेतु आवश्यक;
- महिलाओं के खिलाफ हो रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों जैसे; हिंसा, यौन शोषण एवं अन्य अपराधों को रोकने व पूर्णतः खत्म कर, उन्हें गरिमापूर्ण व गुणवत्तापूर्ण जीवनव्यापन हेतु आवश्यक;
- पुरुषों और महिलाओं के बीच जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, भेदभाव व असमानताओं को खत्म करने में सहायक;
- गरीबी व बेरोज़गारी हटाने, संचारकारी व गैर–संचारकारी

बीमारियों से बचाव के साथ–साथ बेहतर लोक स्वास्थ्य हेतु महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार के माध्यम से उनमें क्षमता विकास करने में सहायक;

- आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित कर महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों व कुव्यवस्थाओं को समाप्त करने में सहायक;
- गांवों से लेकर राष्ट्र तक, सतत व समावेशी विकास के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक;
- बेहतर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के साथ–साथ सामाजिक समरसता से लोगों में सामाजिक पूंजी विकसित करने हेतु प्रोत्साहन में सहायक; एवं
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाने में सहायक।

महिला सशक्तीकरण में प्रमुख चुनौतियां

आज, जहां एक ओर तेज़ गति से बदलते सामाजिक–आर्थिक परिवेश में महिलाओं की भूमिका विभिन्न क्षेत्रों में; विशेषकर ग्रामीण परिवेश में, बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है वहीं दूसरी ओर; आज सूचना–संचार व तकनीकी वाले शिक्षित समाज में महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को साफतौर से देखा जा सकता है। यहां तक की केरल जैसे विकसित एवं सर्वाधिक शिक्षित राज्य में भी महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के अपराधों को साफ़तौर पर देखा जा सकता है; जिसका उल्लेख केरल की 'लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण नीतिः 2014–20' में किया गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रतिवेदन के अनुसार, देश के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित अनेक प्रकार के प्रकरण देखे जा सकते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाओं के प्रति होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराध व अत्याचार कई कारणों से अभिलेखित (रिकॉर्ड) भी नहीं हो पाते। तो फिर ऐसी दशा में महिला सशक्तीकरण की दिशा में धरातल पर पहल करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि ग्रामीण भारत के सतत विकास में महिलाओं के प्रति होने वाली ये आपराधिक घटनाएं विकास अवरोधक का कार्य करती हैं। (तालिका–2)

तालिका– 2: भारत में महिला सशक्तीकरण में बाधक चुनौतियां

क्र. सं.	महिलाओं के खिलाफ विभिन्न प्रकार के अपराध
1	बलात्कार जैसी सामाजिक बुराइयां
2	पति एवं रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता
3	अपहरण की घटनाएं
4	महिलाओं पर जानलेवा हमला, एसिड अटैक इत्यादि
5	नारी की अस्मिता/अपमान संबंधित घटनाएं
6	दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विभिन्न प्रकरण
7	अनैतिक महिला तस्करी, इत्यादि

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रतिवेदन के आधार पर

इन सभी के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के कम सशक्त होने, या यूं कहें तो अपने अधिकारों के अभाव व गुणवत्ताविहीन जीवन के अनेक कारण हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं;

- लैंगिक भेदभाव वाले जीवन जीने की मज़बूरी;
- सामाजिक दबाव, बंधनों व लोक पारम्परिक मर्यादाओं के सामने नतमस्तक होना;
- घर, परिवार, समुदाय और बुजुर्गों के दबाव के कारण मनचाहे क्षेत्रों में आगे न बढ़ पाने की क्षमता;
- परिवार में मातृत्व और प्रजनन संबंधी निर्णय लेने में असक्षमता;
- घर–परिवार–बच्चों के साथ कृषि कार्यों में भागीदारी व अपर्याप्त पोषाहार के कारण निम्न स्वास्थ्य स्थिति, रक्ताल्पता एवं कुपोषण जैसी समस्याओं का सामना करना;
- आज भी देश के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों व ज़िलों में बालिकाओं/महिलाओं को सीमित शिक्षा का अवसर प्राप्त हो रहा है। वहीं, अभिभावकों द्वारा उनको शिक्षा का अवसर केवल शादी–विवाह के उद्देश्य से या फिर, ज्यादा–से–ज्यादा छोटी–मोटी नौकरी से या; पारिवारिक वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण शिक्षा बीच में ही छोड़ने की मज़बूरी महिलाओं के सशक्तीकरण में बाधक हैं।

भारत में महिला सशक्तीकरण की दिशा में नीतिगत/संस्थागत प्रयास

स्वतंत्र भारत में महिलाओं की दशा में सुधार एवं उन्हें समाज में बेहतर भागीदार बनाने की दिशा में अनेक प्रयास होते रहे हैं। हालांकि इन महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता व सार्थकता, शोधकर्ताओं के मध्य हमेशा चर्चा का विषय रहीं है। खैर, भारत जैसे महत्वाकांक्षी देश में, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में किए गए नीतिगत/संस्थागत प्रयासों को संक्षिप्त रूप से आरेख–1 के माध्यम से समझा जा सकता है।

भारत के विभिन्न राज्यों में महिला सशक्तीकरण की दिशा में विभिन्न प्रकार से नीतिगत प्रयास होते रहें हैं। इनमें से कुछ चयनित राज्यों की महिला सशक्तीकरण नीतियों की प्रमुख विशेषताओं को तालिका–3 के माध्यम से समझा जा सकता है।

महिला सशक्तीकरण हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम/योजनाएं

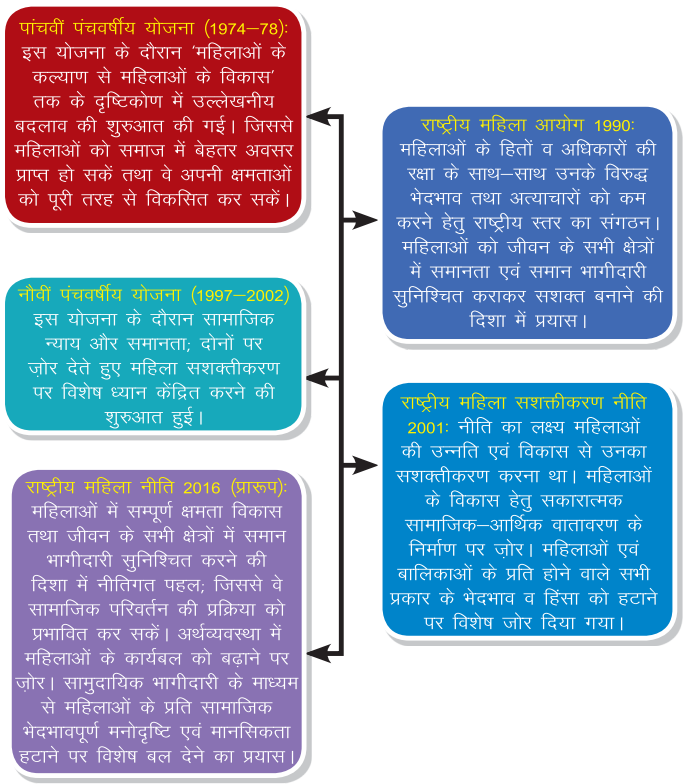
भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण की दिशा में विभिन्न मंत्रालयों के अनेक विभाग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रयासरत हैं। महिला सशक्तीकरण के विभिन्न कार्यक्रमों से न केवल शहरी, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी लाभान्वित हो रही हैं। वहीं, दूसरी ओर महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित व प्रबंधित की जाने वाली प्रमुख योजनाओं को संछिप्त रूप से निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है–

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ :** यह योजना भारत सरकार के तीन मंत्रालयों– महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण तथा मानव संसाधन विकास, के संयुक्त अभिसरण के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य घटते बालिका लिंगानुपात में सुधार लाने के प्रयास के साथ–साथ बालिकाओं को शिक्षित कर उन्हें सशक्त बनाना है। साथ ही, बालिकाओं के प्रति समाज को संवेदनशील और जागरूक बनाना भी है।

- **वन स्टॉप सेंटर :** इस योजना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 'वन स्टॉप सेंटर' को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में स्थापित कर हिंसा से प्रभावित महिलाएं; चाहे वह किसी भी उम्र, वर्ग, जाति, शैक्षणिक स्तर या वैवाहिक स्थिति की हों; को एकीकृत रूप से चिकित्सकीय, पुलिस एवं कानूनी सहायता के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं प्रदान करना है जिससे महिलाओं को शारीरिक के साथ–साथ मानसिक शक्ति मिल सके तथा वे खुशहाल समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकें।
- **महिला हेल्पलाइन :** इस योजना को 'वन स्टॉप सेंटर' से जोड़कर; हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे निःशुल्क दूरसंचार सेवा प्रदान करना है। साथ ही, संकट एवं गैर–संकट, दोनों समय, महिलाओं को पुलिस, अस्पताल एवं एम्बुलेंस इत्यादि की सुविधा समय पर प्रदान करना है जिससे महिलाओं को घर के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार से अवांछनीय परिस्थितियों में आत्मबल मिल सके और वे स्वाभिमानपूर्वक जीवनव्यापन कर सकें।
- **महिलाओं को प्रशिक्षण एवं रोज़गार सहायता हेतु कार्यक्रम (स्टैप) :** इस योजना का उद्देश्य देश भर में 16 वर्ष से अधिक की बालिकाओं एवं महिलाओं की कौशल विकास के द्वारा एक ऐसे मानव संसाधन के रूप में क्षमता विकसित करना है; जो उद्यमिता या स्वरोज़गार के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें तथा नए रोज़गार सृजन करने में सहभागी बन सकें। दूसरी ओर, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने हेतु अनुदान सीधे संस्थाओं या गैर–सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। अतः यह योजना महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है अपितु उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति प्रोत्साहित भी करती है।
- **कामकाजी महिला छात्रावास/आवास (वर्किंग वूमेन हॉस्टल) :** इस योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं एवं उनके बच्चों को; ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में, सुरक्षित एवं सुविधायुक्त ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध कराना है। कामकाजी महिलाओं का आशय ऐसी महिलाओं से है जो अविवाहित/विवाहित परन्तु किन्ही कारणों से पति या परिवार से अलग रहने हेतु मज़बूर या तलाकशुदा से है। अतः इस योजना के अंतर्गत काम करने की इच्छुक या कामकाजी महिलाओं को, रहने के लिए आवास सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें मानसिक संबल मिल सके, जिससे वे देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।
- **महिला ई–हाट :** महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह तकनीकी–आधारित पहल; महिला उद्यमियों, स्वयंसहायता समूहों एवं गैर–सरकारी संगठनों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहन देकर उनको अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक ऑनलाइन बाज़ार की प्रक्रिया से उपलब्ध कराने से संबंधित है। इसके अलावा, यह योजना उद्यमी महिलाओं की विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करती हैं जिससे वे सशक्त होकर भारतीय अर्थव्यवस्था में अपने योगदान से वित्तीय भागीदारी सुदृढ़ कर सकें। अतः यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की उद्यमी महिलाओं को देश भर के बाज़ारों से जोड़कर सशक्त बनाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

आरेख–1 : भारत में महिला सशक्तीकरण की दिशा में नीतिगत/संस्थागत प्रयास



स्रोतः विभिन्न नीतियों के आधार पर लेखक का विश्लेषण

ग्रामीण भारत में महिला सशक्तीकरण कैसे किया जा सकता है?

ग्रामीण भारत के सतत विकास में महिलाओं की सहभागिता सदैव महत्वपूर्ण रही है। परन्तु अगर भारत को 5 खरब (ट्रिलियन) डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य वर्ष 2025 तक हासिल करना है तो, न केवल शहरी अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी, महिलाओं की सहभागिता विभिन्न क्षेत्रों में बराबर तौर पर सुनिश्चित करनी होगी।

तालिका–3: महिला सशक्तीकरण हेतु कुछ चयनित राज्यों में नीतिगत पहल

क्र. सं.	राज्यों की नीतियां	महिला सशक्तीकरण हेतु विशेष प्रयास पर ज़ोर
1	राजस्थान– राज्य महिला नीति प्रारूप 2018	• समुदायों एवं सिविल सोसाइटी के सहयोग से महिलाओं और लड़कियों के सर्वांगीण विकास तथा गरिमामय जीवन हेतु उन्हें संरक्षण व सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करना
2	छत्तीसगढ़–राज्य महिला नीति	• महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ–साथ उनकी क्षमता विकास व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु अनुकूल वातावरण बनाने पर ज़ोर; • गैर–सरकारी संगठनों और महिला समूहों को विकास की प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना
3	मध्यप्रदेश– महिला नीति 2015	• महिलाओं के मुद्दों पर संवेदनशीलता को बढ़ावा देकर लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना; • पेशेवर विशेषज्ञता व कौशल विकास द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर ज़ोर; • महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के साथ–साथ समानतापूर्वक विकास प्रक्रिया में भागीदारी हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना
4	ओड़िशा– लड़कियों एवं महिलाओं हेतु राज्य नीति 2014	• लड़कियों एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु जीवन–चक्र दृष्टिकोण के साथ–साथ समावेशी विकास पर ज़ोर; • क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करते हुए न्यायसम्य व समानता हेतु सकारात्मक वातावारण पर बल
5	कर्नाटक– महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु राज्य नीति 2018 ड्राफ्ट	• महिलाओं के सर्वांगीण एवं समावेशी विकास पर ज़ोर; • महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ कृषि कार्यों में उनकी सहभागिता को मान्यता देना; • महिला सशक्तीकरण में सोशल मीडिया के उपयोग पर ज़ोर
6	केरल– लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण नीति 2014–20	• महिलाओं के अधिकारों एवं लैंगिक समानता पर ज़ोर; • महिला सशक्तीकरण की प्रकिया में समाज के सभी भागीदारों तथा निजी क्षेत्र की भूमिका पर ज़ोर

स्रोतः राज्यों की नीतियों से लेखक का विश्लेषण

इसके लिए उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन के रूप में सक्षम बनाकर, अवसर भी प्रदान करने होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में संभावित सुझाव निम्नलिखित हैं;

- ग्राम पंचायतों में, महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट/बेहतर कार्यों हेतु वित्तीय या गैर–वित्तीय रूप से सम्मानित करने के माध्यम से; अर्थात् महिलाओं को सकारात्मक प्रेरणा देकर;
- ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल मीडिया व सूचना–संचार तकनीकी तथा किशोर बालक/बालिकाओं की सहायता से विभिन्न क्षेत्रों में कौशल–निपुण महिलाओं को, समाज के समक्ष आदर्श (रोल मॉडल) के रूप में प्रोत्साहन देकर;
- गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों में, साप्ताहिक या मासिक तौर पर, महिलाओं की बैठक के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य, मातृत्व एवं शिशुओं के खानपान, स्वरोज़गार व आसानी से शुरू किए जाने वाले उद्यमों के साथ–साथ अन्य समकालीन मुद्दों संबंधी जानकारियों को रोचक ढंग (विडियो, लघु फिल्मों इत्यादि) के माध्यम से जागरूक करना। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों (कुपोषण, रक्ताल्पता, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारियों का अभाव इत्यादि) से निपटा जा सके तथा महिलाएं सशक्त व सजग हो सकें;
- सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं अन्य योजनाओं में महिला सशक्तीकरण को विशेष रूप से प्रोत्साहन देकर;
- ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों की महिलाओं के प्रति मनोदशा एवं मानसिकता में बदलाव लाकर ही महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है;
- जिस प्रकार नीति आयोग, भारत सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है; ठीक उसी प्रकार प्रत्येक गांव, ब्लॉक एवं ज़िला–स्तर पर महिलाओं को स्थानीय ज़िला प्रशासन द्वारा सम्मानित करने के प्रयास से उन्हें जागरूक व सशक्त किया जा सकता है।

संक्षेप में, ग्रामीण महिलाओं द्वारा समाज में पारंपरिक कार्यों के अलावा अन्य कार्यों को सजगतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु उनका सशक्तीकरण अति आवश्यक है। अतः ग्रामीण भारत के सतत विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की अवधारणा; 'महिलाओं के विकास' से 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास', पर हमें कार्य करने की नितांत आवश्यकता है।

(लेखक राज्य योजना आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़ में सलाहकार एवं लोक नीति विश्लेषक रह चुके हैं।)
ई–मेल : nileshtiwariprsu@gmail.com

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण- सरकार की प्राथमिकता

–सात्विक मिश्रा

सरकार महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक परिवेश में लैंगिक समानता और न्याय प्रदान करके उनकी क्षमता का एहसास सुनिश्चित कर रही है। अर्थव्यवस्था में सभी अवरोधों को दूर करने के लिए प्रतिनिधि–स्तर पर प्रयास किए गए हैं। 'नए भारत' के सृजन की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सशक्त महिलाएं स्वयं अपने और देश की भलाई के लिए अपने आर्थिक साधनों का उपयोग करेंगी।

"जब तक नारी की दशा में सुधार नहीं होता, विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।" वर्तमान सरकार की नीतियों और योजनाओं में स्वामी विवेकानंद के ये शब्द प्रतिध्वनित हुए हैं। महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण के प्रति बहुआयामी समीक्षा पर आधारित एक संरचित दृष्टिकोण अपनाया गया है।

सशक्तीकरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा महिलाओं का अपने चयन पर नियंत्रण और अधिकार होता है। यह "उस स्थिति के संदर्भ में जीवन के युक्तिपूर्ण विकल्प खोजने की लोगों की क्षमता में विस्तार है जिस क्षमता से वे पहले वंचित थे।" (कबीर, 2001) इसके अलावा, महिलाओं के "साधन" की पहचान के लिए लंबे समय से मांग रही है जो उन्हें उनके आर्थिक विकल्पों का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाएगा। महिलाओं के सक्रिय साधन की सीमित भूमिका सभी लोगों–पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं, बच्चों और वयस्कों के जीवन को अत्यंत प्रभावित करती है। (सेन, 1999)। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम 'मन की बात' संबोधन में इस भावना को तब व्यक्त किया जब उन्होंने "महिला विकास" से "महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास" में बदलने का तर्क दिया।

किसी अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सलाहकार संस्था मैकिंसे ने "पॉवर ऑफ पैरिटी" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि" लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर भारत 2025 में 700 बिलियन डॉलर अतिरिक्त जीडीपी जोड़ सकता है, जिससे देश की वार्षिक जीडीपी वृद्धि में 1.4 प्रतिशत अंक की वृद्धि हो सकती है। इस वृद्धि का लगभग 70 प्रतिशत भारत की महिला श्रमबल की भागीदारी दर को 10 प्रतिशत अंक बढ़ा कर आता है, वर्तमान में 31 प्रतिशत से 2025 में 41 प्रतिशत तक बढ़ा कर यानी इस अवधि में अर्थव्यवस्था में 6.8 करोड़ अधिक महिलाओं को जोड़ कर"। "आई.एम.एफ प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्दे ने कहा, "आई.एम.एफ अनुसंधान के अनुसार कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के स्तर तक बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को 27 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।" इसलिए, महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ–साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि भारत के विकास और विकास क्षमता को साकार करने के लिए महिलाएं अर्थव्यवस्था में सक्रिय आर्थिक शक्ति बनें।



महिला सशक्तीकरण पर आधारित इस अंक में शामिल लेखों में दी गई जानकारी और व्यक्त विचार कोविड–19 से उत्पन्न हुई परिस्थिति से पहले की पृष्ठभूमि में लिखे गए हैं।

हालांकि हाल ही में श्रमबल में महिलाओं की घटती भागीदारी से चुनौतियां बढ़ी हैं। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 के अनुसार, महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी दर जो 2011–12 में 33 प्रतिशत थी 2017–18 में घटकर 25.3 प्रतिशत हो गई है। ये अनुमान एनएसओ–इयूएस और पीएलएफएस–2017–18 के आंकड़ों के संयोजन पर आधारित थे।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने समानता का पक्ष लेते हुए पहले राजनीतिक ग्रंथों में से एक लिखा था, जिसका नाम था 'साम्य'। उन्होंने अति उत्तम ढंग से स्पष्ट किया, "जिन क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिकारों में अंतर हैं वे उनके बीच पर्याप्त प्राकृतिक अंतर के अनुरूप नहीं हैं। स्पष्ट अंतर दोषपूर्ण सामाजिक नियमों के कारण हैं। साम्यता की धारणाओं के पीछे मूल उद्देश्य इन सामाजिक नियमों में संशोधन करना है।

बहुआयामी कारणों को देखते हुए, सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वह इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाज के विभिन्न आयामों में कई प्रयास करे और महिलाओं के सशक्तीकरण को सुनिश्चित करें। इन प्रयासों को चार मुख्य शीर्षों– सामाजिक, शैक्षिक, उद्यम संबंधी और ऐसे प्रयासों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है जो महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा कवच बनाते हैं।

प्रत्येक प्रयास के तहत विभिन्न योजनाओं को रेखांकित करने वाला एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है–

अ. सामाजिक प्रयास : यह उन पितृसत्ता और सामाजिक मानदंडों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है जो अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए एक असमान अवसर संरचना का निर्माण करते हैं। इसलिए सरकार ने समाज में इस विभिषिका का सामना करने के लिए कई कदम उठाए हैं:

- **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017:** महिलाओं की आर्थिक कार्यों में संलग्नता को प्रोत्साहित करने और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी संसाधनों का सामाजिक रूप से न्यायोचित आवंटन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एक संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसने महिलाओं के लिए उपलब्ध मातृत्व अवकाश की अवधि मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी, महिलाओं के लिए "घर से काम" से संबंधित एक सक्षम प्रावधान और 50 या अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले हर प्रतिष्ठान के लिए शिशुसदन सुविधा को अनिवार्य बनाया गया।
- **शी बॉक्स:** कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न के खिलाफ, जो महिलाओं को अर्थव्यवस्था में भाग लेने से वंचित करता है, कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए संसद ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 लागू किया था। सरकार ने शी–बॉक्स की अवधारणा द्वारा इस अधिनियम के माध्यम से निवारण की सुगम सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय नूतन प्रयास किया है। यह यौन उत्पीड़न इलैक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी–बॉक्स) यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के पंजीकरण की सुविधा के लिए हर महिला को, चाहे वह संगठित या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली हो–एकल खिड़की तक पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक प्रयास है। एक बार शी–बॉक्स में शिकायत दर्ज हो जाने के बाद इसे सीधे संबंधित अधिकारी को भेज दिया जाता है जिसके अधिकार क्षेत्र में मामले की कार्रवाई निर्धारित होती है।
- **वन स्टॉप सेंटर:** चरणबद्ध तरीके से, निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे समग्र सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए देशभर में एक एकीकृत मंच स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इन केंद्रों का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक स्थानों पर, परिवार के भीतर, समुदाय में और कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना है। पीड़ित महिलाएं, जो वन स्टॉप सेंटर तक पहुंच रही हैं या जिन्हें वहां भेजा जाता है, उन्हें यह विशेष सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- **बेटी बचाओ बेटी पढाओ:** इस पहल का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, कन्याओं की सुरक्षा एवं समृद्धि और बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना है। माननीय वित्तमंत्री ने फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण में इस योजना के परिणामों की बात की है। शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात अब लड़कों की तुलना में अधिक है। प्राथमिक–स्तर पर, यह लड़कों के 89.28 प्रतिशत के मुकाबले 94.32 प्रतिशत है। माध्यमिक–स्तर पर, यह लड़कों के 78 प्रतिशत की तुलना में 81.32 प्रतिशत है, उच्च माध्यमिक–स्तर पर लड़कों के 57.54 प्रतिशत की तुलना में लड़कियों ने 59.70 प्रतिशत के स्तर को हासिल किया है।

ब. शैक्षिक और कौशल संबंधी पहलें : हालांकि लड़कियों की शिक्षा प्राप्ति में व्यापक वृद्धि हुई है पर महिलाओं की उच्च शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके अलावा, शिक्षा के साथ–साथ यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि महिलाएं ऐसे ज़रुरी कौशल हासिल कर सकें जिन्हें उद्योग अपनी रोज़गार क्षमता को बढ़ाने के लिए चाहते हैं। इस दिशा में विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

- **प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम :** छात्रवृत्ति और साथ ही शैक्षिक ऋण योजनाओं के प्रबंधन और निगरानी के लिए पूर्णतः सूचना प्रौद्योगिकी आधारित छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण है। छात्र, पोर्टल के माध्यम से, कहीं भी, कभी भी बैंकों में शिक्षा ऋण के आवेदन देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। यह पोर्टल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के लिए लिंक भी प्रदान करता है।

- **कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र स्कॉलरशिप योजना :** इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले कम आय वर्ग के परिवारों के मेधावी छात्रों को अपने दैनिक खर्चों का एक हिस्सा पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। छात्रवृत्ति उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणामों के आधार पर प्रदान की जाती है। 82,000 छात्रवृत्ति के लक्ष्य का 50 प्रतिशत भाग लड़कियों के लिए निर्धारित किया गया है। इस छात्रवृत्ति के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के पहले तीन वर्षों के लिए स्नात्तक–स्तर पर 10,000 रुपये प्रति वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर 20,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। व्यवसाय संबंधी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्रों को चौथे और पांचवें वर्ष में 20,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं।
- **स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी एकल पुत्री छात्रवृत्ति :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कन्या शिक्षा की प्रत्यक्ष लागत की भरपाई करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की विशेष रूप से ऐसी कन्याओं के लिए, जो अपने परिवार में अकेली कन्या हैं। योजना के तहत प्रति माह 3100 रुपये की फैलोशिप मिलती है।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):** यह योजना कौशल प्रमाणन पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग–संबंधित कौशल में आजीविका सृजन और रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना है। पूर्व अनुभव रखने वालों या कुशल व्यक्तियों का भी मूल्यांकन किया जाता है और पूर्व शिक्षा की मान्यता के रूप में प्रमाणित किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस कौशल विकास योजना के बारे में उत्साहजनक तथ्य यह है कि पीएमकेवीवाई के तहत नामांकित और प्रशिक्षित लोगों में 50 प्रतिशत के करीब महिलाएं हैं।
- **महिला शक्ति केंद्र योजना:** यह योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संकल्पित की गई है। इस योजना के तहत, महिलाओं की आजीविका की जरूरतों को पूरा करने के लिए 115 आकांक्षी ज़िलों के महिला शक्ति केंद्र ब्लॉकों के 50 प्रतिशत तक महिला समूहों की क्षमता निर्माण की परिकल्पना की गई है। सुदूर/अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में उन समुदायों पर विशेष ज़ोर दिया गया है जहां महिलाएं औपचारिक कौशल प्रशिक्षण के लिए अपने आसपास के वातावरण से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं हैं। इस योजना को गैर–सरकारी संगठनों/सहकारी समितियों/कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से कार्यान्वित किया जाना है।
- **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोज़गार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप):** इस योजना की परिकल्पना विशेष रूप से ग्रामीण भारत की ऐसी महिलाओं के लिए की गई है जिनके पास औपचारिक कौशल प्रक्षिक्षण की सुविधाएं नहीं है। इसका उद्देश्य ऐसी भारतीय महिलाओं को लाभ पहुंचाना है जिनकी आयु 16 वर्ष तथा अधिक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई क्षेत्रों जैसे कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, परंपरागत शिल्प जैसे कि कशीदाकारी, यात्रा एवं पर्यटन, अतिथि सत्कार, कंप्यूटर और आईटी सेवाओं में कौशल प्रदान किया जाता है।

स. **उद्यम संबंधी कार्यक्रम :** सरकार ने सक्रिय रूप से महिलाओं के स्वरोज़गार को बढ़ावा दिया है ताकि उनका अर्थव्यवस्था में नौकरी चाहने वाला बनने के बजाय सम्पदा और रोज़गार सृजक बनना सुनिश्चित हो सके। इन कार्यक्रमों ने वित्तपोषण और बाज़ारों तक अपर्याप्त पहुंच जैसी चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया है, और उद्यमशीलता के जोखिम को उठाने के प्रति महिलाओं के आत्मविश्वास को भी मज़बूत किया है।

- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:** इस योजना के तहत, सरकार ने संपार्श्विक या गारंटर की आवश्यकता के बिना छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया है। इस योजना के तहत लाभार्थिओं का 70 प्रतिशत भाग महिलाएं है।
- **स्टैंडअप इंडिया:** यह योजना ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक कम से कम और एक महिला को प्रति बैंक शाखा 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये के बीच ऋण की सुविधा प्रदान करती है। यदि ऋण किसी गैर–व्यक्तिगत संस्था को दिया जाता है, तो 51 प्रतिशत शेयर होल्डिंग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। महिला खाताधारकों के लिए 16712.72 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और योजना के तहत 81 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं।
- **राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके):** आरएमके गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ)–सूक्ष्म वित्तीय संगठन (एमएफआई) को ऋण प्रदान करता है, जिन्हें मध्यस्थ संगठन (आईएमओ) कहा जाता है, जो महिलाओं के स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण प्रदान करते हैं। माइक्रो क्रेडिट को अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न महिलाओं को आय सृजन गतिविधियों के लिए संपार्श्विक (कोलेटरल) के बिना दिया जाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018–19 योजना के बढ़ते पैमाने और इसके वार्षिक प्रसार पर प्रकाश डालती है। पिछले वर्ष में कुल ऋण अदायगी 311 करोड़ रुपये रही है जो 740353 लाभार्थियों तक पहुंची है।

- **महिला ई हाटः** एक वेबसाइट है जो महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए निर्मित बेचे जाने वाली उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती है। यह पूरे देश में फैले महिला उद्यमियों को बाज़ारों तक पहुंच प्रदान करता है जिनकी पहुंच इन बाज़ारों तक बहुत कम है। ई–हाट में भागीदारी 18 वर्ष की आयु से अधिक सभी भारतीय महिला नागरिकों और महिला स्वयंसहायता समूहों के लिए खुली है।
- **प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** इस योजना के तहत् महिला उद्यमियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित परियोजना के लिए क्रमशः 25 प्रतिशत और 35 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। महिला लाभार्थियों के लिए उनका स्वयं का योगदान परियोजना लागत का केवल 5 प्रतिशत है जबकि सामान्य श्रेणी के लिए यह 10 प्रतिशत है।
- **महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी):** महिला उद्यमिता मंच देशभर में महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने में सक्षम बनाने वाला एक पोर्टल है। मंच इन उद्देश्यों को सूचना संसाधनों और सेवाओं के एक समुच्चय के रूप में प्रस्तुत करके पूरा करता है। इसका उद्देश्य इन्क्यूबेशन, एक्सलरेशन, उद्यमशीलता कौशल, विपणन सहायता, वित्तपोषण और वित्तीय सहायता के विभिन्न आलंबन क्षेत्रों के तहत सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही, इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य सरकारों के साथ संवाद शुरू करना और महिला उद्यमियों के लिए अनुकूल उद्यमशील पारिस्थितिकी–तंत्र की स्थापना के लिए स्थानीय हितधारकों को संवेदनशील बनाना है।

द. **वित्तीय सुरक्षा कार्यक्रम :** यह जानते हुए कि अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी संख्या कार्यरत है, सरकार के लिए वित्तीय सामाजिक सुरक्षा का एक आधार बनाना आवश्यक है। वित्तीय सुरक्षा के इस आधार पर, महिलाएं किसी अर्थव्यवस्था में सक्रिय साधन बनने की ख्वाहिश रख सकती हैं। सरकार ने इस आधार की रचना के लिए विभिन्न योजनाओं को तैयार किया है:

- **प्रधानमंत्री जन–धन योजनाः** इस योजना की परिकल्पना देश में व्यापक औपचारिक वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए की गई। यह वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, जो किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं, अर्थात् बैंकिंग/बचत और जमा खातों, विप्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। फरवरी 2020 तक, 53 प्रतिशत खाताधारक (20 करोड़ से अधिक) महिलाएं हैं। कोविड–19 महामारी में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में 9930 करोड़ रुपये जन–धन खातों वाली 19.86 करोड़ महिलाओं को वितरित किए गए हैं। इससे उन्हें इस महामारी से लगने वाले आर्थिक आघात से कुछ राहत मिली होगी।
- **अटल पेंशन योजना (एपीवाई):** इस योजना ने सभी भारतीयों के लिए एक सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की परिकल्पना की है, विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग लोगों के लिए, जिन्हें 60 साल के बाद कम से कम 1000 रुपये से 5000 रुपये की मासिक पेंशन निश्चित रूप से मिलेगी। यह योजना बैंक और डाकघरों के माध्यम से चालू आधार पर सदस्यता के लिए खुली है। इस योजना के तहत लगभग 2.15 करोड़ ग्राहकों में से 93 लाख यानी 43 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना :** इस योजना का उद्देश्य 18–50 आयु वर्ग के गरीबों और वंचित वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करना है, जो मात्र 330 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये की नवीकरणीय बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। इस योजना के तहत 40.70 प्रतिशत नामांकन महिला सदस्यों के हैं और 58.21 प्रतिशत दावा करने वालों लाभार्थी महिलाएं रही हैं।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाः** इस योजना का उद्देश्य 18 से 70 वर्ष की आयु के उन गरीबों और वंचित वर्ग के लोगों के लिए प्रति वर्ष 12 रुपये प्रीमियम पर सस्ती बीमा योजना प्रदान करना है, जिनका बैंक में खाता है। इसमें आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए एक लाख रुपये का जोखिम कवरेज है। इस योजना के तहत 41.50 प्रतिशत नामांकन महिला सदस्यों के हैं और 61.29 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं।

द वूमन, बिज़नेस एंड लॉ रिपोर्ट 2020 को हाल ही में वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा जारी किया गया। इस अध्ययन ने 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसरों को प्रभावित करने वाले कानूनों और नियमों की जांच की। सरकार द्वारा हाल की पहलों के चलते भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो 100 में 74.4 के स्कोर के साथ साल–दर–साल 4 प्रतिशत वृद्धि हासिल कर रहा है और इसे 190 देशों में से 117 वां स्थान मिला है।

सरकार महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक परिवेश में लैंगिक समानता और न्याय प्रदान करके उनकी क्षमता का एहसास सुनिश्चित कर रही है। अर्थव्यवस्था में सभी अवरोधों को दूर करने के लिए प्रतिनिधि–स्तर पर प्रयास किए गए हैं। 'नए भारत' के सृजन की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सशक्त महिलाएं स्वयं अपने और देश की भलाई के लिए अपने आर्थिक साधनों का उपयोग करेंगी।

(लेखक नीति आयोग में यंग प्रोफेशनल है। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : satwik.mishra@nic.in

आशाकर्मी - ग्रामीण भारत के लिए आशा की किरण

–तृप्ति नाथ

चाहे आशा हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर एएनएम, यह सभी राष्ट्र निर्माण के अग्रणी सिपाही हैं। इनके बिना देश में स्वस्थ मातृत्व की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सभी देश की नींव को, देश के भविष्य को मजबूत करने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रही हैं। देश की हर माता, हर शिशु की सुरक्षा घेरे को मजबूत करने का ज़िम्मा इन्होंने अपने कंधे पर उठाया है। सुरक्षा के इस घेरे के तीन पहलू हैं। पहला है पोषण यानी खान–पान, दूसरा है टीकाकरण और तीसरा है स्वच्छता। कोविड–19 महामारी के बाद उत्पन्न हुई स्थिति में इनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है।

जिस समय प्रधानमंत्री भारतवासियों का मनोबल ऊंचा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उस दुख और चुनौती भरे समय में ये आशाकर्मी वास्तव में अपने नाम के ही अनुरूप आशा की किरण जगा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में कोविड–19 महामारी से लड़ रहे भारत जैसे विशाल देश में मोर्चे पर आकर लड़ने वाली प्रशिक्षित कार्यशक्ति आशा के रूप में तैयार है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की एक प्रमुख रणनीति 1000 की आबादी वाले हरेक गांव को एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराना है। लेकिन राज्यों को आबादी और शैक्षिक योग्यता के नियमों में अपने हिसाब से तब्दीली करने की छूट मिली हुई है। इन कार्यकर्ताओं का काम स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना और समुदाय को स्थानीय स्वास्थ्य नियोजन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अधिक इस्तेमाल के लिए एकजुट करना है।

प्रशिक्षण के दौरान आशाकर्मियों को निर्देश दिया जाता है कि उनका काम समुदाय को स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख कारकों जैसे पोषण, बुनियादी सफाई और स्वच्छता के तरीके, जीवन एवं कामकाज की स्वस्थ स्थितियों के बारे में जानकारी मुहैया कराना है। मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाओं के समय पर इस्तेमाल की जरूरत के बारे में जानकारी साझा करना भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी होती है।

नीति योजनाकारों के अनुसार आबादी के हाशिये पर पड़े वर्गों खासतौर पर महिलाओं एवं बच्चों, जिनके लिए स्वास्थ्य सेवा हासिल करना मुश्किल होता है, की स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जरूरत के लिए पहला सहारा आशाकर्मी ही हैं। समय के साथ इन



गांवों को कोविड-19 से बचा रहीं आशाकर्मी

आशाकर्मी ग्रामीणों को भयानक कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के बारे में समझाकर अपरिहार्य भूमिका निभा रही हैं। आखिरकार भारत के सात लाख से ज्यादा गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ ये आशाकर्मी ही तो हैं। वैसे तो देश के हर ज़िले में ये आशाकर्मी कोविड–19 महामारी के दौर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है लेकिन यहां हम वाराणसी की चर्चा करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आने वाली ज़मीनी रिपोर्ट बताती हैं कि आशाकर्मी कई भूमिकाएं एक साथ निभा रही हैं और उन्हें अपने इलाकों में कोरोना वायरस की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने का ज़िम्मा दिया गया है।

14 अप्रैल, 2020 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड–19 के बारे में एक ट्वीट में सलाह दी कि उसके लक्षणों वाले व्यक्ति राष्ट्रीय/राज्य हेल्पलाइन केंद्रों पर या आशाकर्मियों एवं फील्ड कर्मचारियों जैसे मोर्चे पर काम करने वाले कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं। ट्वीट में कहा गया कि इन कर्मचारियों को समूची प्रक्रिया के बारे में बता दिया गया है और ये बीमारी का जल्द पता करने में मदद कर सकते हैं तथा अस्पतालों में समुचित इलाज की व्यवस्था में भी सहायता कर सकते हैं।

40 वर्ष की आशाकर्मी रेखा शर्मा बताती हैं कि वाराणसी में आशाकर्मियों से मई के अंत तक निर्धारित गांवों में रोज़ाना 25 से 30 घरों में जाने के लिए कहा गया है। लॉकडाउन के 20वें और 21वें दिन टेलीफोन पर बातचीत में रेखा ने लेखिका को बताया कि उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले गांवों में कोविड–19 के बारे में जागरूकता फैलाने पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। रेखा बताती हैं कि रोज़ सुबह वह अपने घर से यह ठानकर निकलती हैं कि 25 से 30 घर जाने का दैनिक लक्ष्य पूरा करना है। उन्हें बड़ा गांव बाज़ार, सीतापुर, मदनापुर, बिसाईपुर और कोयरीपुर में कोविड–19 के बारे में जागरूकता फैलानी हैं। वह कहती हैं, "मैं मास्क और दस्ताने पहनकर घर–घर जाती हूं और लोगों को बचाव के तरीके बताती हूं जैसे मास्क पहनना, घर के भीतर रहना और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। मैं उनसे यह भी पूछती हूं कि उनके घर किसी अन्य राज्य से कोई व्यक्ति तो नहीं आया है। कोई आया होता है तो मैं उनसे फॉर्म भरने और विवरण देने के लिए कहती हूं, जिसे मैं स्वास्थ्य अधिकारियों के पास पहुंचा देती हूं। बेंगलूरु, दिल्ली, पुणे और अन्य शहरों में काम करने वाले कुछ कामगार लॉकडाउन के बाद गांव लौटे हैं क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उनके पास कोई काम ही नहीं था। उन्हें कोविड–19 की जांच कराने के लिए कहा गया है।"

करीब 14 वर्षों से आशाकर्मी के तौर पर काम कर रही रेखा की गांव वालों से काफी घनिष्ठता हो चुकी है। इतने वर्षों में उन्होंने कई गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल में प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहित किया है और गर्भावस्था के दौरान समुचित जांच में उनकी मदद की है। इतना ही नहीं, अन्य आशाकर्मियों की तरह रेखा ने भी उनके शिशुओं को पोलियो ड्रॉप पिलाने में मदद की है, युवा दंपतियों को पुरुष एवं महिला नसबंदी के बारे में बताया है तथा किशोरियों को माहवारी के दौरान सफाई रखने की सलाह दी है।

वाराणसी से काम करने वाले गैर–सरकारी संगठन ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड में वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक बताते हैं कि वे ग्राम प्रधानों और पंचायती राज सदस्यों के साथ स्वयंसेवियों, आशाकर्मियों की तरह सबसे आगे रहकर काम करने वालों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और दाई आदि को शिक्षित कर रहे हैं, जिसके लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। वह कहते हैं, "जैसे ही हमें पता चला कि कोविड–19 भारत के लिए बड़ा खतरा बनने जा रहा है, वैसे ही हमने गांवों में संपर्क की अपनी व्यवस्था मज़बूत करने का ज़िम्मा खुद ही अपने हाथ में ले लिया। चूंकि हम भारत के विभिन्न राज्यों में काम करते आए हैं और लंबे समय से उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों पर हमारा खास ध्यान है इसलिए हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण जैसे सरकारी विभागों को अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। हमने ध्यान रखा है कि कोविड–19 के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताए जा रहे सभी तथ्य रोज़ाना गांवों तक पहुंचाए जाते रहें। जब और जहां जरूरत होती है, हम सामुदायिक संगठनों तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों की मदद भी ले रहे हैं।"

आशाकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों, नेहरू युवा केंद्रों, एनएसएस और एनसीसी के कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि ग्रामीणों से आरोग्य सेतु ऐप (नागरिकों को कोविड–19 संक्रमण से संक्रमित होने के खतरे का पता लगाने में मदद करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय द्वारा विकसित ऐप) डाउनलोड करने के लिए कहा जाए। वाराणसी के सभी सरकारी विभाग आरोग्य सेतु को पहले ही सक्रिय तौर पर बढ़ावा दे रहे हैं। इसे आसान बनाने के लिए सभी स्वयंसेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आरोग्य सेतु का लिंक दे दिया गया है। भारत के गांवों में समर्पित और मित्रवत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की यह फौज निश्चित रूप से लोगों को जानकारी देकर कोविड–19 की चुनौती का जमकर मुकाबला कर रही है।



सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांव वालों का बड़ा भरोसा जीत लिया है और ग्रामीण अब इन्हें अपने परिवार की ही तरह मानते हैं।

प्रत्येक आशाकर्मी के पास सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा देने के लिए दवाओं की पेटी होती है और उसकी जानकारी भी होती है। उससे अपेक्षा की जाती है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशों के अनुसार वह अपने गांव में जन–स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक प्रतिभागिता की सूत्रधार बनेंगी।

आशाकर्मी को दवाओं की पेटी या किट दी जाती है, जिसमें कुछ दवाएं और उपकरण तथा ऐसे उत्पाद होते हैं, जिनकी मदद से वह समुदाय की शुरुआती देखभाल कर सकती हैं। दवाओं की उस किट में आमतौर पर छोटी–मोटी बीमारियों की दवा होती हैं। उसे नवजात की देखभाल की घरेलू किट भी दी जाती है, जिसकी मदद से वह छठे और सातवें मॉड्यूल के प्रशिक्षण के उपरांत नवजात के विकास का अनुमान लगा लेती है।

उसकी किट में घर पर ही प्रसव कराने के लिए डिस्पोज़ेबल डिलीवरी किट, पैरासिटामॉल की गोलियां, पैरासिटामॉल सिरप, जिंक की गोलियां, आयरन फोलिक एसिड (एल) की गोलियां, कॉट्रिमॉक्साज़ोल सिरप, बच्चों की कॉट्रिमॉक्साज़ोल गोलियां, ओआरएस पैकेट, कॉण्डम, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां, साबुन, स्टेरिलाइज्ड रुई और सैनिटरी नैपकिन (किशोरियों में माहवारी के दौरान स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए) एवं त्वरित जांच किट होती हैं। उनके अलावा, आशा किट में डिजिटल कलाई घड़ी, थर्मामीटर, (नवजात के लिए) वजन मापने की मशीन, बच्चे का कंबल, बच्चे को खिलाने वाला चम्मच और बलगम निकालने का यंत्र भी होता है।

हालांकि दिशानिर्देशों में कहा गया है कि आशाकर्मियों को पांच कड़ियों में 23 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ज़ोर देकर कहता है कि आशाकर्मी का प्रशिक्षण लगातार चलता रहेगा। आशाकर्मी का चयन होने के बाद उसे गांव के स्वास्थ्य की स्थिति समझने की सलाह दी जाती है।

यह व्यवस्था भारतीय गांवों में बहुत कारगर रही है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक गांव की यात्रा के दौरान लेखिका को आशाकर्मियों के बारे में बेहद करीब से जानने का मौका मिला। लेखिका ने देखा कि वाराणसी के ग्रामीणों के साथ आशाकर्मियों की बहुत घनिष्ठता है। लोगों को उनमें बहुत भरोसा है और वे जैसे ही दरवाज़े पर पहुंचती हैं, महिलाएं उन्हें घेरकर सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान पूछने लगती हैं।

उनकी कही हरेक बात को ग्रामीण बहुत गंभीरता से लेते हैं और शर्मीली ग्रामीण महिलाएं भी उनसे टीकाकरण, परिवार नियोजन के तरीकों तथा नवजात को दूध पिलाने के तरीकों पर गंभीरता से जानकारी लेती हैं। ग्रामीण आशाकर्मी को सम्मान देते हैं और अपने दरवाज़े पर उनका स्वागत करते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि आशा 'गांव की बहुएं' हैं। यह लेखिका भी उन आशाकर्मियों से मिली, जिन्होंने दकियानूसी रवैये वाले पुरुषों को भी परिवार नियोजन के लिए पुरुष गर्भनिरोधक इस्तेमाल करने पर राज़ी कर लिया था ताकि पुरुष अपने परिवारों को बेहतर साधन दे सकें।

अपने लोकप्रिय रेडियो संबोधन 'मन की बात' के 14वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने भारत में समर्पित आशाकर्मियों के नेटवर्क की ओर देशवासियों का ध्यान दिलाया था। उन्होंने बताया कि बिल और मेलिंडा गेट्स ने भी आशाकर्मियों के समर्पण की तारीफ़ की है। उन्होंने समाजसेवा के लिए बहुमूल्य कार्य करने वाली ओडिशा की एक आशाकर्मी की तारीफ़ की। 30 मिनट के अपने संबोधन में श्री मोदी ने बालासोर ज़िले की समर्पित आशाकर्मी जमुना मणि सिंह के योगदान का भी उल्लेख किया, जिन्होंने ज़िले में मलेरिया के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी।

प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मलेरिया से ग्रस्त छोटे और गरीब तेंदागांव की आशाकर्मी जमुना मणि सिंह की सफलता की कहानी साझा की। जुमना मणि ने प्रण किया कि वह अपने गांव में एक भी मौत नहीं होने देंगी। अपने समर्पण भरे प्रयासों से, जिनमें बीमारी के



बारे में जागरूकता फैलाना भी शामिल था, उन्होंने मलेरिया से होने वाला नुकसान टालने का भरसक प्रयास किया। वह घर–घर जाती और जैसे ही उन्हें पता चलता कि गांव में किसी को बुखार है, वह उसके पास पहुंच जाती। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव में हर घर में कीटनाशक और मच्छरदानी का प्रयोग किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा, ''जमुना मणि के माध्यम से मैं सभी आशाकर्मियों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। वे खुशी और दुख के क्षणों में समाज के साथ रहती हैं। यदि हम उन्हें सम्मान देंगे तो वे हमारे देश की बड़ी ताकत बन जाएंगी।'' प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जमुना मणि सिंह को उनके प्रयासों के लिए ओडिशा सरकार द्वारा पहले ही सम्मानित किया जा चुका है।

आशाकर्मी बनने की अर्हताएं

आशाकर्मी बनकर किसी गांव की सेवा करने की इच्छा रखने वाली महिला को उसी गांव का निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आशाकर्मी का चयन करते समय ऐसी महिला को वरीयता दी जाती है, जो साक्षर हो और मैट्रिक पास हो। यदि इस योग्यता वाली कोई महिला नहीं मिले तो शर्त में ढील दी जा सकती है। आशाकर्मियों को समाज तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच सेतु का काम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें कड़ी चयन प्रक्रिया के जरिए चुना जाता है, जिसमें विभिन्न सामुदायिक समूह, स्वयंसहायता समूह, आंगनवाड़ी संस्थाएं, ब्लॉक नोडल अधिकारी, ज़िला नोडल अधिकारी, ग्राम स्वास्थ्य समिति और ग्रामसभा शामिल होते हैं।

गांवों में कुशलता के साथ काम करने के लिए आशाकर्मियों को पर्याप्त संस्थागत मदद की जरूरत होती है। महिलाओं की समितियां (जैसे स्वयंसहायता समूह या महिला स्वास्थ्य समितियां), ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य एवं सफाई समिति, स्वास्थ्यकर्मी जैसे एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा के प्रशिक्षक ही आशाकर्मियों के लिए सहायता के प्रमुख स्रोत हैं।

आशाकर्मियों को सार्वभौम टीकाकरण, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय ले जाने एवं अन्य स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों तथा घरों में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन पर आधारित पारितोषिक दिया जाता है। वे महिलाओं को प्रसव के लिए तैयारी करने, सुरक्षित प्रसव, दुग्धपान एवं पूरक आहार, टीकाकरण, गर्भनिरोध तथा प्रजनन मार्ग में संक्रमण अथवा यौन संचारी रोग जैसे आम संक्रमणों से बचाव तथा छोटे बच्चों की देखभाल के बारे में परामर्श देती हैं। समय–समय पर आशाकर्मियों को सम्मानित भी किया जाता है।

दिसंबर 2019 में लुधियाना (पंजाब) के कूमकला उपकेंद्र के खोसी कलां गांव की आशाकर्मी बलविंदर कौर को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा राष्ट्रीय सार्वभौम स्वास्थ्य कवरेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें अपने ब्लॉक में स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्रों की सुविधाओं को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

(लेखिका दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेल : triptinathnepel@gmail.com

पंचायत से स्वच्छता अभियान तक महिलाओं की सफलता गाथा

–सन्नी कुमार

ऐसे सफल उदाहरण भरे पड़े हैं जहां महिला प्रतिनिधियों ने पंचायत की रूपरेखा ही बदल दी। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक तथा पर्यावरण से कला तक के विविध क्षेत्रों को नए तरीके से इन्होंने संवारा। इसके अतिरिक्त 'स्वयंसहायता समूह' भी एक ऐसा प्रयास है जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। इनमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से यह हुआ कि न केवल वो बाहर की दुनिया से जुड़ गईं बल्कि इनकी आर्थिक हैसियत भी बढ़ी। साथ ही, स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में भी महिलाओं ने असाधारण योगदान दिया।

इतिहास के कुछ अन्याय अपने प्रक्रियागत अभ्यास के कारण इतने रूढ़ हो गए हैं कि 'स्वाभाविक' से लगने लगे हैं। मानों इसे ऐसा ही होना अभीष्ट था। जीवन के विविध क्षेत्रों में आधी आबादी की गौण हिस्सेदारी से बड़ा अन्याय और क्या होगा, किंतु इसे हम तब महसूस करते हैं जब विशिष्ट रूप से इसे उजागर किया जाए। अन्यथा राजनीति से लेकर आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की अनुपस्थिति सामान्य–सी लगती है। देश की सर्वोच्च प्रतिनिधि निकाय संसद में मुट्ठी भर महिला प्रतिनिधियों का होना, निर्णयकारी पदों पर लगभग शून्य उपस्थिति, कार्यस्थल में महिलाकर्मियों की न्यून संख्या तथा आम जनजीवन की महत्वपूर्ण गतिविधियों में निष्क्रिय भागीदारी अब भी बरकरार हैं। दिलचस्प बात है कि ऐसी स्थिति तब है जब महिलाओं ने खुद को मिले मौके को कहीं अधिक बेहतर ढंग से निष्पादित किया। यहां संसद का उदाहरण देना समीचीन होगा कि एक महिला प्रत्याशी के लोकसभा चुनाव जीतने की प्रायकिता पुरुष उम्मीदवार से बेहतर रही है किंतु फिर भी महिलाओं की उम्मीदवारी ही सीमित रहती है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 1952–77 तक लोकसभा हेतु महिला उम्मीदवारों के जीतने का स्ट्राइक रेट 46 प्रतिशत, 1977–2002 तक 14 प्रतिशत तथा 2002–2019 तक 10 प्रतिशत रहा जबकि इसी बीच, पुरुष उम्मीदवारों का प्रतिशत क्रमशः 25, 8 तथा 7 रहा। यह आंकड़े सिर्फ यह दर्शाने के लिए उपयोग किए गए हैं कि महिलाओं ने 'योग्यता और अवसर' के अनुपात को श्रेष्ठ तरीके से मूर्त किया है। और यह सिर्फ अकेला क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने प्राप्त अवसर को बेहतर तरीके से भुनाया हो। ऐसे अनेक अन्य क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की कार्यक्षमता का सर्वोच्च प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है और उसमें सबसे प्रमुख है पंचायती राज व्यवस्था।

पंचायत में महिलाएंः अवसर और चुनौतियां

लोकतंत्र की बुनियाद ही समावेशी भागीदारी के सिद्धांत पर टिकी होती है। और यह सिर्फ अमूर्त सैद्धांतिकी तक ही सीमित नहीं होती बल्कि सच्चे अर्थों में यह 'अवसर उपलब्धता' के समावेशन पर कार्य करती है। अर्थात् समाज के सभी वर्गों को राष्ट्रीय गतिविधियों में भागीदारी का न केवल समान अधिकार प्राप्त हो बल्कि राज्य





कुछ ऐसी सकारात्मक व्यवस्था भी करें कि सभी वर्गों की 'अनिवार्य भागीदारी' सुनिश्चित हो। ऐसी ही एक व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा की गई जब पंचायत चुनाव को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया तथा इनमें महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गईं। साथ ही, राज्यों को यह अधिकार भी दिया गया कि वो चाहें तो इस सीमा को बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार महिलाओं के हिस्से में एक ऐसा अवसर आया जिसे आगे सफलता की मिसाल हो जाना था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सफलता की यह राह एकदम सपाट थी, तमाम चुनौतियां थी जो संभावनाओं के इस अनंत क्षेत्र को नष्ट कर देना चाहते थे।

सबसे पहली समस्या भारतीय सामाजिक संरचना से जुड़ी 'पितृसत्तावाद' की थी। हमेशा से राजनीति को पुरुषों का काम मानने वाले समाज में यह आसान नहीं था कि एक महिला को आसानी से राजनीतिक अधिकार हासिल करने दिए जाते। इसलिए शुरू में इसका खूब विरोध हुआ। कई पंचायतों में इसके विरुद्ध हिंसा तक की गई और कई कुत्सित प्रयास किए गए। चूंकि संवैधानिक व्यवस्था थी इसलिए महिलाओं का निश्चित किए गए सीट से चुना ही जाना था इसलिए क्रमशः अस्वीकारता का यह भाव धीमे–धीमे कम होता गया, किंतु दूसरे सिरे से एक अन्य समस्या जन्म लेने लगी जिसे मुहावरेदार भाषा में 'प्रधान पति' कहा जाता है। यानी चुनी हुई महिला प्रतिनिधि का सारा कामकाज उनके पति देखने लगे। इस प्रकार महिलाओं की सैद्धांतिक भागीदारी तो बढ़ी किंतु व्यावहारिक रूप से शक्ति अभी भी पुरुषों के पास ही बनी रही।

दूसरी सबसे प्रमुख समस्या संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे में महिला प्रतिनिधियों को लेकर व्याप्त पूर्वाग्रह रहे। लंबे समय तक इनकी कार्यक्षमता को संदेह की नज़र से देखा गया जिससे इनका आत्मविश्वास तो कम हुआ ही; साथ ही, वे हतोत्साहित भी हुईं। इससे पंचायतों का विकास कार्य भी प्रभावित हुआ।

तीसरी चुनौती अवसंरचना दोष से जुड़ी है। वस्तुतः ऐसी कोई कार्यप्रणाली विकसित नहीं हो पाई है जहां सभी महिला प्रतिनिधि एक–दूसरे के औपचारिक संपर्क में रहें और अपनी चुनौतियों और अनुभवों को साझा करें। इसके अभाव में हर महिला प्रतिनिधि को अपनी चुनौती अनन्य लगने लगी जिसने काफी हद तक राजनीतिक गतिविधियों में उनकी रुचि घटाई।

चौथी चुनौती पूरी निर्वाचन प्रणाली से जुड़ी है जो उसी रूप में यहां भी शामिल हो गई। दरअसल, जाति–आधारित चुनावी प्रक्रिया आज पंचायतों की हकीकत बन चुकी है। महिला प्रतिनिधियों का चुनाव भी काफी हद तक इसी गणित से प्रभावित होने लगा।

इसके अतिरिक्त भी कई चुनौतियां गिनायी जा सकती हैं लेकिन मूल बात यह है कि इन कठिनाइयों के पार महिलाओं की सफलता की कई गाथाएं है जहां उन्होंने पंचायतों को पूरी तरह बदल दिया। सफलता की इन कहानियों को जानना अधिक रोचक और जरूरी है।

महिलाओं ने बदली पंचायत की सूरत

महिला प्रतिनिधि पंचायतों के लिए कितनी सफल सिद्ध हुईं, इसे दो उदाहरणों से देखा जा सकता है। एक तो अधिकांश राज्यों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या उनके लिए आरक्षित की गई सीटों से अधिक हैं। सामान्य सीटों से उनकी जीत यह बताती है कि उनकी कार्यक्षमता और नेतृत्वशक्ति पर भरोसा बढ़ा है। पुरुषों का क्षेत्र मानी जाने वाली राजनीति में महिलाओं का यह हस्तक्षेप रेखांकित करने योग्य है। दूसरा, लगभग आधे राज्यों ने महिला आरक्षण को एक तिहाई से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का फैसला किया है। अर्थात् राज्य मशीनरी ने भी महिला प्रतिनिधियों को पंचायतों के लिए अधिक अनुकूल माना। वस्तुतः, पंचायती राज की व्यवस्था जिन मौलिक प्रश्नों तथा रोजमर्रा की सुविधाओं को संबोधित करती है, उसकी सबसे बेहतर समझ महिलाओं को ही है। राशन, पेयजल, रोशनी, शौचालय, शिक्षा और चिकित्सा जैसे मूलभूत संसाधनों की 'उपयोगिता और वंचना' से सर्वाधिक परिचित महिलाएं ही होती हैं। इसलिए स्वाभाविक ही हैं कि इनके संबंध में ये बेहतर कार्य कर सकेंगी। फिर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 'घरेलू महिलाओं' ने ही पंचायत चुनाव में रुचि दिखाई बल्कि अलग–अलग व्यवसायों में सफल महिलाओं ने भी बदलाव की इस मुहिम से स्वयं को जोड़ा। इनमें से कुछ प्रेरणादायक गाथाओं को यहां साझा करना उचित होगा।

• कॉरपोरेट से पंचायत तक

पंचायत प्रतिनिधि का पद बहुत 'ग्लैमर' नहीं रखता है लेकिन यदि ज़िम्मेदारी का अहसास हो जाए तो पैसे और सुविधाओं से लदे कैरियर को छोड़ा जा सकता है। छवि रजावत की कहानी भी ऐसी ही है। एमबीए जैसी प्रतिष्ठित डिग्री हासिल करने के बाद छवि

ने पंचायत में काम करने का निर्णय लिया और टोंक, राजस्थान के सोडा गांव से सरपंच का चुना लड़ा और जीत भी गईं। छवि ने वहां सरपंच रहते पूरे पंचायत की सूरत बदल दी। उस समय तक पंचायत में जल उपलब्धता की गंभीर समस्या थी जिसको दूर करने के लिए छवि ने 'जल संरक्षण प्रोजेक्ट' संचालित किए। इसके तहत एक विस्तृत क्षेत्र में जलाशय बनाया गया। साथ ही, कॉरपोरेट की मदद से छवि ने एक ताल का भी जीर्णोद्धार कराया। इससे सोडा गांव के कुल 950 परिवारों के लिए जल संकट समाप्त हो गया। इसके अलावा, छवि ने महिलाओं में समान अधिकार के लिए जागरूकता अभियान चलाया तथा स्वच्छ पेयजल, शौचालय निर्माण, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने जैसी मूलभूत सुविधाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया। इनकी सबसे बड़ी सफलता यह रही कि इन्होंने पंचायत और कॉरपोरेट को परस्पर जोड़ने का काम किया। इससे विकास कार्यों को आशातीत सफलता मिली।

- **घूंघट के पार**

रूढ़ियों से जकड़े समाज में आज भी महिलाओं और दुनिया के बीच में एक पर्दा होता है जिसे घूंघट कहते हैं। कपड़े का यह टुकड़ा दरअसल एक बेड़ी है जो महिलाओं को वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने से रोकती है। धनी मियां खान गांव (हरियाणा) की सुषमा को भी ऐसे ही घूंघट ने जकड़ रखा था, जिसे तोड़कर एक बार जब वो आज़ाद हुईं तो फिर एक नए बदलाव की प्रेरणा बनीं। सुषमा ने इसके बाद वहां चुनाव लड़ा और पंचायत प्रतिनिधि बनीं। इन्होंने अपनी पंचायत की महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए 'टेलर सेंटर' निर्मित किया तथा बैंकों के माध्यम से इसके लिए वित्त का प्रबंध किया। साथ ही, सुषमा ने जल–संरक्षण में भी कमाल का काम किया जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके गांव को 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सुषमा ने हरियाणा की उस रूढ़िवादिता को भी चुनौती दी जहां लिंगभेद अपने चरम पर था और इसलिए भ्रूणलिंग जांच प्रतिबंध के सफल क्रियान्वयन में भूमिका निभाई। सुषमा ने लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की।

- **पंचायत की डॉक्टर**

राजस्थान के भरतपुर ज़िले की कामां पंचायत को 'शहनाज़ खान' के रूप में राजस्थान की पहली एमबीबीएस सरपंच मिली। शहनाज़ के सरपंच चुने जाने का लाभ यह हुआ कि पूरी पंचायत स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर पहले से बहुत अधिक जागरूक हो गई। साथ ही, पहले जहां लोग 'टीबी' को असाध्य बीमारी मानकर इलाज नहीं कराते थे वहीं शहनाज़ ने उन्हें बताया कि छह महीने के इलाज के बाद इससे ठीक हुआ जा सकता है। लड़कियों की शिक्षा को लेकर पिछड़े उस क्षेत्र को इन्होंने अपना उदाहरण देकर समझाया कि शिक्षा किस तरह जीवन को बदल सकती है।

- **कोई अंगूठा नहीं लगाएगा**

उड़ीसा के धुनकापड़ा में जब एक बैंकर 'आरती देवी' सरपंच बनीं तो उन्होंने अपनी पंचायत में 'कोई अंगूठाछाप नहीं केवल हस्ताक्षर' अभियान चलाया। इसका असर हुआ कि गांव की लगभग सभी महिलाओं ने हस्ताक्षर करना सीख लिया और व्यावहारिक साक्षरता हासिल की। इसके अलावा, इन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया तथा लगभग 1.5 लाख पौधारोपण कराया। आरती की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इन्होंने ग्राम–स्तर को सुदृढ़ किया तथा सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया। खासकर जन वितरण प्रणाली को सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इनका प्रशासनिक सुधार प्रयोग इतना सफल रहा कि अमेरिका में इन्हें इस विषय पर बोलने के लिए भी बुलाया गया। इसके अतिरिक्त, इन्होंने स्थानीय कला को बढ़ावा देने का भी समुचित प्रयास किया।

ऐसे सफल उदाहरण भरे पड़े हैं जहां महिला प्रतिनिधियों ने पंचायत की रूपरेखा ही बदल दी। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक तथा पर्यावरण से कला तक के विविध क्षेत्रों को नए तरीके से इन्होंने संवारा। इसके अतिरिक्त 'स्वयंसहायता समूह' भी एक ऐसा प्रयास है जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। वस्तुतः स्वयंसहायता समूह नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा विभिन्न एनजीओ से सहायता प्राप्त कर छोटी उत्पादक इकाइयों को संचालित करते हैं। इनमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से यह हुआ कि न केवल वो बाहर की दुनिया से जुड़ गईं बल्कि इनकी आर्थिक हैसियत भी बढ़ी। स्वाभाविक रूप से इस बढ़ी आर्थिक हैसियत ने महिलाओं की स्थिति को नए सिरे से गढ़ा। इसका सकारात्मक असर पूरे परिवार पर पड़ा तथा एक खुशहाल परिवेश निर्मित हुआ। कुल मिलाकर भाव यह है कि स्वयंसहायता समूह एक ऐसा उपकरण है जिसने ग्रामीण महिलाओं के जीवन को गति प्रदान की है और महिलाओं ने इस अवसर को सफलतापूर्वक भुनाया भी है।

स्वच्छता अभियान और महिलाओं की भूमिका

अस्वच्छ वातावरण का अगर सर्वाधिक नुकसान किसी को उठाना पड़ता है, तो वो हैं महिलाएं। चाहे शौच के लिए बाहर जाना हो या घरेलू कार्य हों, महिलाओं को बहुस्तरीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरू किया तो इसमें सबसे सक्रिय भूमिका महिलाओं ने निभाई। महिलाओं ने अलग–अलग प्रयोगों के माध्यम से स्वच्छता अभियान को नया आयाम दिया। कई उदाहरण तो अचरज में डालने वाले हैं। 105 वर्षीय कुवंर बाई की कहानी ऐसी ही है। धमतरी, छत्तीसगढ़ की कुंवर बाई को कभी शौचालय की सुविधा प्राप्त नहीं हुई लेकिन प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से वो इतनी प्रभावित हुईं कि अपनी बकरियों को बेचकर घर में दो शौचालय बनवाए।

राष्ट्रीय–स्तर पर देखें तो 'स्वच्छ शक्ति' एक ऐसा आयोजन है जो स्वच्छता अभियान में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका पर



आधारित है। इसमें देशभर की महिला पंचायत प्रतिनिधि भी भाग लेती हैं तथा उनको सम्मानित भी किया जाता है जिन्होंने कुछ असाधारण भूमिका निभाई होती है। मोहाली के चंडियाल गांव की रीटा रानी के लिए घर में शौचालय एक ऐसी बुनियादी जरूरत थी जिसके बिना घर को संपूर्ण नहीं माना जा सकता। इसलिए उन्होंने यह ठान लिया कि जब तक गांव के सभी घरों में शौचालय नहीं बनवा देंगी तब तक चैन से नहीं बैठना है। उन्होंने इस अभियान में गांव की अन्य महिलाओं को भी शामिल किया तथा मात्र तीन महीने में 190 शौचालय तैयार करवा दिए। यह परिवर्तन किसी क्रांति से कम नहीं था। शुरू में जो लोग उनका उपहास उड़ाते थे वो भी प्रशंसा करने लगे। हरियाणा के पंचकुला ज़िले के धारवा गांव की सरपंच रेखा का स्वच्छता के लिए किया गया प्रयास भी अनुकरणीय है। रेखा ने न केवल घरों में शौचालय निर्माण को बढ़ावा दिया बल्कि सार्वजनिक शौचालय के निर्माण और उसकी बेहतर देखरेख का भी ख्याल रखा। यही वजह है कि उस गांव में आज स्वच्छता एक आदत बन चुकी है।

तमिलनाडु की एक सरपंच एस राधिका ने अपने गांव के सभी 2004 घरों में शौचालय हों, यह सुनिश्चित किया। साथ ही, उन्हें पेंटिंग से सजाया भी गया। झारखंड की 'बिनकोरा' इंजीनियर की नौकरी छोड़ सरपंच बनीं और अपने गांव को 'खुले में शौच' से मुक्त बनाने का फैसला लिया। जहां इसके पहले गांव की समस्त महिलाओं को शौचालय न होने के कारण तमाम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता था वहीं बिनकोरा ने 1100 शौचालयों का निर्माण कर इस समस्या को दूर कर दिया। इसी प्रकार महाराष्ट्र के बामनी की सरपंच माधुरी वासुदेव ने मात्र एक वर्ष में अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त करा दिया। साथ ही, इन्होंने गांव के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया।

वस्तुतः ये सभी प्रसंग एक ही निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं कि जहां भी महिलाओं को अवसर मिला, उन्होंने अपनी काबिलियत से शानदार सफलता अर्जित की। खासकर ग्रामीण जीवन की बात करें तो वहां के विकास में महिलाओं की भूमिका कहीं अधिक स्पष्टता से प्रत्यक्ष हुई हैं। चाहे पंचायत प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन को ठीक करना हो या स्वयंसहायता समूह के माध्यम से आर्थिक उन्नति को गति देना या फिर स्वच्छता अभियान के माध्यम से ग्रामीण परिवेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम हो, महिलाओं का योगदान अप्रतिम है। सफलता की यह कहानी इस ओर भी इशारा कर रही है कि महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि लोकतंत्र के समावेशन का लक्ष्य पूरा हो सके और उत्पादन गति तेज़ हो।

(लेखक 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के संपादक मंडल में शामिल हैं।)
ई–मेल : **sunnyand65@gmail.com**

महिला सशक्तीकरण की दिशा में प्रयास एवं चुनौतियां

–मनोज कान्त उपाध्याय

नारी की स्थिति में गुणात्मक एवं सकारात्मक सुधार हो इसके लिए यह आवश्यक है कि कानूनी प्रावधानों के साथ ही समाज के हर वर्ग की सोच भी सकारात्मक हो। भारत सरकार ने महिला हितों को गंभीरता से लेते हुए ही तीन तलाक, यौन अपराध अधिनियम 2012 को संसद में पारित कराए जाने के साथ ही संपूर्ण राष्ट्र में इस बात का कड़ा संदेश दिया कि महिलाओं के हितों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की इस सकारात्मक सोच को ईमानदारी से वास्तविकता के धरातल पर लाने एवं महिला हितों के संरक्षण की ज़िम्मेदारी समाज एवं उसमें रहने वाले नागरिकों की भी है।

''महिलाएं पुरुषों के हाथ का खिलौना नहीं है और ना ही इनकी प्रतिद्वंदी हैं। महिलाओं एवं पुरुषों में आत्मा एक ही है और उनकी समस्याएं भी एक जैसी हैं। महिला एवं पुरुष एक–दूसरे के पूरक हैं ''– राष्ट्रपिता महात्मा गांधी।

महिलाओं के सशक्तीकरण का सार्थक प्रयास राष्ट्र को आज़ादी मिलने के साथ ही शुरू हो गया था। राष्ट्रीय विकास की दिशा को गति देने के लिए बनने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में महिला सशक्तीकरण की स्पष्ट सोच परिलक्षित होने लगी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में परित्यक्त, असहाय एवं वृद्ध महिलाओं और उनके बच्चों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने के साथ ही ऐसी महिलाओं के दीर्घकालीन कल्याण के लिए वर्ष 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन महिला हितों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें आधारभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था। इसके पश्चात क्रमशः राष्ट्र निर्माण के परिप्रेक्ष्य में बनने वाली योजनाओं में भी महिला उत्थान की दिशा को गति देने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रमुखता से स्थान दिया गया। नारी के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं उनके बच्चों के हितों से संबंधित योजनाओं को क्रमशः गति प्रदान की गई और आने वाले दिनों में महिला कल्याण की यह अवधारणा महिला विकास के रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगी।

महिलाओं को पुरुषों की तरह ही बराबरी का दर्जा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जिसका स्पष्ट प्रभाव यह पड़ा कि राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में पुरुषों के साथ ही महिलाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित की गई। महिलाएं गुणवत्तापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें, उनके अंदर जीवन के प्रति एक सोच विकसित हो सके, इस दिशा में 'स्वयंसिद्धा' योजना के माध्यम से सार्थक प्रयास हुआ। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, शिल्पकला एवं हस्तकला के क्षेत्र में महिलाओं ने महत्वपूर्ण उत्थान किया। विभिन्न रोज़गारों से संबंधित प्रशिक्षणों को स्वावलंबन योजनाओं के माध्यम से बल मिला जिससे उनकी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला।

हमारे देश में कामकाजी महिलाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर रोज़गार के लिए जाती रही हैं जिसका परिणाम यह होता था कि कार्यस्थल पर बालहितों को नज़रअंदाज कर, महिलाएं अपने काम में लग जाती थी। ऐसी



बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

हमारे राष्ट्र में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता के बीज उसी समय बो दिए जाते हैं जब बच्चे जन्म लेते हैं। अतीत काल से आम धारणा बन गई थी कि बेटे का जन्म लेना परिवार की खुशहाली का कारण होता था और बेटी के जन्म लेने पर परिवार के लोग अपने ऊपर भार समझते थे। समाज की इस सोच को बदलने का महत्वपूर्ण संदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को दिया। प्रधानमंत्री की इस संकल्प यात्रा का पहला पड़ाव हरियाणा के पानीपत से शुरू हुआ जहां पर लिंगानुपात की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भूण हत्या के मामले वैसे तो संपूर्ण राष्ट्र में सुनने और देखने को मिलते थे लेकिन हरियाणा की स्थिति ज्यादा गंभीर थी। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने बालिका सशक्तीकरण योजना को वास्तविकता के धरातल पर लाकर पूरे राष्ट्र में आम जनमानस के अंदर महिला सम्मान, सुरक्षा एवं संरक्षण की भावना का संचार किया। हरियाणा राज्य से इस अभियान की शुरुआत करके, प्रधानमंत्री ने इस बात की गंभीरता को भी समझाने की महत्वपूर्ण कोशिश की कि यदि बालिका भ्रूण हत्या जैसी गंभीर घटनाओं को संपूर्ण राष्ट्र के अंदर रोका न गया तो, आने वाले समय में राष्ट्र को इसकी गंभीर कीमत चुकानी पड़ेगी। इस दिशा में पूरी ईमानदारी से सरकार द्वारा प्रयास भी किया गया जिसके परिणाम भी काफी सकारात्मक रहे हैं। इस योजना के आरंभिक दौर में संपूर्ण राष्ट्र के 100 ज़िलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस अभियान को प्रमुखता से संचालित किया गया। इस योजना को संचालित करने के साथ ही ऐसे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए गए जिससे बाल हितों के संरक्षण को बढ़ावा मिला। बालिकाओं के हितों के संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा, उनके लिए छात्रावास एवं जरूरतमंद बालिकाओं के अध्ययनरत रहने के लिए छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से महिला हितों के संरक्षण का पूरा प्रयास किया गया।

बालिका हितों के संरक्षण के लिए सरकार ने मां की कोख में पल रहे बच्चों की लिंग जांच को गैर–कानूनी घोषित करने के साथ ही ऐसा करने वालों पर दंडात्मक प्रावधान भी लागू किया। इसका सकारात्मक परिणाम यह रहा कि बालिका भूण हत्या के मामलों में काफी हद तक कमी आई। **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ** योजना के माध्यम से सरकार ने पितृसत्तात्मक सोच को बदलने, बालिका शिक्षा के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने, बाल शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने एवं बाल विवाह पर रोक लगाने जैसे महत्वपूर्ण कदमों के माध्यम से बालिका हितों का संरक्षण पूरी गंभीरता से किया।

स्थिति को रोकने के लिए सरकार ने देखरेख केंद्रों के माध्यम से 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनकी समुचित देखभाल एवं संरक्षण की उचित व्यवस्था की। महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी रोकने एवं ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की शिकार महिलाओं को पुनः निर्वासित करने की दिशा में गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई गई उज्ज्वला योजना से भी महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। स्वाधार गृह योजना के माध्यम से ऐसी महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनों से बिछड़ गई थी, बेघर एवं फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत करने को बाध्य थी, को आवास की सुविधा प्रदान की गई।

उत्थान व विकास की किसी भी प्रक्रिया में आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। महिलाएं स्वयं अपने विकास का मार्ग स्वेच्छा से चुन सकें, अपने जीवन–स्तर को अपने परिश्रम से ऊंचा उठा सकें, ऐसी परिस्थिति एवं वातावरण का सकारात्मक निर्माण करने की दिशा में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। इस कोष से आर्थिक सहायता लेकर महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करने के पश्चात ली गई धनराशि को किस्तों में भी वापस कर सकती हैं।

महिला हितों की बात के साथ उनके बाल हितों का संरक्षण भी सही दिशा में हो, इसके लिए भी सरकार ने बच्चों के हितों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकता देते हुए उनके शिक्षा एवं संरक्षण की दिशा में बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन किया। इस योजना के तहत् देश के प्रत्येक बालक का स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन एवं समुचित आश्रय के अभाव में गलत दिशा में भटकाव न हो, वह समाज की मुख्यधारा से जुड़कर अपना जीवनयापन कर सके, इन सभी मूलभूत बिंदुओं पर पूर्ण गंभीरता से ध्यान देकर इस योजना को बाल हितैषी बनाने का भी पूर्ण प्रयास किया गया। बाल हितों के संरक्षण के प्रयास में राष्ट्रव्यापी चाइल्ड हेल्प लाइन आपातकालीन सेवा, किसी भी मुश्किल क्षणों में फंसे बच्चों के जीवन संरक्षण की दिशा में काफी महत्वपूर्ण एवं कारगर साबित हो रही है। 1098 पर फोन कॉल के माध्यम से मुसीबत में फंसे प्रत्येक बच्चे के जीवन को बचाने में चाइल्ड हेल्प लाइन की यह फोन सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। कोई भी व्यक्ति मुसीबत में फंसे बच्चों को, शोषण के शिकार, यौन हिंसा, बाल मज़दूरी एवं ऐसी ही अन्य किसी भी तरह की मुसीबत में फंसे बच्चों के जीवन–संरक्षण का कार्य इस फोन सेवा के माध्यम से सूचना देकर कर सकता हैं।

महिलाओं की अस्मिता से कोई खिलवाड़ न कर सके, अपने जीवन मूल्यों को शाश्वत ढंग से जीते हुए समाज और राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़े, इन पवित्र उद्देश्यों के संरक्षण के लिए ही भारत सरकार ने पाक्सो एक्ट 2012 को संपूर्ण राष्ट्र में लागू किया। बाल हितों के परिप्रेक्ष्य में बालिकाओं की अस्मिता को बनाए रखने एवं समाज में महिलाओं के प्रति यौन हिंसा के खिलाफ दंडात्मक प्रावधानों के कारण यौन हिंसा की रोकथाम के लिए यह एक्ट अत्यंत कारगर साबित हुआ हैं। इस कानून के माध्यम से

ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2020 (मूल्यांकन वर्ष 2018–19) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश–ग्राम पंचायत/सभा/परिषद

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पंचायत/परिषद/सभा का नाम पदानुक्रम में		
		जिला पंचायत	इंटरमीडिएट/ब्लॉक पंचायत	पंचायत ग्राम /ग्राम परिषद
1	आंध्र प्रदेश	विजयानगरम	बोंदापल्ली	बोंदापल्ली (एलजीडी कोडः 212434)
2	असम	धेमाजी	सिस्सीबोरगांव	मलिनीपुर (एलजीडी कोडः106028)
3	बिहार	दरभंगा	क्योटीरनवे	क्योटी (एलजीडी कोडः95331)
4	छत्तीसगढ़	कांकेर	चरामा	भिलाई (एलजीडी कोडः126129)
5	गुजरात	राजकोट	उप्लेता	मोजिरा (एलजीडी कोडः164151)
6	हरियाणा	रोहतक	कालानौर	कहनौर (एलजीडी कोडः32383)
7	हिमाचल प्रदेश	शिमला	नारकण्डा	बड़ागाव (एलजीडी कोडः9762)
8	जम्मू और कश्मीर	बारामूला	तुज्जर शरीफ	ज़लूरा बी (एलजीडी कोडः242039)
9	झारखण्ड	रामगढ़	डलमी	होन्हे (एलजीडी कोडः113707)
10	कर्नाटक	मांड्या	श्रीरंगपट्टन	नगुवनाहल्ली (एलजीडी कोडः219431)
11	केरल	कन्नूर	इरिटी	पायम (एलजीडी कोडः221200)
12	मध्य प्रदेश	सागर	बांदा	बिनेका (एलजीडी कोडः147523)
13	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	ओमरगा	तुरोरी (एलजीडी कोडः184235)
14	मणिपुर	इम्फाल ईस्ट	–	खुन्द्रकपम (एलजीडी कोडः254590)
15	नागालैंड	कोहिमा	सिफोबोजू	सेचामा (एलजीडी कोडः258341)
16	ओडिसा	गंजम	गंजम	कैंचापुर (एलजीडी कोडः117749)
17	पंजाब	गुरुदासपुर	धारीवाल	छिन्ना (एलजीडी कोडः12375)
18	राजस्थान	जोधपुर	मन्दोर	नान्दरी (एलजीडी कोडः262342)
19	सिक्किम	पश्चिम जिला	–	सांगखू रदूखन्दू (एलजीडी कोडः254824)
20	तमिलनाडु	तिरुवल्लूर	तिरूत्तनी	टी. सी.कान्दीगई (एलजीडी कोडः229552)
21	तेलंगाना	करीमनगर	कटारम	गंगारम (एलजीडी कोडः229552)
22	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	सतचंद	सतचन्द गोवाचंद नन्दीग्राम (एलजीडी कोडः104201)
23	उत्तर प्रदेश	जालौन	कादौरा	अकबरपुर (एलजीडी कोडः68708)
24	उत्तराखंड	देहरादून	विकासनगर	केदारावाला (एलजीडी कोडः23258)
25	पश्चिम बंगाल	24 परगना दक्षिण	काकद्वीप	प्रतापादित्य नगर (एलजीडी कोडः108154)
26	अंडमान और निकोबार	दक्षिण अंडमान	फेरारगंज	नामूनाघर (एलजीडी कोडः234487)
27	दादर और नागर हवेली	दादर और नागर हवेली	–	राखोली (एलजीडी कोडः254329)
28	दमन और दीव	दमन	–	भीमपुर (एलजीडी कोडः254332)

संपूर्ण राष्ट्र में सरकार ने इस बात का कड़ा संदेश दिया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ यौन हिंसा का दोषी पाया जाएगा, को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। कानून के मूर्त रूप लेने से देश में यौन हिंसा के मामलों में काफी कमी आई है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ऐसी हिंसा की शिकार महिलाएं या लड़कियां सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकें, इस बात की गंभीरता पर विचार करते हुए इस कानून में आर्थिक सहायता का भी प्रावधान किया गया है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2005 (2005 का 43) की धारा 1 की उपधारा(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 26 अक्टूबर, 2006 को यह अधिनियम अधिसूचित किया। दहेज विरोधी कानून जिसे दहेज प्रतिषेध



अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में माना गया है। 20 मई 1961 को इस कानून के लागू होने से महिलाओं के प्रति दहेज संबंधी मामलों में काफी कमी आई। किसी भी प्लांट या कंपनी में काम करने वाली महिलाओं के हितों के संरक्षण हेतु प्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951 के तहत किसी भी महिला कर्मचारी की अस्वस्थता या मातृत्व की स्थिति में संबंधित नियोक्ता को अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, महिलाओं के कार्यस्थल पर उनके कार्य करने के अनुकूल माहौल को बनाने एवं उचित पारिश्रमिक देने की ज़िम्मेदारी भी नियोक्ता की है। इस अधिनियम को 2 नवंबर, 1951 को लागू किया गया। इसी दिशा में मातृत्व कानून भी महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए लाया गया।

समाज में महिलाओं की स्थिति को और सुदृढ़ करते हुए सरकार द्वारा हिंदू सक्सेशन एक्ट (संशोधन) 2005 के तहत इस बात का प्रावधान किया गया है कि पुत्री को भी अपने पिता की संपत्ति में भाइयों की तरह बराबर हिस्सा पाने का अधिकार होगा। 9 सितंबर, 2005 को लागू किए जाने वाले इस कानून के तहत आवश्यकता की स्थिति में विवाहित या अविवाहित महिलाओं के हितों का संरक्षण किया गया और ऐसा अधिनियम बनाकर सरकार महिलाओं के प्रति अन्याय एवं भेद को रोकने में कामयाब रही।

अतीतकाल से हीं समाज में पुरुष सत्ता का वर्चस्व रहा जिसका व्यापक प्रभाव इस बात पर पड़ता था कि समाज एवं राष्ट्रीय विकास की जो भी योजनाएं बनाई जाती थीं, वे पुरुषवादी मानसिकता द्वारा पूरी तरह से संचालित होती रही। परिणाम यह रहा कि विकास की इस दीर्घकालीन यात्रा में महिलाएं काफी पीछे छूट गईं। उनका स्थान घर की चारदीवारी तक ही सीमित हो गया था। जिसके फलस्वरुप उनका विकास भी बाधित रहा। जबकि व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो कोई भी काल ऐसा नहीं रहा जिसमें महिलाओं ने पुरुषों का साथ न दिया हो। इसके बावजूद महिलाओं का विकास पुरुषों की तुलना में बाधित रहा। महिलाओं के कार्यक्षेत्र की बात हो, उनके अहम पदों पर नियुक्ति का विषय हो, निर्णय लेने की सहभागिता का मामला हो, परिश्रमिक देने का विषय या अन्य ऐसे कई मामले रहे, जहां पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम सामर्थ्यवान या क्षमतावान के रूप में देखा जाता रहा।

इस विषमता को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इस बात का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया कि आधी आबादी के इस विशाल राष्ट्र में पंचायत–स्तर पर महिलाओं की भागीदारी पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जाए। इसका सकारात्मक परिणाम यह रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी समाज एवं राष्ट्र को नई दिशा देने के पुनीत कार्य में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होने लगी। वास्तविकता के धरातल पर महिला प्रतिनिधियों द्वारा महिलाओं की समस्याओं का निराकरण पूरी गंभीरता से होने लगा। ग्रामीण–स्तर पर विकास कार्यों की रूपरेखा तय करने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। पंचायती राज के स्तर पर शुरू हुई महिलाओं की इस दीर्घकालीन विकास यात्रा ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी राष्ट्र के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन महिलाओं की भूमिका को तय किया।

पंचायती राज में महिलाओं का नेतृत्व

सन् 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही 1992 में 73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई संख्या महिलाओं की निर्धारित की गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या विश्व के किसी भी देश से अधिक है। महिला विकास की गति को दिशा देने में पंचायती राज संस्थाओं ने अहम भूमिका अदा की है। ग्रामीण–स्तर से लेकर देश की संसद तक का सफर तय करने में महिलाओं के प्रयास ने राष्ट्रीय विकास की गति को एक नया आयाम दिया। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अध्याय– 9 जोड़ा गया। जिसके फलस्वरूप भारतीय संसद में 24 अप्रैल, 1993 को राज्यों को निर्देश दिया कि एक वर्ष के अंदर इस संशोधन के दिशा–निर्देशों को जल्द से जल्द अपने–अपने राज्यों में कानून बनाकर पंचायतों को मज़बूती प्रदान की जाए।

पंचायती राज के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय का प्रभाव ही रहा कि केंद्रीय सरकार ने मनरेगा और स्वच्छ भारत जैसी अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी के निर्णय का इतना व्यापक असर पड़ा कि, ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त नशाखोरी, भ्रष्टाचार एवं महिला उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मुद्दे विलुप्त होते नज़र आ रहे हैं।

गांधी जी ने ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में यह बात कही थी कि ''प्रत्येक गांव को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, गांव को अपनी जरूरत की चीजें गांव में ही पैदा करनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में ही आवश्यक चीजें बाहर से मंगाई जाए, हर गांव अपने पैसे से पाठशाला, सभा–भवन एवं धर्मशाला का निर्माण कराएं''

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सत्ता के विकेंद्रीकरण ने पंचायती राज के माध्यम से गांधी जी के इन विचारों को वास्तविकता के धरातल पर लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

ग्रामीण विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भारतीय ग्रामीण परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन की संवाहक महिलाओं की नेतृत्व क्षमता भी सामने निकल कर आई है। जिन मुश्किलों और कठिनाइयों को वह कल तक अपनी आंखों से देख कर भी कुछ ना कर पाने की स्थिति में लाचार और बेबस थी, आज उन्ही समस्याओं का कारगर हल निकालने में वे सक्षम हैं। महिलाओं की कुशल नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने वाले सद्प्रयासों को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार और समाज दोनों को और भी व्यापक–स्तर पर आगे आने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड एवं इंटरनेट से जोड़ने की योजना का संपूर्ण राष्ट्र में क्रियान्वयन होने की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र भी उत्तरोत्तर विकास की दिशा मैं आगे बढ़ेंगे एवं गांवों को भी उत्पाद के एक बड़े बाज़ार के रूप में उभर कर सामने आने का अवसर प्राप्त होगा।

पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, 2020 के अवसर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंचायतीराज संस्थाओं के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाने एवं विकास की गति को तेज़ करने के उद्देश्य से दो प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रथम योजना जिसको ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के नाम से जाना जाएगा और दूसरी 'स्वामित्व' नामक योजना का शुभारंभ किया।

ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में किसी भी ग्राम पंचायत में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है। इस पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या, उनके नाम एवं विकास कार्यों में खर्च की जाने वाली धनराशि, जनगणना एवं पंचायती राज संबंधी समस्त जानकारियां इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।

दूसरी योजना जिसे 'स्वामित्व' योजना का नाम दिया गया है, शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवाद की स्थिति के बारे में स्पष्ट किया। ग्रामसभा की ज़मीन पर अक्सर गैर–कानूनी ढंग से अधिकार करने के मामले सामने आते हैं, ऐसी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए 'स्वामित्व' योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से संपूर्ण गांव की संपत्ति की मैपिंग कराई जाएगी जिससे संपत्ति संबंधी होने वाले विवाद खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 'स्वामित्व' योजना के माध्यम से ग्रामीण जनता का संपत्ति संबंधित रिकार्ड होने से वे अपने विकास के लिए बैंकों से कर्ज़ ले सकते हैं। इसके साथ ही कर वसूली, भवन निर्माण एवं अवैध कब्ज़े जैसी समस्याओं से ग्रामीण जनता को निजात मिलेंगी।

पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने विकास कार्य करने वाली ग्रामसभाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर

सुकन्या समृद्धि योजना

बालिकाओं के हितों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए किशोर न्याय अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के साथ ही बालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की बच्चियों के खाते किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाए जा सकते हैं। यह योजना बालिका हितों के संरक्षण को ध्यान में रखकर चलाई गई है। इस योजना का संचालन बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को संबल प्रदान करने के लिए एवं भविष्य में उन्हें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मदद देने के साथ ही उनके जीवन से संबंधित अन्य किसी भी क्षेत्र में काफी सहायक साबित होगा। बचत स्कीम की किसी भी योजना से सुकन्या समृद्धि योजना पर सर्वाधिक ब्याज दिया जाता है। इस योजना में इस बात का भी प्रावधान है कि इस खाते से 18 वर्ष की उम्र के बाद बच्ची की उच्च शिक्षा या किसी अन्य जरूरत की स्थिति में 50 प्रतिशत तक की धनराशि निकाली जा सकती है। यह खाता बालिका के 21 वर्ष होने के या 18 वर्ष की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत न्यूनतम धनराशि से भी की जा सकती है। खाता खोलते समय बालिका का जन्म प्रमाण–पत्र आवश्यक होता है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति में इस खाते को सहानुभूति के आधार पर किसी अप्रिय घटना की स्थिति में समय से पहले भी बंद किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत छूट प्रदान हैं। इस योजना में इस बात का भी प्रावधान है कि यदि वर्ष भर में न्यूनतम धनराशि जमा नहीं की गई है तो ऐसे खातों को डिफाल्टर अकाउंट में बदल दिया जाता है और ऐसे अकाउंट में जमा रकम पर वही ब्याज मिलेगा जो इस योजना के लिए तय किया गया होगा।



प्रधानमंत्री ने ग्राम सभाओं की आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हो जाने के पश्चात संपूर्ण राष्ट्र में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को पूर्ण गंभीरता से लिया जा रहा है एवं ऐसी कोई भी अप्रिय स्थिति या घटना जिससे नारी की गरिमा या हितों पर चोट पहुंचे, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय महिला आयोग महिला हितों के लिए कड़े कदम उठाता है।

महिला अधिकारों के उपर्युक्त बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इस बात पर भी हमें विचार करने की नितांत आवश्यकता है कि क्या उपरोक्त वर्णित कानूनों एवं नारी हितों के संरक्षण के प्रावधानों के होते हुए भी महिलाओं की स्थिति में पूरी ईमानदारी से परिवर्तन आया है? क्या महिलाओं के प्रति समाज की सोच में पूर्ण रूप से सकारात्मक परिवर्तन आया है? कानूनी प्रावधानों एवं आयोगों की बात से हटकर क्या हम यह सोचने को तैयार हैं कि वर्तमान सामाजिक परिवेश महिलाओं एवं बच्चों के हितों के अनुकूल है? यह कुछ ऐसे ज्वलंत एवं गंभीर प्रश्न हैं जो किसी भी सभ्य कहे जाने वाले राष्ट्र और समाज के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए।

वास्तविकता के धरातल पर यदि उपर्युक्त प्रश्नों की गंभीरता पर विचार किया जाए तो तस्वीर काफी धुंधली नज़र आती हैं। नारी को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संचालन में भी पुरुषों का व्यापक हस्तक्षेप सहना पड़ता हैं। इस बात का स्पष्ट प्रमाण ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं में जनता द्वारा निर्वाचित महिलाओं की स्थिति को देखकर स्पष्ट होता है।

नारी की स्थिति में गुणात्मक एवं सकारात्मक सुधार हो इसके लिए यह आवश्यक है कि कानूनी प्रावधानों के साथ ही समाज के हर वर्ग की सोच भी सकारात्मक हो। भारत सरकार ने महिला हितों को गंभीरता से लेते हुए ही तीन तलाक, यौन अपराध अधिनियम 2012 को संसद में पारित कराए जाने के साथ ही संपूर्ण राष्ट्र में इस बात का कड़ा संदेश दिया कि महिलाओं के हितों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की इस सकारात्मक सोच को ईमानदारी से वास्तविकता के धरातल पर लाने एवं महिला हितों के संरक्षण की ज़िम्मेदारी समाज एवं उसमें रहने वाले नागरिकों की भी है।

अच्छी बात यह रही है कि समाज के एक बड़े वर्ग में महिला अधिकारों और उनके सम्मान के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई हैं जिसका स्पष्ट प्रभाव देखने को भी मिल रहा है लेकिन पूर्ण ईमानदारी से इस दिशा में अभी भी महिला हितों के प्रति जागरूकता की नितांत आवश्यकता है जिससे इस विशाल राष्ट्र में महिला हितों के खिलाफ किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे और महिलाएं एवं बच्चें अपने को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि एवं छायावाद के स्तंभ रहे जयशंकर प्रसाद जी की इन पंक्तियों, जिसमें नारी सम्मान की भूमिका को स्पष्ट शब्दों में दर्शाया गया है, के साथ मैं अपने लेख का समापन करता हूं–

"तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की।
समरसता है संबंध बनी, अधिकार और अधिकारी की"।।

(लेखक बाल कल्याण समिति के सदस्य रह चुके हैं एवं वर्तमान में सन्त अतुलानन्द आवासीय अकादमी,वाराणसी में अग्रेजी विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं।)

ई–मेल : manoj_upadhyay030@rediffmail.com

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला सशक्तीकरण में भूमिका

–नितिन प्रधान

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश में गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। सरकार का प्रयास स्वरोज़गार को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने का है। इस दिशा में ग्रामीण महिलाएं सरकार के फोकस में हैं और यह इस लक्ष्य को पाने के प्रयासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सरकार महिला स्वयंसहायता समूहों के निर्माण और स्वरोज़गार हेतु आर्थिक सहायता देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में जुटी है।

इसी महिला दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक देश से गरीबी मिटाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत इसी उद्देश्य के लिए की गई है। यह मिशन ही है जो ग्रामीण क्षेत्र में न केवल बेरोज़गारी को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रहा है बल्कि लोगों की आमदनी में वृद्धि में भी मददगार बन रहा है। दो वर्ष पश्चात यानी साल 2022 में देश स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह मनाएगा। सरकार का इरादा इस अवसर को गरीबी से मुक्त देश के रूप में आयोजित करने का है। इस लक्ष्य तक पहुंचने में सरकार के सामने अगर कठिन चुनौतियां हैं तो उसने अपने इरादों से इसे पाने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की है।

सरकार ने पहली अप्रैल 2013 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना की पुनर्संरचना करते हुए उसके स्थान पर दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया। इसका लक्ष्य 9 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) के अंतर्गत लाकर उन्हें दीर्घकालिक समर्थन प्रदान करना रखा गया। इससे ये परिवार अपनी आजीविका में विविधता ला सकेंगे, अपनी आय बढ़ा पाएंगे और अपने जीवन–स्तर को बेहतर बना सकेंगे। डीएवाई–एनआरएलएम का लक्षित समूह है– सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (एसईसीसी, 2011) के आंकड़ों के आधार पर "स्वतः शामिल" सभी परिवार और वे सभी परिवार जिनमें "कम से कम एक अभाव" विद्यमान है। ग्रामीण गरीब परिवारों की सूची को "गरीबों की भागीदारी पहचान" (पीआईपी) के द्वारा मान्यता दी गई है और इस सूची को ग्रामसभा ने भी मान्यता दी है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो, इसके उपाय भी सरकार ने इस मिशन के साथ ही तय कर दिए थे। इनमें गरीबों के दीर्घावधि संस्थानों को बढ़ावा देने और उनकी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि



- कोविड–19 के दौर में एसएचजी ने 9.35 करोड़ से अधिक मॉस्क तैयार किए गए हैं और एक लाख से अधिक सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) का संचालन कर रहे हैं।
- साथ ही, 3 लाख लीटर से अधिक सेनिटाइज़र और 2 लाख से अधिक प्रोटेक्टिव एक्विपमेंट तैयार किए हैं।

और गैर–कृषि क्षेत्रों में गरीबों के लिए आजीविका के विभिन्न अवसरों को बढ़ावा देना, कौशल विकास और नौकरियों तक उनकी पहुंच को बढ़ाना और सामाजिक समावेश, सामाजिक विकास और मानव विकास को बढ़ावा देना है। मिशन मोड में चल रहे इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को अपनी आवश्यकता के मुताबिक विशिष्ट गरीबी उन्मूलन कार्ययोजना तैयार करने का अवसर दिया गया। डीएवाई–एनआरएलएम से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को राज्य, ज़िला और ब्लॉक–स्तर के उनके मानव संसाधनों को व्यावसायिक बना लेने की सक्षमता प्राप्त होती है।

आपसी समानता के आधार पर महिलाओं के स्वयंसहायता समूह का एक साथ आना डीएवाई–एनआरएलएम समुदाय संस्थागत डिज़ाइन का प्राथमिक आधार है। डीएवाई–एनआरएलएम का ध्यान स्वयंसहायता समूहों और गांवों एवं उच्च स्तरों पर उनके फेडरेशनों सहित गरीब महिलाओं के संस्थानों के निर्माण, पोषण और सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। इसके अलावा, डीएवाई–एनआरएलएम में ग्रामीण गरीबों की आजीविका संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। उक्त मिशन द्वारा गरीबों के संस्थानों के प्रति घोर गरीबी से ऊपर उठने तक 5–7 साल की अवधि के लिए एक सतत मदद का हाथ (सहायता प्रदान करना) बढ़ाया जाएगा। डीएवाई–एनआरएलएम के तहत बनी समुदाय संस्थागत संरचना द्वारा एक बहुत लंबी अवधि के लिए और अधिक गहनता से समर्थन प्रदान किया जाएगा।

ऐसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति और उपायों पर अमल की दिशा में भी सरकार लगातार कदम उठाती रही है। न केवल अपने स्तर पर सरकार विभिन्न योजनाएं इसके लिए चला रही है बल्कि कई सामाजिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए सरकार ने प्रेरित किया है। इस वर्ष की शुरुआत में ही अमेरिका के बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत गरीबों की ज़मीनी संस्थाओं को मज़बूती प्रदान करने की दिशा में काम किया जाएगा। इसमें गरीबों व समाज में हाशिए पर रह रहे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए सीमांत ग्रामीण महिलाओं के संस्थानों के माध्यम से स्वरोज़गार को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे गरीबी को कम करने में मदद मिलेगी। कौशल–आधारित रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होगी।

दरअसल यह फाउंडेशन सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए एक साथ आने वाले सीमांत समुदाय की ग्रामीण महिलाओं के लिए मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य उपायों के लिए स्वयंसहायता समूहों के साथ पहले से ही कार्य कर रहा है। ऐसे प्रयास महिलाओं और लड़कियों के सामने आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद करते है। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित करते है कि उनके पास स्वस्थ और अर्जनकाल के प्रयास के लिए बराबर अवसर हो। यह योजना सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर समुदायों को लक्षित करने पर विशेष ज़ोर देती है, क्योंकि यह उनके विकास की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता को मान्यता देती है।

डीएवाई–एनआरएलएम गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण गरीब महिलाओं की जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करने के लिए वित्तीय संबंध सुनिश्चित करने और सामाजिक पूंजी का निर्माण भी कर रहा है। यह डिजिटल वित्त, ग्रामीण उत्पादों और मूल्य श्रृंखला का सृजन, मार्केट पहुंच सुधारने, ग्रामीण उद्यम और सामाजिक विकास मुद्दों और सेवाओं के बारे में जागरूकता का सृजन करने जैसे वित्तीय समावेश के वैकल्पिक चैनलों के लिए नवाचार पर एक महत्वाकांक्षी योजना है।

इसी तरह दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत करीब 64.39 लाख एसएचजी के तहत तकरीबन 6.47 करोड़ महिलाओं को जोड़ा जा चुका था। (दिसंबर 2019) ऐसे समूहों और महिला उद्यमियों की संभावनाओं को पहचानते हुए सरकार ने वुमनिया सरकारी–ई मार्केट प्लेस यानी जीईएम बनाया है ताकि महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। सरकार का वर्ष 2022 तक ऐसे 75 लाख स्वयंसहायता समूह बनाने का लक्ष्य है।

वर्ष 2014 के बाद केंद्र सरकार इस मिशन के काम को लक्षित तरीके से करने पर ज़ोर दे रही है। साल 2022 में देश से गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मिशन के काम की गति बढ़ाई गई। अब तक सरकार अपने इन प्रयासों में काफी हद तक सफल भी रही है। मिशन की कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती हैं–

(क) भौगोलिक कवरेज : मिशन के डेशबोर्ड के अनुसार अब तक गहन रणनीति के अंतर्गत 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 649 ज़िलों में स्थित 6055 ब्लॉकों को कवर किया जा चुका है।

(ख) सामाजिक समावेश/संस्थान निर्माण: अकेले वित्तवर्ष 2019–20 के दौरान अक्टूबर, 2019 तक लगभग 67.9 लाख महिलाओं को 6.55 लाख स्वयंसहायता समूहों में शामिल किया गया जबकि लक्ष्य 93.66 लाख महिलाओं को 8.10 लाख स्वयंसहायता समूहों में शामिल करना निर्धारित किया गया था।

(ग) सामाजिक पूंजी : सामुदायिक संचालित दृष्टिकोण मिशन की कार्यान्वयन रणनीति के केंद्र में है। अब तक 2.77 लाख से अधिक समुदाय संसाधन व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन) को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें 38,032 कृषि सखी और पशु सखी शामिल हैं जो अंतिम सिरे तक आजीविका विस्तार सेवाएं प्रदान करती हैं।

(घ) पूंजीगत समर्थन : वित्तवर्ष 2019–20 के दौरान अक्टूबर, 2019 तक स्वयंसहायता समूहों तथा इनके परिसंघों को 74.31 करोड़ रुपये का पूंजीगत समर्थन दिया गया।

(ङ) स्वयंसहायता समूह– बैंक अनुबंध: वर्ष 2020–21 में मई माह तक 5878560 स्वयंसहायता समूहों पर 97772.33 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है।

यह सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश में गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आ रही वैश्विक दुश्वारियां इसकी चुनौतियों में वृद्धि कर रही हैं। आर्थिक विकास की अपेक्षित दर को पाने की राह में ये चुनौतियां बाधक बन रही हैं। इसलिए जाहिर है कि सरकार का पहला लक्ष्य इन चुनौतियों से पार पाना है। वैसे भी आर्थिक विकास के लक्ष्य को हासिल किए बिना देश से गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना अवश्य है कि सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जो प्रयास इस दिशा में कर रही है, उनमें निरंतर प्रगति हो रही है। सरकार का प्रयास स्वरोज़गार को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने का है। इस दिशा में ग्रामीण महिलाएं सरकार के फोकस में हैं और यह इस लक्ष्य को पाने के प्रयासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
ई–मेल : pradhnitin@gmail.com

'कोविड इंडिया सेवा' प्लेटफॉर्म

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 21 अप्रैल, 2020 को 'कोविड इंडिया सेवा' का शुभारंभ किया, जो इस महामारी से निपटने के बीच करोड़ों भारतीयों के साथ संवाद का सीधा चैनल स्थापित करने के लिए एक संवादात्मक प्लेटफॉर्म है। इस पहल का उद्देश्य वास्तविक समय में पारदर्शी ई–गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और विशेष रूप से कोविड–19 महामारी जैसी मौजूदा संकटपूर्ण परिस्थितियों में बड़ी तेज़ी से नागरिकों के अनगिनत प्रश्नों का जवाब देना है। इसके जरिए लोग @CovidIndiaSeva पर सवाल कर सकते हैं और उन्हें लगभग वास्तविक समय में जवाब मिल जाया करेगा। @CovidIndiaSeva पिछले छोर पर स्थित एक डैशबोर्ड से काम करता है जो बड़ी संख्या में ट्वीट की प्रोसेसिंग करने में मदद करता है, उन्हें समाधान योग्य नाम–पत्र में रूपांतरित करता है और फिर उन्हें वास्तविक समय में समाधान के लिए संबंधित प्राधिकारी को सौंप देता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने एक ट्वीट के साथ विशेष एकाउंट @CovidIndiaSeva की घोषणा की।

'कोविड इंडिया सेवा' की घोषणा पर टिप्पणी करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, 'समय के साथ ट्विटर विशेषकर जरूरत के समय में आपस में संवाद करने और सूचनाओं का आदान–प्रदान करने हेतु सरकार और नागरिकों दोनों ही के लिए एक आवश्यक सेवा साबित हुआ है। सामाजिक दूरी के साथ IndiaFightsCorona रूप में हम ट्विटर सेवा सॉल्यूशन अपनाकर एक ठोस ऑनलाइन प्रयास करके काफी प्रसन्न हैं। यह हमारे छोर पर विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा संचालित किया जाता है जो बड़े पैमाने पर प्रत्येक सवाल का विशिष्ट जवाब देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित और माहिर हैं। यह हमें भारतीय नागरिकों के साथ एक सीधा चैनल स्थापित करने में सक्षम करेगा, जो आधिकारिक स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक जानकारियां प्रदान करने के लिए वास्तविक समय में उनके साथ जुड़ेंगे।'

यह विशेष एकाउंट लोगों के लिए सुलभ होगा, चाहे उनका दायरा स्थानीय हो या राष्ट्रीय। चाहे सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों पर नवीनतम अपडेट प्राप्त करना हो, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के बारे में जानना हो अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना हो जिसमें संभवतः रोग के लक्षण हैं, लेकिन वह इस बात के बारे में अनिश्चित है कि मदद के लिए कहां जाएं, तो वैसी स्थिति में @CovidIndiaSeva लोगों को अधिकारियों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाएगी। लोग @CovidIndiaSeva पर ट्वीट करके अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। चूंकि ये जवाब पारदर्शी और सार्वजनिक होंगे, इसलिए एक जैसे प्रश्नों के उत्तर से सभी लोग लाभ उठा सकते हैं।

सफलता की कहानी



सौर ऊर्जा से महिला उद्यमियों को मिला स्वरोज़गार

–डॉ. नन्दकिशोर साह

70 लाख स्टडी सोलर लैम्प योजना बच्चों के लिए शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए तैयार की गई जिससे बच्चों को सही मायने में शिक्षा का अधिकार और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार की महिलाओ को रोज़गार का सुनहरा अवसर मिला है। साथ ही, ये महिलाएं ग्रामीण और वंचित समुदाय को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण में सौर ऊर्जा तकनीक के महत्व को भी बता रही हैं।

आधुनिक युग में पूरी दुनिया में गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की मुहिम जिस तरह तेज़ हुई है, इससे भारत ने दुनिया में सोलर पॉवर की राजधानी के तौर पर अपने को स्थापित किया है। यह एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है। सूर्य दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा स्रोत है। हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने का रास्ता देख रहे हैं तो प्राचीन दर्शन के संतुलन और समग्र दृष्टिकोण की ओर देखना होगा। सौर ऊर्जा क्रांति लानी होगी। कोरोना महामारी के बाद उत्पन्न बेरोज़गारी को दूर करने के लिए सौर ऊर्जा से नए आयाम ढूंढने होंगे।

इस क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं आईआईटी, मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में संचालित भारत सरकार की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत 70 लाख सौर ऊर्जा स्टडी लैंप योजना सार्थक सिद्ध हो रही है। यह योजना देश के पांच राज्यों के 30 जनपद एवं 222 ब्लॉक में संचालित हैं तथा 70 लाख स्टडी सौर ऊर्जा लैम्प स्कूल के बच्चों को वितरण किया जाना हैं। अभी तक 6000345 लाख बच्चों को स्टडी सौर लैम्प वितरण हो चुका हैं। प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम और उड़ीसा में योजना चल रही हैं तथा इससे अभी तक 30 जनपद के 222 ब्लॉक मे आजीविका मिशन की 7607 महिलाओं को रोज़गार भी मिला है। और 12337 ग्रामों के कक्षा 1 से 12 तक के बच्चें लाभान्वित हुए हैं। ये परियोजना उन क्षेत्रों में चलाई जा रही है, जहां पर या तो बिजली का कनेक्शन नहीं है, और कनेक्शन है तो बिजली की कटौती होती है या फिर उनसे प्रर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। जिसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चे शाम को किरोसिन के दीपक में पढ़ते हैं, जिससे उन्हें पढ़ने में असुविधा होती है। इसलिए सोलर लाइट परियोजना विशेष रूप से स्कूल के बच्चों के लिए तैयार की गई है। किरोसिन दीपक से शरीर के अंगों जैसे आंखों, फेफड़ों आदि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। परंतु सोलर पैनल से हम अपनी रौशनी खुद उत्पन्न कर सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा।

अति पिछड़े क्षेत्रों में रोशनी देकर यूपी एसआरएलएम और आईआईटी, मुम्बई ने पूज्य बापू की अंत्योदय की संकल्पना को साकार किया है। उत्तर प्रदेश ने 28 लाख लैंप असेम्बल एवं वितरण कर पहला स्थान प्राप्त किया है। 216 विद्यालय के बच्चों में वितरण हुआ है। विकासखंड के 411 विद्यालय लैंप वितरण के लिए चिन्हित किए गए हैं। आजीविका मिशन की समूह की महिलाओं के द्वारा स्टडी सौर ऊर्जा लैम्प परियोजना के तहत लैंप असैंबल कर स्कूल के बच्चों को लैंप वितरण किया जा रहा है।

इन राज्यों में 7607 चयनित एवं प्रशिक्षित महिलाएं असेम्बलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बच्चों को 100 रुपये में लैंप वितरण किया जा रहा है, जबकि इस लैंप का वास्तविक मूल्य 700 रुपये है। प्रत्येक दिन औसतन 200 लैंप एक सेंटर पर बन रहे हैं। महिलाएं अपने कार्य से संतुष्ट एवं खुशहाल हैं। जब भी स्टडी सौर ऊर्जा लैंप खराब होता है तो संस्था द्वारा एक वर्ष तक निशुल्क रिपेयर किया जाता है। इस योजना में लैम्प असेम्बल करने वाले समूह की महिला को 12 रुपये प्रति लैम्प एवं वितरण करने वाली को 17 रुपये प्रति लैम्प दिया जाता हैं जिससे महिलाएं प्रति माह 5000 रुपये से 6000 रुपये कमा लेती हैं। जब से स्ट्डी सोलर लैंप परियोजना की शुरुआत हुई है और इस योजना से सभी छात्र–छात्राओं को स्ट्डी सोलर लैंप पढ़ाई के लिए मिला हैं, तब से सभी छात्र–छात्राओ की पढ़ाई में सुधार आया है तथा इस लैंप का उपयोग घर के दैनिक कायो में भी किया जा रहा हैं। जिस तरह सभी छात्र–छात्राओं को शिक्षा का अधिकार मिल रहा हैं, उसी तरह रोशनी का अधिकार भी मिल रहा हैं। पहले जब गांवों तक बिजली की संचार व्यवस्था की कमी थी, पढ़ाई की कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण यहां पर शिक्षा का अभाव होना स्वाभाविक था। अब समय के साथ बदलाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश मे भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान मे एक नई ऊर्जा का संचार किया जा रहा है।

इस परियोजना पर डाक्यूमेंट्री फिल्म भी बनायी गई है। रिपेयर और रखरखाव केंद्र खोलकर महिलाओं को 'सोलर उघमी' के रूप में विकसित किया जा रहा है। सोलर स्मार्ट शॉप पर सोलर टॉर्च, लालटेन, पॉवर बैंक, पंखा आदि की सेवाएं भी प्रदान कर रही है।

सूर्य को जीवन का पोषक माना गया है। वेदों ने हजारों साल पहले से सूरज को विश्व की आत्मा माना है। सौर ऊर्जा बढ़ाने से हमारी समृद्धि होगी। इससे न सिर्फ ऊर्जा सस्ती होगी, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। देश में इस परियोजना से महिलाओं में एक नई ऊर्जा क्रान्ति का संचार हुआ है। साथ ही, कौशल विकास से इन महिला सोलर उद्यमियों को स्वरोज़गार का नया आयाम मिला है।

ई–मेल : nandkishorsah59@gmail.com

रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाने के आसान उपाय

–डॉ. आनन्द कुमार उपाध्याय

इस समय कोरोना 19 महामारी विश्वभर में फैली हुई है। यह महामारी भी एक प्रकार का रोग है, जो कोरोना नामक वायरस से उत्पन्न होता है। यह वायरस हाथ मिलाने, छींकने, खांसने या वायरस–युक्त वस्तु को छूने आदि से फैलता है। व्यक्ति रोगाणु के संपर्क में आकर बीमार क्यो पड़ जाते हैं? जिन व्यक्तियों का शरीर रोगाणुओं से लड़ने में असमर्थ होगा, वह जल्दी से बीमार पड़ जाएगा अर्थात् जिन व्यक्तियों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी, वह जल्दी ही रोगग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा क्या करना चाहिए कि व्यक्ति जल्दी से बीमार न पड़े?

स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने आहार यानी कि भोजन पर ध्यान देने की जरूरत है। आहार को पकाने के साथ उसकी पौष्टिकता पर भी ध्यान देना होगा। आहार ऐसा हो जिससे शरीर के लिए जरूरी विभिन्न पौष्टिक तत्वों की पूर्ति हो सके। जैसे सब्जी को पकाने में प्रयोग किए जाने वाले तेल, नमक, हल्दी, लहसुन, प्याज, मिर्च आदि मसालों का संतुलित उपयोग करना। प्रत्येक व्यक्ति अपने–अपने स्वाद के अनुसार मसालों का उपयोग करता है परन्तु व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि मसालों की अधिकता शरीर के लिए हानिकारक होती है जबकि संतुलित मात्रा से शरीर के लिए वह तत्व प्राप्त होते हैं जिनसे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है।

विटामिन्स और आहारीय खनिज तत्व शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित करते हैं तथा विभिन्न रोगों से सुरक्षा करते हैं। विटामिन्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे विटामिन ए और विटामिन सी रोगों से लड़ने का बल और शक्ति प्रदान करते हैं अर्थात यह विटामिन्स शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाते हैं। विटामिन सी महत्वपूर्ण एंटीआक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। यह श्वेत रक्त कणिकाओं (डब्ल्यूबीसी) की क्रियाशीलता को बनाए रखने में मदद करता है। आयरन, कैल्शियम, तांबा, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम आदि आहारीय खनिज तत्व शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे– शरीर में आयरन (लौह तत्व) की कमी से खून की कमी हो जाती है। सोडियम की कमी से खून की चाल धीमी हो सकती है। इसीलिए शरीर में विटामिन्स और आहारीय तत्वों की कमी को दूर करने के लिए धनियां पत्ती, पालक, मैथी, सरसों का साग, एवं कद्दू, ककड़ी, तरबूज, पपीता, केला बेल, कच्चे आम या पका हुआ आम, ऑवला, संतरा, अमरूद, इमली आदि फलों का समयानुसार सेवन करते रहना चाहिए।

बढ़ती हुई गर्मी में बिस्कुट और चीनी की तुलना में गुड़ का सेवन ज्यादा लाभदायक होता है क्योंकि चीनी में केवल ग्लूकोज़ पाया जाता है जबकि 100 ग्राम गुड़ खाने पर 10.4 ग्रा. प्रोटीन, 0.1 ग्रा. वसा, 40 ग्रा. फॉस्फोरस, 80 मिग्रा. कैल्शियम, 11.4 मिग्रा. लौह तत्व, 11.8 मिग्रा. कैरोटीन (विटामिन ए), 0.02 मिग्रा. विटामिन बी1 और 0.05 मिग्रा विटामिन सी तथा 385 कैलौरी ऊर्जा देने वाली कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है।

बाज़ार में बिकने वाले ठंडे पेय पदार्थों की तुलना में अपने परम्परागत पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। जैसे–मठ्ठे का सेवन स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक है क्योकि मठ्ठे में मैग्निशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, सल्फर, क्लोरीन आदि आहारीय खनिज तत्वों के अतिरिक्त प्रोटीन, कार्बोज आदि महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूध से बने दही में प्रोटीन, लैक्टिक अम्ल, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, बी1, बी2, और विटामिन सी पाया जाता है।

घर में रखे हुए मसालों, मौसम के अनुसार फलों और हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए क्योंकि फलों और हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन्स और आहारीय खनिज तत्व पाए जाते हैं।

शरीर को निरोग रखने के लिए जितना जरूरी आहार है उतना ही जरूरी है– व्यायाम करना। शारीरिक सक्रियता कम हो जाने से मांसपेशियां सुस्त हो जाती हैं, जिससे शरीर में अकड़न आ जाती है। व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां मज़बूत बनती हैं। मांसपेशियों को मज़बूत बनाने के लिए ब्रह्महूर्त में टहलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैराकी करना, योग करना आदि क्रियाओं को अपनी क्षमता के अनुसार करते रहना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्महूर्त (सूर्योदय से पहले) में टहलना सबसे उत्तम माना गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्योदय से पहले शरीर से एंडोरफिन नामक न्यूरोकेमिकल निकलता है। इससे दिमाग के साथ ही साथ मन को प्रसन्नता मिलती है।

जीवन को पूर्ण आनन्द के साथ जीने का एक ही तरीका है कि जीवन को पूर्ण सजगता के साथ जीना चाहिए। जीवन में खानपान एवं दिनचर्या में बरती हुई सजगता आपको आरोग्य बना सकती है वहीं असहज एवं लापरवाह दिनचर्या रोगी बना देगी। जनसंचार सूचनाओं द्वारा रोगों की जानकारी समय–समय पर प्रकाशित एवं प्रसारित की जाती है ताकि होने वाले सामान्य रोगों से जनता को बचाया जा सके। किसी कारण से शरीर रोगग्रस्त होने पर तुरन्त पास के अस्पताल में जाकर चिकित्सक (डॉक्टर) की सलाह पर जांच करवाएं और चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही औषधि (दवाई) का सेवन करते रहें।

(लेखक सम्बोध शोध पत्रिका में सह–सम्पादक हैं।)
ई–मेल : anandkumarupadhya@gmail.com

जीईएम पोर्टल पर सरस संग्रह का शुभारंभ

सरस संग्रह ग्रामीण स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग के उत्पादों को प्रदर्शित करता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के एसएचजी को सरकारी खरीदारों तक पहुंच बनाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। पहले चरण में 11 राज्यों के 913 एसएचजी पहले से ही विक्रेताओं के रूप में पंजीकृत हैं और 442 उत्पादों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है।



केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 4 मई, 2020 को नई दिल्ली में सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर "द सरस कलेक्शन" का शुभारंभ किया। जेम और दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस अनूठी पहल 'सरस संग्रह' का उद्देश्य ग्रामीण स्वयंसहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग वाले उत्पादों को प्रदर्शित करना है और इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों तक पहुंचने के लिए बाज़ार उपलब्ध कराना है।

इस पहल के तहत, एसएचजी विक्रेता अपने उत्पादों को 5 उत्पाद श्रेणियों, अर्थात (i) हस्तशिल्प (ii) हथकरघा और वस्त्र (iii) कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाले सामान (iv) किराना और पेंट्री और (v) व्यक्तिगत देखभाल और साफ–सफाई की श्रेणी में सूचीबद्ध कर सकेंगे। पहले चरण में, 11 राज्यों के 913 एसएचजी पहले से ही विक्रेताओं के रूप में पंजीकृत हैं और 442 उत्पादों को पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। थोड़े समय में देशभर में बड़ी संख्या में एसएचजी को पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए जीईएम ने एनआरएलएम डाटाबेस के साथ एपीआई आधारित एकीकरण तंत्र विकसित किया है।

जीईएम राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक–स्तर पर पदाधिकारियों के लिए डैशबोर्ड प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वयंसहायता समूहों द्वारा अपलोड किए गए उत्पादों की संख्या, और प्राप्त आदेशों की पूर्ति और मात्रा के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। पोर्टल पर एसएचजी उत्पादों की उपलब्धता के बारे में सरकारी खरीदारों को सिस्टम– जनित संदेश/अलर्ट के जरिए जानकारी दी जाएगी। इच्छुक खरीदार इसके माध्यम से अपनी पसंद के उत्पादों को खोज, देख और खरीद सकेंगे।

इस पहल के तहत एसएचजी को शामिल करने का कार्य पहले बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों में किया गया है। इसका कवरेज सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की बड़ी संख्या में एसएचजी को सक्षम बनाने के लिए तेजी से बढ़ाया जाएगा जिससे कि वे सरकारी क्रेताओं को अपना उत्पाद बेच सकें।

अपने उत्पादों को अपलोड करने में एसएचजी की आरंभिक सहायता करने एवं सुगम बनाने के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जीईएम उत्पाद कैटेलॉग प्रबंधन, आर्डर पूरा करने एवं बोली की भागीदारी में विक्रेताओं की सहायता कर रही है। जीईएम एसएचजी के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए तथा आर्डर पैकेजिंग, कैटेलॉग प्रबंधन एवं लॉजिस्टिक्स के लिए आवश्यक क्षमताओं के निर्माण के लिए राज्य पदाधिकारियों से भी गठबंधन करेगी।

एनआरएलएम एवं एसआरएलएम से इनपुट एवं सहायता के साथ, जीईएम एसएचजी एवं एसआरएलएम कर्मचारियों की यूजर विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मातृभाषा कंटेंट में ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज को भी विकसित करेगी। इसके अतिरिक्त, जीईएम राज्य आजीविका मिशनों में एसएचजी एवं पदाधिकारियों के लिए ऑनलाइन वेबिनारों का संचालन करेगी और निर्बाधित अध्ययन अनुभव के लिए वीडियो, ई–बुक, मैनुअल एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के भंडार का भी विकास करेगी।

एसएचजी को सरकारी क्रेताओं तक सीधी पहुंच उपलब्ध कराने के द्वारा सरस कलेक्शन आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों को खत्म कर देगा और इस प्रकार एसएचजी के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करेगा तथा स्थानीय–स्तर पर रोज़गार अवसरों को बढ़ावा देगा।

इससे पहले, १७ अप्रैल, 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से किसान रथ मोबाइल एप लांच किया। श्री तोमर ने कहा कि यह मोबाइल एप निश्चित रूप से पूरे देश में कृषि उत्पादों के सुचारू परिवहन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

स्रोतः पीआईबी

महिला सशक्तीकरण पर आधारित इस अंक में शामिल लेखों में दी गई जानकारी और व्यक्त विचार कोविड–19 से उत्पन्न हुई परिस्थिति से पहले की पृष्ठभूमि में लिखे गए हैं।

कोविड-19 के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय

आयुष मंत्रालय ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के आयुर्वेद के परखे गए कई उपायों पर एक एडवाइजरी जारी की थी। इस मुश्किल घड़ी में उस एडवाइजरी को फिर से दोहराया गया है, जिससे अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति (प्रतिरक्षा) बढ़ाने के एक उपाय के रूप में सभी के प्रयासों में मदद की जा सके। 31 मार्च, 2020 को जारी की गई एडवाइजरी में निम्नलिखित 5 व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया है:

एडवाइजरी जारी करने की पृष्ठभूमि

कोविड–19 के प्रकोप से दुनिया में पूरी मानव जाति पीड़ित है। ऐसे में शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को बेहतर करना अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हम सभी जानते हैं कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। चूंकि अब तक कोविड–19 के लिए कोई दवा नहीं है, ऐसे समय में निवारक उपाय करना अच्छा रहेगा जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी।

जीवन का विज्ञान होने के नाते, आयुर्वेद स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए प्रकृति के उपहारों को ही बढ़ावा देता है। निवारक उपाय संबंधी आयुर्वेद का व्यापक ज्ञान 'दिनचर्या'– दैनिक जीवन और 'ऋतुचर्या'– स्वस्थ जीवन बनाए रखने के लिए मौसमी व्यवस्था की अवधारणाओं से निकला है। यह मुख्य रूप से पौधे पर आधारित विज्ञान है। अपने बारे में जागरूकता, सादगी और सामंजस्य से व्यक्ति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हुए उसे और बेहतर कर सकता है। आयुर्वेद के शास्त्रों में इस पर काफी ज़ोर दिया गया है।

आयुष मंत्रालय श्वसन संबंधी स्वास्थ्य के विशेष संदर्भ के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और निवारक स्वास्थ्य उपायों के लिए निम्नलिखित स्व–देखभाल के दिशानिर्देशों का सुझाव देता है। ये आयुर्वेदिक साहित्य एवं वैज्ञानिक पत्र–पत्रिकाओं पर आधारित हैं।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के सामान्य उपाय

क. पूरे दिन गर्म पानी पीजिए।

ख. आयुष मंत्रालय की सलाह के अनुसार प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें।

ग. खाना पकाने में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन जैसे मसालों के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के आयुर्वेदिक उपाय

क. रोज सुबह 10 ग्राम (1 चम्मच) च्यवनप्राश लें। मधुमेह रोगियों को शुगर फ्री च्यवनप्राश खाना चाहिए।

ख. तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सोंठ और मुनक्का से बना काढ़ा/हर्बल टी दिन में एक या दो बार पीजिए। अगर आवश्यक हो तो अपने स्वाद के अनुसार गुड़ या ताज़ा नींबू का रस मिलाएं।

ग. गोल्डन मिल्क– 150 मिली गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर– दिन में एक या दो बार लें।

सरल आयुर्वेदिक प्रक्रियाएं

क. नाक का अनुप्रयोग– सुबह और शाम नाक के नथुनों में (प्रतिमार्ष नास्य) तिल का तेल/नारियल का तेल या घी लगाएं।

ख. ऑयल पुलिंग थेरेपी– एक चम्मच तिल या नारियल का तेल मुंह में लीजिए। उसे पिएं नहीं बल्कि 2 से 3 मिनट तक मुंह में घुमाएं और फिर थूक दें। उसके बाद गर्म पानी से कुल्ला करें। ऐसा दिन में एक या दो बार किया जा सकता है।

सूखी खांसी/ गले में खराश के दौरान की प्रक्रिया

क. पुदीने के ताजे पत्तों या अजवाईन के साथ दिन में एक बार भांप ली जा सकती है।

ख. खांसी या गले में जलन होने पर लौंग पाउडर को गुड़/शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है।

ग. ये उपाय आमतौर पर सामान्य सूखी खांसी और गले में खराश को ठीक करते हैं। हालांकि अगर ये लक्षण बरकरार रहते हैं तो डॉक्टर से परामर्श लेना बेहतर होगा।

स्रोत : पीआईबी

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2018-20
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2018-20

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2018-20
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2018-20
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

अब प्रिंट संस्करण और ई-बुक संस्करण उपलब्ध

भारत 2020



भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की आधिकारिक जानकारी देने वाला वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

मूल्यः प्रिंट संस्करण ₹ 300/- ई-बुक संस्करण ₹ 225/-

पुस्तकें खरीदने के लिए प्रकाशन विभाग की
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in पर जाएं

ई-बुक एमेज़ॉन और गूगल प्ले पर उपलब्ध

देश भर में प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्रों और
पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीद सकते हैं

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24367260
ई-मेल : businesswng@gmail.com
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए
कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।

सूचना भवन की पुस्तक दीर्घा में पधारें

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

ट्विटर पर फोलो करें @DPD_India

प्रकाशक और मुद्रकः मोनीदीपा एम. मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
वरिष्ठ संपादकः ललिता खुराना